खण्ड १—अंक ८

२८ मार्च, १९५७ (गुरुवार)

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

1st Lok Sabha

(XV Session)

(खण्ड १ में अंक १ से अंक ८ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,

नई दिल्ली

चार आने (देश में) एक शिलिंग (विदेश में)

8 L.S.D.

विषय-सूची

(खंड १—अंक १ से ८—१९ से २८ मार्च, १९५७)

पृष्ठ

अंक १—मंगलवार, १९ मार्च, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १,२, ४, ५, ७, ८, ३, ६ और ९ . १-१२

प्रश्न का लिखित उत्तर—

अतारांकित प्रश्न संख्या १ . १२

दैनिक संक्षेपिका १३

अंक २—बुधवार, २० मार्च, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर— . .

तारांकित प्रश्न संख्या ११,१२, १३, १४, १६, १७, १९, २०, २१, २२, २३, २४, २६, २७, २८, २९ और १५ . . . १४–२९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८ और २५ . . . . २९–३०

अतारांकित प्रश्न संख्या २, ३ और ४ . . . . ३०

दैनिक संक्षेपिका ३१

अंक ३—गुरुवार, २१ मार्च, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३० से ३२, ३४ से ३७, ३९ से ४५ और ३३ . ३२–४७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३८ . . . . . ४७-४८

अतारांकित प्रश्न संख्या ५ से १३ . . . ४८–५०

अतारांकित प्रश्न संख्या ७९ के उत्तर में शुद्धि . ५१

दैनिक संक्षेपिका ५२

अंक ४—शुक्रवार, २२ मार्च, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४६, ४७, ५० से ५२, ५४, ४९ और ५३ . . ५३–६३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४८ और ५३ . . . ६४

अतारांकित प्रश्न संख्या १४ से १७ . . . ६४–६५

दनिक संक्षेपिका . . . ६६

अंक ५--सोमवार, २५ मार्च, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ५६, ५९, ६० और ६२ से ७२ . . ६७–८२

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ५७ और ६१ ८२–८३

अतारांकित प्रश्न संख्या १८ से २५ ८३–८८

तारांकित प्रश्न संख्या ५९ के उत्तर में शुद्धि . . . ८९

दैनिक संक्षेपिका ९०

अंक ६--मंगलवार, २६ मार्च, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ७३ से ७९, ८१, ८२, ८४ से ९६ . . ९१–११५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ . . . . . ११५–१६

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ८० और ८३ . . . . ११६–१७

अतारांकित प्रश्न संख्या २६ से ४५ और ४५-क . . ११७–२४

तारांकित प्रश्न संख्या १२५७ के उत्तर में शुद्धि . . . १२४

दैनिक संक्षेपिका १२५–२६

अंक ७--बुधवार, २७ मार्च, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ९८, ९८-क, १०० से १०६, १०८ से ११०, १११, ११२, ११४ और ११५ . . . . . १२७–४७

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १०७, ११०-क और ११३ . . . १४७–४८

अतारांकित प्रश्न संख्या ४७ से ५२ . . . १४८–५०

अतारांकित प्रश्न संख्या २२७३ के उत्तर में शुद्धि . . . १५०

दैनिक संक्षेपिका १५१

अंक ८--गुरुवार, २८ मार्च, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ११६ से १२१, १२३ से १२५, १२७ से १२९, १३१ और १३२ . . . . १५२–६८

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २ . . . . . १६८–७०

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १२६ और १३० . . . १७०–७१

अतारांकित प्रश्न संख्या ५३ से ५७ . . १७१–७३

दैनिक संक्षेपिका १७४

सारांश १७५

अनुक्रमणिका . . . . . (१–४८)

टिप्पणी: किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

लोक-सभा

गुरुवार, २८ मार्च, १९५७

लोक-सभा ग्यारह बज समवेत हुई

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

खंडवा-हिंगोली रेल सम्पर्क

+

†*११६. **श्री कृष्णाचार्य जोशी :**
श्री त० ब० विट्ठल राव :

क्या रेलवे मंत्री ६ दिसम्बर, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या ८६९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खंडवा–हिंगोली रेल-सम्पर्क के निर्माण का पहला दौर पूरा हो गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उस पर कुल कितनी राशि व्यय हुई है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) खंडवा-हिंगोली निर्माण-कार्य का पहला दौर केवल आंशिक रूप से पूरा हुआ है।

(ख) पहले दौर पर अब तक १२७ लाख रुपये व्यय हुए हैं।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : इस लाइन का निर्माण अंतिम रूप से कब तक पूरा हो जायेगा ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : यह इंजन-डिब्बों के, जो हमें आयात करने पड़ सकते हैं, मिलने न-मिलने पर निर्भर करता है। यदि सामान मिलता रहा तो हमें आशा है कि यह लाइन वर्ष १९५९–६० तक पूरी हो जायेगी।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या नयी बनी छोटी लाइन पर गाड़ियों की रफ़्तार बढ़ा देने का कोई प्रस्ताव है ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : हमें पहले लाइन का निर्माण करना है। रफ़्तार पर बाद में विचार किया जायेगा।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : पिछले सत्र में कहा गया था कि १९५७ में इस लाइन का एक सैक्शन यातायात के लिये खोल दिया जायेगा। कौन सा सैक्शन यातायात के लिये खोला जाने वाला है ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : हम इस समय दो सैक्शनों पर दोनों सिरों से काम कर रहे हैं। पहला सैक्शन खंडवा से गुदीकेडा तक है; पोपलउ तक लाइन करीब करीब पूरी हो चुकी है और हमें आशा है कि अगले महीने तक यह लगभग १८ मील लम्बी लाइन यातायात के लिये खुल जायेगी।

†मूल अंग्रेजी में ।

हमने हिंगोली से कुम्हान गांव तक भी काम शुरु किया है और अगले दो या तीन महीनों में वह भी यातायात के लिये खुल जायेगी।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : दोनों नदियों पर बड़े पुलों का निर्माण तत्काल आरम्भ किया जायेगा या पुलों के विषय में विचार करने वाली विशेषज्ञ समिति का प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद ही आरम्भ होगा ?

†**श्री शाहनवाज खां** : मैं उस कार्य को आरम्भ करने का निश्चित समय तो नहीं बता सकता। उस पूरी लाइन पर निर्माण कार्य विभिन्न दौरों में किया जा रहा है।

खाद्यानों का आयात

†*११७. **श्री विश्वनाथ राय** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले वर्ष के सूखा और बाढ़ संबंधी अनुभवों को ध्यान में रखते हुए किसी भी संभाविक स्थिति का सामना करने के लिये क्या सरकार पहले तैयार किये गये प्राक्कलनों की अपेक्षा अधिक खाद्यान्नों का आयात करने वाली है ?

†**खाद्य उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : सरकार की नीति मांगों को पूरा करने और सूखे तथा बाढ़ों के कारण उत्पन्न अप्रत्याशित मांग का सामना करने के उद्देश्य से खाद्यान्नों का संचय करने के लिये पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्नों का आयात करने की है। इसलिये इस बात का सदा ध्यान रखा जाता है कि पर्याप्त मात्रा में आयात का कार्यक्रम चलता रहे। यदि कभी आयात-कार्यक्रम को बढ़ाना आवश्यक समझा गया तो तदनुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

†**श्री विश्वनाथ राय** : इस वर्ष कुल कितना आयात किया जायेगा ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : योजना आयोग ने हमें अगले पाँच वर्षों में ६० लाख टन खाद्यान्न मंगाने की सलाह दी है हमने अमरीका और बर्मा से करार किये हैं जिनके अनुसार, यदि कार्यक्रम ठीक ढंग से चलता रहा तो, हम लगभग ७ लाख टन चावल और २८ लाख टन गेहूँ का आयात करने वाले हैं।

†**श्री विश्वनाथ राय** : क्या सरकार ने आयात के परिमाण का निश्चय करते समय देश के विभिन्न भागों में नष्ट हुई फसल का ध्यान रखा था ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा**: देश की फसलों संबंधी सम्पूर्ण स्थिति को ध्यान में रखते हुए और सूखे तथा बाढ़ से हुई हानि को उसमें से घटाकर के ही हमने ये प्राक्कलन तैयार किये हैं।

†**श्री ब० द० पांडे** : इस समय वर्तमान फसल की क्या स्थिति है; क्या उससे कमी पूरी होने की संभावना है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : इस समय फसल संबंधी स्थिति बहुत अच्छी है, परन्तु हाल की ओला-वृष्टि ने कुछ भागों में फसल को काफी नुकसान पहुँचाया है हालांकि व्यापक क्षति नहीं हो पायी है।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या सरकार को मालूम है कि हाल की बाढ़ के बाद पश्चिमी बंगाल में नदिया जिले में प्रायः संकटकालीन स्थिति हो गयी थी और क्या सरकार ने कोई कार्यवाही की है ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : जनता के कष्टों का निवारण करने के लिये हर संभव कार्यवाही की जा रही है। बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों में बांटने के लिये हमारे पास काफी बड़ी मात्रा में चावल मौजूद है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री वोडयार :** क्या उन क्षेत्रों में, जहाँ घोर वर्षा के कारण फसल नष्ट हो गयी हैं, विशेष रूप से मालनद में, किसी भी सम्भाविक स्थिति का सामना करने के लिये सरकार ने कोई आर्थिक सहायता दी है; और यदि हाँ तो क्या सहायता दी गयी है ?

†**श्री अ० प्र० जैन:** जहाँ भी फसल को नुकसान पहुंचता है, वहाँ सहायता देने के लिये बाकायदा इन्तजाम होता है । यह तो मुझे पता नहीं है कि मालनद क्षेत्र में किस प्रकार की सहायता दी गयी है, परन्तु मुझे विश्वास है कि राज्य ने सामान्य अपेक्षित सहायता तो दी ही होगी ।

श्री विभूति मिश्र : क्या यह सही है कि सरकार जो गल्ला बाहर से हर साल आयात करती है उसके रखने का समुचित प्रबन्ध नहीं है और वह गल्ला सड़ जाता है ?

श्री अ० प्र० जैन : यह बिल्कुल गलत है । बहुत उचित प्रबन्ध है और गल्ले का जो नुकसान होता है, वह बहुत कम होता है ।

†**श्री ब० स० मूर्ति :** क्या मंत्री महोदय को पता है कि इतना सब आयात किये जाने के बावजूद भी चावल के भाव कम नहीं हुए हैं और अब भी वे इतने अधिक हैं कि जन-साधारण चावल नहीं खरीद सकता ।

†**श्री अ० प्र० जैन :** यह बात सच प्रतीत होती है कि चावल के भाव ज्यादा हैं, परन्तु मुझे विश्वास है कि हम भावों का और चढ़ना रोकने में कुछ सीमा तक सफल हुए हैं । हम भावों को बढ़ने से रोकने के लिये हर संभव कार्यवाही कर रहे हैं और उन्हें नीचे लाना चाहते हैं ।

†**श्री वीरस्वामी :** क्या देश भर में परती भूमि में खेती कर कृषि में वद्धि करना और अधिक अनाज पैदा करना संभव नहीं है; जिससे हमारा देश आत्म-निर्भर बन सके, और यदि नहीं, तो खाद्यान्नों के लिये दूसरे देशों पर निर्भर रहे बिना देश का वास्तविक रूप में आत्म-निर्भर बनने में कितना समय लगेगा ?

†**श्री अ० प्र० जैन :** यह कार्य-अर्थात् परती भूमि में खेती करना और जिस भूमि में पहले से ही खेती की जा रही है उसकी पैदावार बढ़ाना, हमारी योजना का ही एक अंग हैं । जहाँ तक कि आत्मनिर्भरता के प्रश्न का संबंध है, विशेष रूप से आबादी बढ़ने और जनता जिन खाद्यान्नों का उपभोग कर रही है वह बढ़िया किस्म के और अधिक मात्रा में होने के कारण यह संभव है कि इस दिशा में तेजी से प्रगति न हो । परन्तु, मांग पूरी करने के लिये हम अपनी पैदावार बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं । यह कहना कठिन है कि मांग और पूर्त्ति कब बराबर हो सकेंगी ।

गोदावरी बाढ़-सुरक्षा परियोजना[1]

†***११८. डा० रामा राव :** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) गोदावरी पर बाढ़ सुरक्षा कार्य के लिये १९५३ से १९५६ तक कितनी राशि मंजूर की गयी थी;

(ख) इस प्रयोजन के लिये कितनी राशि व्यय की गयी; और

(ग) गोदावरी पर बाढ़ से बचाव के लिये इस समय कौन-सी योजनायें हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) से (ग) . एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३४]**

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[1] Godavari Flood Protection Project.

†**डा० रामा राव :** इस विवरण में बताया गया है कि गोदावरी में १९५३ के भीषण बाढ़ के बाद उस समय केवल २.४ लाख रुपये मंजूर किये गये थे और दिसम्बर, १९५६ के अन्त तक केवल १८,००० रुपये व्यय किये गये हैं। इस घोर लापरवाही का क्या कारण है?

†**श्री हाथी :** जैसा कि संभवतः इस सभा को ज्ञात है, बाढ़-नियंत्रण कार्यवाही १९५४ में ही देशव्यापी पैमाने पर आरम्भ की गयी थी। उससे पूर्व, निर्माण कार्य संबंधित राज्यों द्वारा आरम्भ किये गये थे, अखिल भारतीय पैमाने पर नहीं। आन्ध्र राज्य ने १९५५ में बाढ़-नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की; योजनाओं का आना और मंजूर किया जाना १९५६ के बाद से आरम्भ हुआ है।

†**डा० रामा राव :** इस विवरण में यहाँ-वहाँ अनेक छोटी-छोटी योजनायें दिखाई गयी हैं। क्या सरकार को यह विश्वास है कि ये छोटी योजनायें कभी-कभी आने वाली भीषण बाढ़ों को नियंत्रित करने में सफल होंगी या बाढ़ों पर स्थायी रूप से नियंत्रण करने के लिये सरकार कोई बड़ी परियोजना बना रही है ?

†**श्री हाथी :** छोटी योजनाओं के अतिरिक्त आंध्र सरकार ३८२० लाख रुपये की लागत वाली बड़ी योजनाओं पर भी विचार कर रही है; लेकिन इन बड़ी योजनाओं संबंधी नक्शे और प्राक्कलन अभी प्राप्त नहीं हुए हैं। वह उन पर विचार कर रही है।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** गोदावरी परियोजना का दूसरा दौर कब शुरू होगा ? क्या इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में आरम्भ किया जायगा ?

†**श्री हाथी :** यह प्रश्न केवल बाढ़-सुरक्षा संबंधी कार्यवाही के बारे में है, बहु प्रयोजनीय परियोजनाओं के बारे में नहीं।

†**श्री ब० स० मूर्ति :** क्या यह सच है कि आंध्र सरकार के अनुरोध करने पर भी गोदावरी के बांधों पर बाढ़-सुरक्षा कार्यवाही करने के लिये केन्द्र ने पर्याप्त धन नहीं दिया है ?

†**श्री हाथी :** यह सच नहीं है। आन्ध्र राज्य ने जिन योजनाओं की सिफारिश की थी उनकी कुल लागत २१ लाख रुपये है, जिसमें से २ लाख रुपये तो पहले ही दिये जा चुके हैं और १९ लाख रुपयों का इस वर्ष उपबन्ध किया गया है। मंजूरी के लिये कोई योजना केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

†**श्री राघवैया :** जनता पर बाढ़ का आक्रमण होने के बाद उनकी सहायता संबंधी कार्यों पर दूना धन व्यय करने के स्थान पर क्या सरकार बाढ़ नियंत्रण योजना और गोदावरी परियोजनाओं के लिये मंजूर की गयी पूरी राशि को व्यय करना आवश्यक और उचित नहीं समझती ?

†**श्री हाथी :** विचार यह है कि राशि को यथा संभव शीघ्रतापूर्वक व्यय कर दिया जाये जिससे शीघ्र लाभ भी प्राप्त हो सके। ये योजनायें मार्च में मंजूर की गयीं थीं। इसलिये रुपये खर्च करने के लिये भी समय तो चाहिये ही।

†**श्री राघवैया :** इस बाढ़ नियंत्रण कार्यवाही के लिये इस सारी राशि को व्यय करने में सरकार कितना समय लेने वाली है ?

†**श्री हाथी :** ये योजनायें एक या दो वर्षों में पूरी हो जायेंगी।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री ब० स० मूर्त्ति** : यह प्रश्न केन्द्र से योजनायें मंजूर कराने का नहीं है । प्रश्न यह है कि क्या मंजूर की जा चुकी योजनाओं का काम पूरा करने के लिये आंध्र राज्य को पर्याप्त राशियाँ दी जा चुकी हैं ?

†**श्री हाथी** : जैसा मैंने कहा, २१ लाख रुपयों की योजनाओं का प्रस्ताव किया गया है । इस राशि का उपबन्ध किया जा रहा है ।

केरल आने जाने वाले यात्रियों का यातायात

†*११९. **श्री मात्तन** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल से मद्रास तथा अन्य स्थानों को आने-जाने वाली एक्सप्रस, मेल तथा अन्य रेल-गाड़ियों के सीधे पोदानूर होकर चलने के बजाय कोयम्बटूर होकर जाने के कारण केरल से आने वाले यात्रियों को कितना अतिरिक्त व्यय भाड़े के रूप में करना पड़ता है; और

(ख) इस मार्ग परिवर्तन के कारण केरल के यात्रियों को प्रतिवर्ष कुल कितनी धनराशि की हानि उठानी पड़ रही है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) अतिरिक्त भाड़ा तीसरे दर्जे के लिए ३ आने से ५ आने, दूसरे दर्जे के लिए ५ आने से ९ आने और पहले दर्जे के लिए ८ आने से १ रुपए तक होता है ।

(ख) लगभग १,११,००० रुपए प्रतिवर्ष ।

†**श्री मात्तन** : यदि रेलगाड़ियां कोयम्बटूर होकर न जाकर सीधे पोदानूर के मार्ग से चलें तो क्या यह अनावश्यक व्यय, जो प्रत्येक यात्री को करना पड़ता है, बचाया नहीं जा सकता है ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : इन रेलगाड़ियों के मार्ग को उस क्षेत्र की जनता की प्रार्थना पर ही कोयम्बटूर होकर परिवर्तित किया गया था । ऐसा उस क्षेत्र की जनता की इच्छा के अनुसार किया गया था ।

†**श्री मात्तन** : अब जनता की यह प्रार्थना है कि यह मार्ग परिवर्तन न किया जाय । क्या माननीय मंत्री जी इस पर विचार करेंगे ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : निस्संदेह, हम प्रत्येक न्यायोचित प्रार्थना पर विचार करेंगे ।

†**श्री नम्बियार** : क्या इस प्राथना के फलस्वरूप किए जाने वाले परिवर्तनों का ईरोड और षोरणूर के बीच चलने वाली स्थानीय पैसेंजर गाड़ियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ?

†**अध्यक्ष महोदय** : दोनों काल्पनिक प्रश्न हैं । अगला प्रश्न लिया जाय ।

भूतपूर्व सौराष्ट्र रेलवे के भ्रष्टाचार के मामले

†*१२०. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या रेलवे मंत्री १५ नवम्बर, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ७० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड को भूतपूर्व सौराष्ट्र रेलवे के उन तीन पदाधिकारियों के विरुद्ध, जो १३ लाख रुपए के गबन के मामले में फंसे हुए हैं, की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में संघीय लोक सेवा आयोग से कोई सलाह प्राप्त हुई है; और

---

† मूल अंग्रेजी में ।

(ख) यदि हां, तो रेलवे बोर्ड, उस मामले में आगे क्या कार्यवाही करना चाहता है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी नहीं, परन्तु आयोग ने हाल में बोर्ड को बताया है कि वह अपनी सलाह यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का प्रयत्न कर रहा है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

रेलवे दुर्घटना

†*१२१. **श्री बर्मन** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, १९५६ के अंतिम दिनों में पूर्वोत्तर रेलवे के हासीमारा और मदारीहाट के बीच कोई रेल दुर्घटना हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो उस दुर्घटना के कारण जो हानि हुई उसकी मात्रा क्या है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) दिनांक २५–१२–१९५६ को लगभग ०२.३५ बजे जबकि ३०४ डाउन लिंक एक्सप्रेस गाड़ी पूर्वोत्तर रेलवे के अलीपुर दुआर-सिलीगुड़ी सैक्शन के हासीमारा और मदारीहाट स्टेशनों के बीच चल रही थी तो इंजन का टेन्डर और उसके पीछे के ६ डिब्बे ७७–८ मील पर पटरी से उतर गए ।

(ख) सरकारी निरीक्षक का अस्थायी मत यह है कि यह पटरी से उतरने की घटना अज्ञात व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा रेल की पटरियों में गड़बड़ी किए जाने के कारण हुई । इंजन तथा स्थायी मार्ग को लगभग १७,१०० रुपए की क्षति हुई ।

†**श्री बर्मन**: क्या इस अफवाह में कोई तथ्य है कि यह गड़बड़ रेलवे के निकाले गए कर्मचारियों द्वारा की गई थी ?

†**श्री शाहनवाज खां** : हमने मामले की रिपोर्ट स्थानीय पुलिस को करा दी है और पुलिस ने अभी तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है ।

रेलवे जोन

†*१२३. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्रशासनिक सुविधा के लिए रेलवे जोनों की संख्या बढ़ाने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या वर्तमान जोन सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं ?

†**श्री शाहनवाज खां** : जी हां, बहुत सफलतापूर्वक ।

†**श्री च० द० पांडे**: क्या सरकार यह अनुभव करती है कि कुछ क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से बंधे हुए नहीं हैं और प्रशासनिक दृष्टि से असुविधाजनक हैं । उदाहरणार्थ, पूर्वोत्तर रेलवे आगरा से आसाम

---

†मूल अंग्रेजी में ।

तक फैली हुई है। गोरखपुर स्थित जनरल मैनेजर के लिए आगरा या आसाम की देखभाल करना संभव नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** : इन सब मामलों पर विस्तारपूर्वक बहस की जा चुकी है।

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : जी, हां। केवल भौगोलिक दृष्टि से सुसंबद्ध क्षेत्रों के लिए रेलें रखना संभव नहीं है क्योंकि उससे अधिक कठिनाइयां उत्पन्न होंगी।

†**श्री नम्बियार** : क्या सरकार ने प्राक्कलन समिति का १९वां प्रतिवेदन देखा है जिसमें यह सुस्पष्ट कर दिया गया है कि रेलवे की एक इकाई ३००० या ३५०० मील से अधिक नहीं होनी चाहिए। क्या सरकार ने इस पर गंम्भीरता से विचार किया है, और यदि हां, तो क्या किया गया है ?

†**श्री जगजीवन राम**: प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन के पूर्व ही, जबकि पुनर्गठन के प्रश्न पर विचार किया गया था, इन सब मामलों पर भी विचार किया गया था और इनका निर्णय किया गया था।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या जोनों में अधिक डिवीजन बनाने और मैनेजरों को अधिक शक्तियां देने का कोई प्रस्ताव है ?

†**श्री शाहनवाज खां**: ये ऐसे मामले हैं जिन पर प्रतिनिधि के कार्यकरण में विचार करना होता है। जहां कहीं हम देखते हैं कि कार्य-भार बढ़ गया है, अथवा अधिक सुचारुता लाने की दृष्टि से, हम आवश्यक कदम उठायेंगे।

†**श्री राघवैया** : सरकार ने किस बात के कारण इन जोनों के निर्माण में ऐसा निर्णय किया जबकि प्राक्कलन समिति ने वैसी सिफारिश की थी जिसका संकेत मेरे माननीय मित्र द्वारा अभी अभी किया गया है।

†**श्री जगजीवन राम** : मैं माननीय सदस्य को सदन की कार्यवाही क विवरण का निर्देश करूंगा जबकि जोनों और पुर्नगठन के इन प्रश्नों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई थी।

†**अध्यक्ष महोदय** : बजट वाद-विवादों के दौरान जो नीति स्वीकृत की जा चुकी है उसे नीति परिवर्तन के लिये प्रश्नों के घंटे में नहीं लाना चाहिये। यह नीति अंगीकार की गई थी। जिस समय श्री गोपालास्वामी अय्यंगर प्रशासन के प्रभारी थे उस समय बड़ी लम्बी बहस हुई थी ।

†**श्री नम्बियार** : मैंने प्राक्कलन समिति के १९वें प्रतिवेतन का निर्देश किया ।

†**अध्यक्ष महोदय** : उस पर भी विचार किया जा चुका है, उसका उत्तर दिया जा चुका है ।

†**श्री कासलीवाल** : मीटर गाज प्रणाली के अन्तर्गत दो ज़ोन हैं, पश्चिम रेलवे और उत्तर रेलवे । क्या सरकार को इस प्रकार का अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि इन दो प्रणालियों के कार्यकरण में कठिनाई है ?

†**श्री जगजीवन राम** : साथ ही एक ही ज़ोन मे समस्त मीटर गेज रखना भी संभव नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

कोचीन एक्सप्रेस

†*१२४. **श्री मात्तन** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कोचीन एक्सप्रेस कोचीन से दोपहर में चल कर नित्य ही मद्रास देर से-प्रातःकाल १०—३० के बाद पहुंचती है जिससे यात्रियों को बहुत असुविधा होती है ; और

(ख) क्या यह संभव है कि उसके मद्रास पहुंचने का समय कम से कम तीन घंटे पहले कर दिया जाय ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) यह सच नहीं है कि कोचीन एक्सप्रेस जिसका मद्रास सेन्ट्रल पर पहुंचने का समय १०—३० है प्रायः लेट पहुंचती है। १५ फरवरी से, जबकि उसकी समय सारिणी में परिवर्तन किया गया था, उसके समयानुसार पहुंचने की दिशा में पर्याप्त प्रगति हुई है।

(ख) जी, नहीं। फिर भी १-४-१९५७ से उसके मद्रास पहुंचने का समय लगभग दो घंटे पहले कर दिया जायगा।

†**श्री मात्तन** : मैं माननीय मंत्री जी को कुछ जानकारी कराना चाहूंगा। मैंने यह प्रश्न अपने व्यक्तिगत अनुभव से रखा था। दो बार मैंने उस गाड़ी से यात्रा की और वह दोनों ही अवसरों पर देर से आई। इसके अतिरिक्त वह अरकोणम् से आने में ४० मील तय कर करने म २½ घंटे लेती है क्योंकि अनेक स्थानीय गाड़ियां चल रही हैं। क्या यह सम्भव नहीं है कि कोचीन एक्सप्रैस गाड़ी कोचीन से कुछ पहले चला करे ताकि वह मद्रास पहले से जल्दी पहुंच सके। मद्रास पर ११ अथवा ११-३० पर पहुंचने का अर्थ यह है कि सारा दिन नष्ट सा हो जाता है। मैं उसके कोचीन से छूटने के समय को कुछ पहले कर देने का सुझाव रखता हूं ताकि वह अरकोणम् ७ बजे पहुंच सके और फिर मलाबार एक्सप्रेस की तरह सीधे मद्रास को रवाना हो।

†**श्री शाहनवाज खां** : जी, हां। जैसाकि मैंने अभी अभी अपने उत्तर में कहा १ अप्रैल से वह गाड़ी कोचीन से दोपहर में १—१५ पर रवाना होगी और मद्रास प्रातःकाल ८—३५ पर पहुंचेगी। मैं आशा करता हूं कि वह सुविधाजनक रहेगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : समय के ब्योरे के संबंध में मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि वह जनरल मैनेजरों व उनको परामर्श देने वाली समितियों के हाथ में रहता है। रेलव मंत्री द्वारा जनरल मैनेजरों को ऐसी सामान्य हिदायतें क्यों न जारी की जायें कि संसद के माननीय सदस्यों से ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और उन पर ध्यान दिया जाना चाहिये। यदि उन पर स्थानीय स्तर पर विचार नहीं किया जाता तो हम सदन का समय ले सकते हैं। किसी माननीय मंत्री के लिये यह कैसे संभव है कि वह अनुपूरक प्रश्न के रूप में छोटी से छोटी बात भी याद रखे।

†**रेलव तथा परिवहन मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : वास्तव में इन समय सारिणियों और अन्य मामलों का निर्णय क्षेत्रीय परामर्शदात्री समितियों[2] में किया जाता है। इस सदन के सदस्यों से जो भी सूचना प्राप्त होती है उनको जनरल मैनेजरों और अधीनस्थ

---

†मूल अंग्रेजी में ।

2. Zonal Consultative Committees.

अधिकारियों द्वारा पर्याप्त महत्व दिया जाता है। परन्तु, जैसा कि आपने कहा, एक मंत्री के लिये इस प्रकार की सारी जानकारी साथ रखना सम्भव नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या माननीय सदस्य ने जनरल मैनेजर से लिखापढ़ी की थी और फिर कोई उत्तर नहीं प्राप्त हुआ ?

†**श्री मात्तन** : मैं तो यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी ने यह अनुभव किया है कि मलाबार अब मद्रास का भाग नहीं रहा वरन् केरल का भाग है।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं दुसरी बात कह रहा था। विभिन्न प्रकार की गाड़ियों के समयों में हेर फेर करना स्थानीय महत्व के मामले हैं जिन पर प्रत्येक रेलवे के प्रभारी जनरल मैनेजर द्वारा अधिक अच्छी तरह से विचार किया जा सकता है।

इसलिये मैं समस्त मामनीय सदस्यों से कहूंगा कि वह पहले जनरल मैनेजर से लिखापढ़ी करें और फिर परामर्शदात्री समिति के माध्यम से उसका निवारण करायें अथवा संसद् के सदस्य स्वतंत्र रूप से भी वैसा करा सकते हैं। यदि उन्हें कोई निवारण नहीं मिलता, यदि वह उत्तर से सन्तुष्ट नहीं होते तो वह मंत्री जी को लिख सकते हैं और यदि उन्हें फिर भी सन्तोष न हो तब अन्तिम प्रयत्न के रूप में सदन में भी उस मामले को उठाया जा सकता है। अन्यथा हम सदन का समय ही नष्ट करेंगे।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : जनरल मैनेजर भी इस सदन के सदस्यों से परामर्श करते हैं। वह हमारे पास परिपत्र भेजते हैं और पूछते हैं कि समयों में क्या-क्या परिवर्तन चाहते हैं। ऐसा अब भी किया जाता है।

†**श्री फीरोज गांधी** : मेरा निवेदन है कि आज सत्र का अन्तिम दिन है अतः श्री मात्तन के पक्ष में नियमों में कुछ शिथिलता कर दी जाये।

†**एक माननीय सदस्य** : श्री मात्तन अब संसदीय कार्यों से निवृत हो रहे हैं।

†**श्री मात्तन** : मलाबार मद्रास राज्य का नहीं प्रत्युत केरल राज्य का अंग है। केरल राज्य की राजधानी त्रिवेन्द्रम है। मलाबार से उस ओर जाने वाले लोगों को प्राथमिकता दी जाती है। किन्तु कोट्टयम और क्विलोन के लोगों को पहले स्थान देना चाहिये। अतः माननीय मंत्री के समक्ष मेरा सुझाव है कि मलाबार एक्सप्रेस के पहले कोचीन एक्सप्रेस पहले पहुंचे।

श्री जगजीवन राम : यह जनरल मैनेजर को बता दिया जायेगा।

†**श्री अ० म० थामस** : उन समय सारिणियों के अतिरिक्त जो अधिकांशतः बिल्कुल ठीक हैं प्रश्न में यह सुझाव है कि गाड़ियां सदा देर से आती हैं। क्या सरकार को मालूम है कि कोचीन एक्सप्रेस सदैव देर से पहुंचती है और सोरणुर से कोचीन आने और जाने वाली गाड़ियों को उनकी धीमी चाल के कारण प्रायः बैलगाड़ी से उपमा दी जाती है ?

†**श्री वें० प० नायर** : केवल बैल, गाड़ियां नहीं।

†**श्री शाहनवाज खां** : कदाचित माननीय सदस्य को विदित है कि उक्त रेल मार्ग पर इंजीनियरिंग सम्बन्धी पर्याप्त काम हो रहा है। इसीलिये रेलगाड़ियों की चाल पर नियंत्रण

---

†मूल अंग्रेजी में।

रखा जाता है। फिर, हाल ही में, भारी वर्षा के परिणामस्वरूप इस मार्ग को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता भी अनुभव की गई। गाड़ियों की रफ्तार कम करने का यह भी एक कारण था।

विल्लुपुरम को विद्युत् चालित रेल गाड़ियां

†*१२५. **श्री त० ब० विट्ठल राव**: क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विल्लुपुरम, दक्षिण रेलवे, तक विधुत् चालित गाड़ियां ले जाने का प्रस्ताव है,

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब आरम्भ किया जायेगा; और

(ग) इसकी अनुमानित लागत कितनी है?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) और (ख). जी हां। इस सेक्शन में निर्माण कार्य १९५८-५९ में आरम्भ होने की आशा है।

(ग) ३ करोड़ ६८ लाख रुपये।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव**: बजट पत्रों से प्रतीत होता है कि इस कार्य के लिये आगामी वित्तीय वर्ष का उपबंध अत्यंत वृहद् है। विद्युत चालित गाड़ियां बढ़ाने का कार्य पर्याप्त समय से रुका पड़ा है। अतः क्या सरकार इसमें शीघ्रता करने पर विचार कर रही है?

†**श्री शाहनवाज खां**: मैंने अभी बताया था कि यह कार्य १९५८-५९ में आरम्भ होना चाहिये। यदि सामान उपलब्ध हुआ तो हमारा विश्वास है कि यह रेल मार्ग १९५९-६० में पूरा हो जायेगा। यह शीघ्र ही है।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव**: क्या आवश्यक स्टोर्स और मशीनों आदि के लिये आर्डर दे दिये गये हैं?

†**श्री शाहनवाज खां**: हम प्रारम्भिक व्यवस्था कर रहे हैं।

नागार्जुन सागर परियोजना

†*१२७. **डा० रामा राव**: क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री नागार्जुन सागर परियोजना सम्बन्धी कार्य की प्रगति और १९५७-५८ के लिये कार्यक्रम बताने वाला एक विवरण लोक-सभा के पटल पर रखने की कृपा करेंगे?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)**: लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३५]**

†**डा० रामा राव**: विवरण में अभी तक के कार्य की प्रगति और १९५७-५८ का कार्य-क्रम बताया गया है। किन्तु इस में यह नहीं बताया गया है कि बांध की नींव कब स्थापित की जायेगी। इसम यह नहीं बताया गया है कि १९५७-५८ में नींव रखी भी जायेगी। मैं जानना चाहता हूं कि यह कब रखी जायेगी।

†**श्री हाथी**: सात वर्ष में अर्थात् १९६३ में।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**डा० रामा राव :** मैं यह जानना चाहता हूं कि नींव कब रखी जायेगी; मैं यह नहीं पूछ रहा हूं कि यह कब पूरा होगा।

†**श्री हाथी :** पानी रोकने वाले बांध की नींव खोदने का काम पहले ही आरम्भ किया जा चुका है। यह बांध ४० फुट ऊंचा है। इसकी चुनाई पूरी हो गई है और नींव सम्बन्धी ७०० फुट कार्य भी पूर्ण हो गया है।

†**डा० रामा राव :** क्या इस निर्माण कार्य का कुछ भाग नेशनल कंस्ट्रक्शन कम्पनी को सौंपा गया है ?

†**श्री हाथी :** जी नहीं; अभी ऐसा नहीं किया गया है।

†**श्री राघवैया :** क्या सरकार तुगंभद्रा योजना की भांति इन योजनाओं की प्रगति के के सम्बन्ध में भी कालावधिक रिपोर्ट भेजने का विचार रखती है ?

†**श्री हाथी :** कालावधिक रिपोर्ट प्राप्त होती हैं। कदाचित् माननीय सदस्य को मालूम है कि स्वयं मंत्री महोदय विभिन्न राज्यों के संसद् सदस्यों स मिलते हैं और ये रिपोर्ट उनको दी जाती हैं। रूचि रखने वाले किसी भी सदस्य को मैं मासिक रिपोर्ट की प्रति देने के लिये तयार हूं।

†**डा० रामा राव :** तुगंभद्रा बांध और नहरों के अनुभव को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार इस बात का प्रयत्न करेगी कि बांध पूरा होने के साथ ही नहरें भी पूरी हो जायेंगी ?

†**श्री हाथी :** सरकार इस बात के लिये उत्सुक है कि बांध के साथ साथ नहरें भी पूरी हो जायें। बावन मील की लम्बाई तक जांच कार्य आरम्भ हो गया है।

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी :** क्या इस परियोजना के लिये आवश्यक उपकरण एवं मशीनें प्राप्त हो गई हैं तथा अन्य कितना सामान मंगाने की संभावना है ?

†**श्री हाथी :** अभी सम्पूर्ण मशीनें प्राप्त नहीं हुई हैं। किन्तु प्राविलम्बनीय आवश्यकताओं की पूर्ती के लिये घान लगाने वाला संयन्त्र[3] और मिट्टी हटाने वाला संयन्त्र[4] हमने हीराकुड से भेज दिया है। अतः मशीनों की कमी के कारण कोई विलम्ब नहीं होगा।

†**श्री मुहीउद्दीन :** क्या यह सच है कि विदेशी मुद्रा पर नियंत्रण के परिणामस्वरूप मशीनों के आयात के लिये जो टेंडर मांगे गये थे वे स्वीकृत नहीं किये गये हैं। अतः इसके परिणामस्वरूप देर होने की संभावना है।

†**श्री हाथी :** जी नहीं। हीराकुड में हमारे पास एक घान लगाने वाला संयन्त्र फालतू था और हमने वह भेज दिया है।

†**श्री रामचंद्र रेड्डी :** विवरण में उल्लिखित दायें और बायें किनारे की नहरों की विस्तृत जांच के बारे में, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या दायें किनारे की नहर को ऊंचे धरातल पर ले जाने की व्यवस्था की गई है ताकि उसके अन्तर्गत वृहद् भाग सम्मिलित किया जा सके।

---

†मूल अंग्रेजी में

3. Batching Plant.
4. Earth Moving Plant.

†**श्री हाथी** : हाल फिलहाल हम इसे १०८ मील तक ले जा रहे हैं। अभी यह केवल ३५ मील तक है। वर्तमान कार्य पूरा होने पर भी इसे आगे बढ़ाने की संभावना पर विचार किया जायेगा।

रेलवे भाड़ा ढांचा जांच समिति[*]

†***१२८. श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या रेलवे मंत्री २० नवम्बर, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १९७ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे भाड़ा ढांचा जांच समिति ने अब अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य-मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

***रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : रिपोर्ट के कब तक प्रस्तुत किये जाने की संभावना है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : हमारा अनुमान है कि अगले महीने के अंत तक यह प्रस्तुत कर दी जायेगी।

†**श्रीकृष्णाचार्य जोशी** : इतने अधिक विलम्ब का क्या कारण है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : यह कार्य अत्यन्त विशद है और उन्हें इसका सूक्ष्मतापूर्वक अध्ययन करना पड़ेगा।

†**श्री नम्बियार** : इस समिति की सिफारिशों के मसौदे के बारे में समाचार पत्रों में जो रिपोर्ट छपी थी क्या सरकार का उनकी ओर ध्यान गया है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : हमें शासकीय रूप से अभी यह प्रतिवेदन नहीं मिला है। अतः हम समाचार पत्रों की रिपोर्ट पर ही निर्भर नहीं रह सकते हैं।

†**श्री नम्बियार** : क्या सरकार का ध्यान समाचारपत्रों में छपी रिपोर्ट की ओर गया है ; और यदि हां, तो क्या उन्होंने इन पर विचार किया है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : हम समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा करेंगे।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विलम्ब का कारण यह है कि समिति के सभापति तथा कुछ सदस्यों को अन्तर्राष्ट्रीय दायित्व की पूर्ति करना है ?

***रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : मैं विलम्ब का कारण इसे नहीं बता सकता। यह अत्यंत जटिल कार्य है और विशाल भी है। अतः मैं यह नहीं कह सकता कि समिति ने बहुत अधिक समय ले लिया है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

*. Railway Freight Structure Enquiry Committee.

रेलवे श्रमिक संघ[६]

†*१२९. **श्री त० ब० विट्ठल राव :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे कमचारियों के राष्ट्रीय फैडरेशन से असम्बद्ध किसी संघ को अब मान्यता प्रदान की गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उस संघ का क्या नाम है।

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) और (ख). दक्षिण पूर्वी रेलवे कर्मचारी संघ और पश्चिम रेलवे कर्मचारी संघ जिन्हें सम्बन्धित रेलवे प्रशासन द्वारा हाल ही में मान्यता प्रदान की गई हैं, वे भारतीय रेलवे कर्मचारियों के राष्ट्रीय फेडरेशन से सम्बद्ध नहीं हैं।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** चूंकि अब रेलवे कर्मचारी संघों को मान्यता प्रदान करने की नीति में परिवर्तन हो गया है, दक्षिण रेलवे श्रमिक संघ को मान्यता प्रदान करने का विषय किस स्थिति पर है ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री जगजीवन राम) :** संघों को मान्यता कुछ शर्तों पर दी जाती है अर्थात् उनमें श्रमिक निश्चित प्रतिशत में सदस्य हों तथा प्रशासन द्वारा आवश्यक समझी जाने वाली कुछ और बातों की पूर्ति होती हो। किसी संस्था को सम्बद्ध होने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

आन्ध्र में चावल का मूल्य

†*१३१. **डा० रामा राव :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विजयवाड़ा तथा काकीनाड़ा (आन्ध्र) में १ मार्च, १९५७ को चावल का मूल्य १ मार्च, १९५५ और १९५६ (या किसी अन्य तुलना योग्य तिथि) की तुलना में कितना था ; और

(ख) केन्द्रीय सरकार के पास इस समय चावल का कुल कितना स्टॉक है ?

†**खाद्य उपमंत्री (श्री मो० वे० कृष्णप्पा) :** (क) आन्ध्र में चावल का मूल्य, जो कि जनवरी-फरवरी, १९५४ में लगभग १७ रुपये से १८ रु० प्रति मन था १९५५ में अन्य खाद्यान्नों के मूल्यों में कमी हो जाने के कारण, अनुपयुक्त रूप से गिर गया था और इसलिये सरकार को कृषकों के हित की रक्षा करने के लिये मूल्य संरक्षण योजना[७] लागू करनी पड़ी थी। इन कारणों से १९५५ को एक सामान्य वर्ष नहीं समझा जा सकता और इसलिये १९५५ के मूल्यों की अन्य वर्षों के मूल्यों से तुलना करना उचित नहीं है। तथापि, विजयवाड़ा तथा काकीनाड़ा में १९५५ और १९५६ के मूल्यों की तुलना में १-३-१९५७ को सामान्य चावल का मूल्य निम्न-लिखित था :—

	विजयवाड़ा	काकीनाडा
	रुपये	रुपये
१-३-५७	२० ४ ०	१९ ० ०
१९५६ फरवरी के अन्त में	१५ ० ०	१४ १२ ०
१९५५ फरवरी के अन्त में	११ ६ ०	१३ ८ ०

(ख) केन्द्रीय सरकार के पास राज्यों के चावल भण्डार के अतिरिक्त लगभग १,४०,००० टन चावल का स्टॉक है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[६] Railway Workers Union.

[७] Price Support Scheme.

†**डा० रामा राव :** क्या सरकार को ज्ञात है कि चावल के वर्तमान ऊंचे मूल्य का एक कारण यह भी है कि कुछ एक रूकावटें होने पर भी बैंकों द्वारा धान के लिये अत्यधिक ऋण दिये गये हैं ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा :** इसका एक कारण नहीं है, इसके कई कारण हैं ।

†**डा० रामा राव :** क्या वही उसका मुख्य कारण है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** उस दिन सभी कारण बता दिये गये थे ।

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी :** इस समय सरकार के पास जितना स्टाक है उसमें से कितना भाग आन्ध्र प्रदेश से प्राप्त हुआ है ? क्या उनके संचयन के लिये कोई गोदाम सम्बन्धी सुविधायें दी गई हैं ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा :** आन्ध्र प्रदेश में हम चावल प्राप्त न कर सके । हम प्राप्त करना चाहते थे और उसके लिये दिसम्बर में जब मूल्य गिर रहे थे, उस समय हमने पदाधिकारी भेजे थे। परन्तु जनवरी में मूल्य स्थिर से होने लगे, और इसलिये हमने आन्ध्र प्रदेश से चावल न लेने का ही निर्णय किया ।

†**श्री ब० स० मूर्ति :** क्या सरकार भूमिपतियों द्वारा जमा किये गये स्टॉक के सम्बन्ध में कोई कार्य जारी करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो उन लोगों से ऐसा स्टॉक प्राप्त करने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्री मो०वें० कृष्णप्पा :** देश की अनिश्चित सी स्थिति के कारण बड़े बड़े कृषकों और व्यापारियों में अन्न जमा करने की प्रवृत्ति दीखती है । मैं समझता हूं कि यदि उनका यह ख्याल है कि कोई युद्ध प्रारम्भ हो जायेगा, तो वे गलती पर हैं। उन्हें बड़ी भारी हानि का सामना करना पड़ेगा क्योंकि सरकार के पास पर्याप्त स्टॉक है । हम अधिक से अधिक संख्या में उचित मूल्य पर अनाज बेचने वाली दुकानें खोलेंगे ।

†**श्री ब० स० मूर्ति :** उन्हें यह अनुभव करा देने के लिये, कि उनका विचार मूर्खतापूर्ण है और उन्हें हानि होगी, सरकार द्वारा क्या क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा :** रक्षित बैंक ने अनुसूचित बैंकों को यह निदेश दिया है कि वे इन स्टॉकों के लिये अधिक अग्रिम धन न दें ।

†**श्री हेडा :** मूल्यों को कम करने की दृष्टि से पहले बताये गये उपायों के अतिरिक्त अन्य कौन कौन से उपाय अपनाये जा रहे हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** उचित मूल्य की दुकानें खोलना, धान के स्टॉकों के नाम पर प्रदान की जाने वाली अग्रिम धन राशि को सीमित कर देना, और सामान्य रूप से उचित मूल्य पर अनाज बेचने वाली दुकानों की कार्य कुशलता को बढ़ाना ।

†**डा० रामा राव :** क्या सरकार को यह ज्ञात है कि काकीनाड़ा में जब सहकारी संस्था ने उचित मूल्य पर अनाज बेचने वाली दुकानें खोली थीं, तो मूल्य उचित होने पर भी स्टाक नहीं उठाया गया था, क्योंकि केन्द्रीय सरकार द्वारा संभरित किया गया चावल घटिया किस्म का था ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री मो० वें कृष्णप्पा** : हो सकता है कि वह माल बुरा हो। अब हम जहां भी संभरित करते हैं, हम अच्छा माल देते हैं ; आन्ध्र प्रदेश में वैसा हो गया था क्यों कि उनके पास हैदराबाद में कुछ पुराना स्टॉक पड़ा हुआ था, और हैदरावाद से वह माल आन्ध्र भेज दिया गया था। परन्तु अब वैसी बात नहीं है। अब हमें जो भी चावल प्राप्त हो रहा है वह बढ़िया किस्म का है।

नौवहन टनभार

†*१३२. **श्री मात्तन** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंच वर्षीय योजना काल में जहाजों द्वारा कुल कितना अतिरिक्त माल सरकारी खाते में आयात किया जायेगा ; और

(ख) इस अतिरिक्त माल के यथा संभव अधिक से अधिक भाग को लाने के लिये भारतीय जहाजों की भार-क्षमता के बढ़ाने के सम्बन्ध में कौन कौन सी कार्यवाही की गई है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) मांगी गयी जानकारी इस समय उपलब्ध नहीं है। तथापि, जानकारी एकत्रित करने के लिये प्रयत्न किया जा रहा है।

(ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में भारतीय जहाजों की भार क्षमता को बढ़ाने के लिये सामान्य रूप से की गई कार्यवाहियां दिखाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३६]**

†**श्री मात्तन** : भाग (क) के सम्बन्ध में, मेरी जानकारी यह है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सरकारी खाते में मंगाये जाने वाले कुल माल का भाड़ा ४०० करोड़ रुपये फैलेगा। क्या माननीय मंत्री इसकी पुष्टि करेंगे ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : जी, नहीं। मैं इसकी न ही पुष्टि करूंगा और न ही इससे इंकार करुंगा। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि हमें विदेशी मुद्रा में भाड़े के रूप में बहुत बड़ी राशि देनी पड़ेगी। परन्तु इस समय जो हमारे जहाजों की भार-क्षमता है उससे हम उस सारी विदेशी मुद्रा को नहीं बचा सकते जो कि हम आज कल खर्च कर रहे हैं।

श्री रघुनाथ सिंह : क्या इसके लिये वर्ल्ड बैंक से लोन लेने का प्रयास आप की तरफ से किया जायेगा ?

श्री जगजीवन राम : इसका भी प्रयास किया जायेगा। अभी तो डॉक्स के लिये प्रयास किया जा रहा है।

†**डा० रामा राव** : नौवहन के लिये जो ३७ करोड़ रुपये निर्धारित किये गये हैं उनसे कितने 'टनभार' के जहाज प्राप्त किये जा सकेंगे ?

†**श्री जगजीवन राम** : इस का उत्तर इस सभा में दो दिन पूर्व दिया जा चुका है।

†**श्री शाहनवाज खां** : यह १.८ लाख टन होगा।

†**श्री राघवैया** : भाड़े के रूप में हम विदेशों को कितनी राशि अदा कर रहे हैं ?

†**श्री शाहनवाज खां** : उसके लिये मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री मात्तन** : विवरण से तो मुझे ऐसा मालूम होता है कि नौवहन के विकास के लिये निर्धारित ३७ करोड़ रुपये की राशि खर्च की जा चुकी है। मुझे यह सूचना प्राप्त हुई है कि इसके द्वारा हम लगभग १,७०,००० कुल पंजीबद्ध 'टनभार' प्राप्त कर सकेंगे। द्वितीय योजना में निर्धारित साधारण लक्ष्य ३,००,००० टन है। अतः कुल कमी, रद्दी किये जाने वाले ९०,००० 'टनभार' के जहाजों को मिलाकर, २,२०,००० 'टन' की हो जायेगी। क्या मैं ठीक कह रहा हूं ?

†**श्री जगजीवन राम** : जी, हां। लगभग २,१०,००० टन की कमी होगी।

†**श्री मात्तन** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमें विदेशी मुद्रा अदा करनी पड़ती है, विदेशी मुद्रा को प्राप्त करने का सर्वोत्तम उपाय यही है कि हम अपनी समुद्र पार नौवहन भार क्षमता को बढ़ायें और न कि तटीय नौवहन को। क्या माननीय मंत्री नौवहन विकास के लिये विश्व बैंक द्वारा किये गये प्रस्ताव का उपयोग करने के प्रश्न पर गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे, और अतिरिक्त टन क्षमता प्राप्त करने के लिये इसका उपयोग करेंगे ?

†**वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : मैं माननीय सदस्य का कृतज्ञ हूं कि उन्होंने ऐसा सुझाव दिया है। परन्तु मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि सरकार इन सभी बातों पर विचार कर रही है। माननीय सदस्य निस्सन्देह इस मामले में लीन हैं। हम जानते हैं कि यदि हम अपने जहाजों की भार क्षमता बढ़ायेंगे तो उससे हम अधिक विदेशी मुद्रा कमा सकेंगे। परन्तु हमारे पास इतनी विदेशी मुद्रा नहीं है कि जिससे हम अपनी भार-क्षमता बढ़ा सकें।

†**श्री मात्तन** : मुझे ज्ञात हुआ है कि योजना आयोग और परिवहन मंत्रालय ने द्वितीय योजना में समुद्र पार व्यापार को १५ प्रतिशत की दर से बढ़ाने का लक्ष्य निश्चित किया है। यह अनुमान करते हुए भी कि हम ३,००,००० 'कुल पंजीबद्ध टनभार' प्राप्त कर रहे हैं, मेरा यह निवेदन है कि हमारे लिये अपने उद्देश्य को प्राप्त करना संभव नहीं है।

†**श्री जगजीवन राम** : हम इस बात से सहमत हैं कि हमारे जहाजों की वर्तमान भार-क्षमता हमारी आवश्यकताओं को देखते हुए पर्याप्त नहीं है, और हम इस को जितना बढ़ायेंगे, उतना ही अपनी विदेशी मुद्रा को बचायेंगे। परन्तु जैसा कि मेरे माननीय मित्र ने बताया है प्रश्न यह है कि इसे बढ़ाने के लिये विदेशी मुद्रा कहां से प्राप्त की जाये। हम इस बात की संभावनाओं की खोज कर रहे हैं कि हम किस प्रकार से इसे बढ़ा सकते हैं।

श्री मात्तन उठे—

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या प्रश्न घंटे में ही आप इस पर वाद विवाद कर रहे हैं ?

†**श्री मात्तन** : केवल एक और प्रश्न है। जहाज़ खरीदने के लिये अपेक्षित विदेशी मुद्रा तो उन जहाज़ों द्वारा स्वयं ही चार वर्षों में पूरी हो जायेगी।

†**श्री जगजीवन राम** : वह ठीक है। परन्तु हमें तो उन जहाजों को खरीदने के लिये विदेशी मुद्रा कमाने से पहले ही विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है।

†**श्री कासलीवाल** : मेरा निवेदन है कि प्रश्न संख्या १२२ का उत्तर देने के लिये निदेश दिया जाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : जी, हां।

---

†मूल अंग्रेजी में।

गांधी सागर बांध

†*१२२. **श्री बलवन्त सिंह महता** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गांधी सागर बांध से बिजली के कब तक उत्पन्न होने की आशा है; और

(ख) क्या पारेषण लाइनें लगाने का काम प्रारम्भ कर दिया गया है।

सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी): (क) १९५९-६० में ।

(ख) पारेषण लाइनों के सम्बन्ध में प्रारम्भिक सर्वेक्षण प्राप्त कर दिये गये है ।

†**श्री कासलीवाल** : क्या गांधी सागर बांध से उत्पन्न होने वाली बिजली केवल मध्य प्रदेश के लिये ही होगी अथवा राजस्थान को भी उपलब्ध की जायेगी ?

†**श्री हाथी** : दोनों के लिये ।

अल्प सूचना-प्रश्न

हैदराबाद से काझीपेट जाने वाली एक्सप्रेस नं० ३१९ के इंजन की दुर्घटना

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २. श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९ मार्च, १९५७ को हैदराबाद से काझीपेट जानेवाली एक्सप्रेस नं० ३१९ के एक पुल पार करते समय उसके इंजन के एक बड़े पहिये के पटरी से उतर जाने के कारण बड़ी दुर्घटना हो गयी थी;

(ख) क्या इसके फलस्वरूप वह गाड़ी ६ घंटे तक धानपुर पर रुकी रही जिससे यात्रियों को बड़ी असुविधा हुई; और

(ग) यदि हाँ, तो इसका ब्योरा क्या है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)**: (क) से (ग). १९-३-१९५७ को लगभग २३-०५ बजे, जिस समय संख्या ३१९ डाउन हैदराबाद-काजीपेट ऐक्सप्रेस मध्य रेलवे के घानापुर और पेंडियल स्टेशनों के बीच जा रही थी, ड्राइवर ने अपने इंजन में कुछ असाधारण बात देखी और १९३/१२ वें मील पर गाड़ी रोक दी। उसने देखा कि पिछले जुड़वाँ पहिये[1] का जर्नल टूट गया है और पहिया अलग निकल कर गिर गया है।

ट्रेन को इसके कारण ५ घंटे-२५ मिनट तक रुके रहना पड़ा।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या सरकार को पता है कि इस प्रकार की स्थिति से जनता के दिमाग में अत्यधिक बेचैनी और असुरक्षा की भावना पैदा होती है ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : सैंकड़ों ट्रेनें चला करती हैं और इस प्रकार की छोटी-छोटी दुर्घटनायें होना तो स्वाभाविक ही है ।

†**श्री फीरोज़ गांधी** : कुछ पहिये तो निकल ही जाते हैं।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : इंजन की इतनी बड़ी खराबी का पता समय पर क्यों नही लगा, और इस लापरवाही के लिये कौन उत्तरदायी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[1] Trailing coupled wheel

श्री शाहनवाज खां : वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जाँच का आदेश दे दिया गया है और इस समिति के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है। यह प्रतिवेदन प्राप्त होते ही हमें दुर्घटना का सही कारण मालूम हो जायेगा। मैं यह और बता दूं जहाँ यह दुर्घटना हुई, उसके पहले एक छोटे स्टेशन पर यह देखा गया था कि जर्नल गर्म हो गया था। उसके संबंध में आवश्यक कार्यवाही कर दी गयी थी। परन्तु कुछ दूर जाने के बाद संभवतः धातु की खराबी के कारण या और किसी वजह से वह टूट गया।

†**श्री ह० ग० वैष्णव** : इन चीजों का पता घटनास्थल पर कुछ ही घंटों के भीतर लग सकता है। ऐसी छोटी छोटी चीजों के लिये जाँच आयोग और समितियां क्यों नियुक्त की जाती हैं?

†**अध्यक्ष महोदय** : इनका पता किसके जरिये से लगेगा ?

†**श्री ह० ग० वैष्णव** : क्या संबंधित अधिकारियों से कुछ भी पता चलना संभव नहीं है ? ऐसी छोटी सी चीज के लिये जाँच क्यों करायी जाती है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इसी को जाँच कहते हैं।

†**श्री फीरोज गांधी** क्या यह सच है कि आयात किये गये नये डब्ल्यू० बी० इंजनों की जाँच करने पर यह देखा गया है कि उनमें से कईयों के जर्नल-बाक्स और घुरे स्वीकृत नमूनों की तरह के नहीं हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : मुझे खेद है कि मुझे इस संबंध में कोई सूचना नहीं है।

†**श्री फीरोज गांधी**: क्या मंत्री महोदय का ध्यान इस महालेखा परीक्षक के उस प्रतिवेदन की ओर आकृष्ट किया गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि इंजनों के लिये जिन एक्सल-बाक्सों का आयात किया गया था उन्हें बिल्कुल खराब पाया गया था और इस सारी रकम को बट्टे खाते डाल देना पड़ा था ?

†**श्री जगजीवन राम** : मेरा ध्यान इस ओर आकृष्ट नहीं किया गया है।

†**श्री हेडा** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस लाइन पर एक बड़ी दुर्घटना हो गयी है और समय-समय पर इस प्रकार की अनेक दुर्घटनायें हो चुकी हैं, क्या सरकार यह महसूस करती है कि वहाँ के पर्यवेक्षण-कर्मचारियों[1] में ही कुछ गड़बड़ी है; और यदि हाँ, तो उसे दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**श्री जगजीवन राम** : पहली बात तो यह है कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि वहाँ इस प्रकार की कई दुर्घटनायें हो चुकी हैं। कुछ दुर्घटनायें अवश्य हुई हैं।

†**श्री हेडा** : हैदराबाद और काझीपेठ के बीच, जो सिर्फ ९० मील दूर हैं।

†**श्री जगजीवन राम** : मेरा कहना यह है कि इस प्रकार की अनेक घटनायें नहीं हुई हैं। संभवतः यह अपने ढंग की अनोखी दुर्घटना है और हम इसकी जाँच करेंगे।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : इस दुर्घटना के घटित होने के दो महीने पूर्व इसी प्रकार की एक दुर्घटना काझीपेठ और हैदराबाद के बीच हुई थी। उस दुर्घटना की जांच का आदेश भी दिया होगा और मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

[1]supervisory staff.

†**श्री जगजीवन राम** : जब कभी भी कोई दुर्घटना होती है उसकी जांच की जाती है। जांच की उपपत्तियों के ज्ञात होने के पश्चात् हम ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए समस्त संभव कदम उठाते हैं। परन्तु इस दुर्घटना में मानवीय तत्व और इंजन की असफलता दोनों ही बातें हैं। समस्त संभव सावधानियों के बाद भी इंजन फेल हो जाने के मामले हो सकते हैं और इंजन फेल होने के कारणों को दूर नहीं किया जा सकता।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य जो बात जानना चाहते हैं वह यह है वह बता रहे हैं कि कुछ महीने पहले भी एक पहिया टूट गया था। यदि उस दुर्घटना की जांच की गई थी तो क्या उससे यह शिक्षा नहीं लेनी चाहिए थी कि दो महीने बाद ही उसी प्रकार की दुर्घटना न हो? प्रशासन को ऐसी दुर्घटनायें रोकने में समर्थ बनाने के लिए सदा ही जांच की जाती है। यदि पहले कोई जांच की गई थी तो उसका परिणाम क्या है? सदन यह जानना चाहेगा और माननीय सदस्य वह प्रश्न पूछ कर ठीक ही कर रहे हैं।

†**श्री फीरोज गांधी** : मैंने भूतपूर्व रेलवे मंत्री को बताया था कि जब मैं स्वयं लखनऊ एक्सप्रेस में यात्रा कर रहा था तो एक पहिया इंजन से अलग हो गया था।

†**श्री जगजीवन राम** : मेरे पास पहली दुर्घटना के संबंध में पूरी जानकारी और जांच समिति की सिफारिशें अथवा जो कदम उठाए गए हैं उनकी जानकारी नहीं है। मैं उसको भली प्रकार देखूंगा और इस बात का प्रयत्न करूंगा कि पूर्वोपाय किए जांय ताकि इस प्रकार की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

राष्ट्रीय राजपथ नं० ८

†*१२६. **श्री बलवन्त सिंह महता** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के उदयपुर डिवीजन के राष्ट्रीय राजपथ नं० ८ की लम्बाई क्या है ;

(ख) अभी तक उसी डिवीजन में उस पर कितना धन व्यय हुआ है और उसके पूर्ण होने तक कितने धन के खर्च होने की संभावना है;

(ग) उस पर बनाए गए पुलों व पुलियों की संख्या क्या है ;

(घ) क्या भूमि के मालिकों को, जिनकी भूमि अर्जित की गई है, भुगतान कर दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो अभी तक कुल कितना भुगतान किया गया है और अभी कितना भुगतान किया जाना शेष है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) १९२ मील।

(ख) से (ङ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथाशीघ्र लोक-सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उदयपुर–हिम्मतनगर रेल मार्ग

*१३०. **श्री बलवन्त सिंह महता** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को उदयपुर-हिम्मत नगर रल मार्ग के ट्रफिक और इंजीनिरिंग सर्वेक्षण की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है ;

(ख) इस रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ;

(ग) उक्त रेल मार्ग से कितने प्रतिशत लाभ होने का अनुमान है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में।

(घ) इस सम्बन्ध में काम कब तक शुरू होने की सम्भावना है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) अभी नहीं।

(ख) से (घ). सवाल नहीं उठता।

बरम्हान में नर्मदा पर पुल

५३. **श्री कामत**: क्या **परिवहन** मंत्री १५ नवम्बर, १९५६ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ४५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि बरम्हान (जिला नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश) में नर्मदा नदी के उपर सड़क का पुल बनाने की दिशा में अभी तक कितनी प्रगति हुई ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: राज्य सरकार से जनवरी, १९५७ में प्राप्त योजना के डिजायन और कार्य के सम्बन्ध में प्राक्कलन पर टेक्नीकल दृष्टि से विचार कर लिया गया है और भारत सरकार के आदेश शीघ्र ही राज्य सरकार को भेज दिये जाने की आशा है।

होशंगाबाद में नर्मदा पर पुल

†५४. **श्री कामत** : क्या **परिवहन** मंत्री २० नवम्बर, १९५६ को अतारांकित प्रश्न संख्या १५६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि होशंगाबाद में नर्मदा नदी पर सड़क का पुल बनाने की दिशा में कितनी प्रगति हुई है ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : भारत सरकार द्वारा संभरित डिजाइन की रूपरेखा पर आधारित कार्य का प्राक्कलन मध्य प्रदेश के चीफ इंजीनियर ने तैयार कर लिया है और राज्य सरकार के पास भेज दिया गया है। वह इसे भारत सरकार के पास अनुमोदन हेतु भेज देंगे। इसके साथ ही राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा टेंडर भी आमंत्रित किये गये थे। हाल ही में प्राप्त हुए इन टेंडरों पर वे विचार कर रहे हैं।

नौवहन भाड़ा

†५५. **श्री मात्तन** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५–५६ में भारत के समुद्र पार व्यापारों में आयात और निर्यात पर कुल कितना भाड़ा अदा किया गया है (राष्ट्रीय तथा गैर-राष्ट्रीय जहाज़ों को दिये गये किराये भाड़े को पृथक पृथक बताया जाये) ;

(ख) १९५५-५६ में राष्ट्रीय जहाज़ों ने समुद्र पार व्यापारों से प्राप्त हुई आय से देश की विदेशी मुद्रा निधि में कितना अंश दान दिया है ;

(ग) १९५५-५६ में गैर-सरकारी जहाज़ों के लिये भारत में कितनी राशि आवंटित की गई थी ; और

(घ) १९५५–५६ में भारत के समुद्र पार व्यापार में आयात तथा निर्यात में कुल कितना माल लाया या ले जाया गया था ? इसमें सूखा माल, तेल तथा शोधित पेट्रोल उत्पादों के अलग अलग आंकड़े दिये जायें और यह भी बताया जाये कि भारतीय और विदेशी जहाज़ों द्वारा कुल कितना कितना माल लाया ले जाया गया ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) से (घ). जानकारी एकत्रित की जा रही है, और लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में।

खाद्यान्न का उत्पादन

†५६. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९४७, १९५२ तथा १९५६ के वर्षों में भारत में कितना खाद्यान्न उत्पन्न हुआ था ;

(ख) १९५६ में कितना खाद्यान्न आयात किया गया था ;

(ग) क्या १९५६ में कोई खाद्यान्न निर्यात भी किया गया था ;

(घ) यदि हां, तो किस प्रकार के खाद्यान्न और कितने ; और

(ङ) क्या यह सच है कि भारत खाद्यान्न में आत्म निर्भर बन गया है ?

†**खाद्य उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** :

(क) १९४७ ४२५ लाख टन
१९५२ ४२९ लाख टन
१९५६ ५३४ लाख टन

(ख) १४.२ लाख टन

(ग) और (घ). १९५६ में निम्नलिखित खाद्यानों का निर्यात किया गया था :

	(१००० टनों में)
चावल	४२·०
गेहूं-आटा	०·३
ज्वार तथा बाजरा	०·२
मक्की	१·३
कुल	४३·८

(ङ) मांग और उपलब्धि दोनों परिवर्तनीय तत्व हैं। विकास परियोजनाओं में धन विनियोग की वृद्धि से देश में धन संभरण भी बढ़ गया है और उससे खाद्यानों के लिये मांग बढ़ गई है । जनसंख्या की वृद्धि के कारण भी मांग बढ़ रही है। यद्यपि पिछले दो खरीफ़ फसलों में ज्वार की उपज थोड़ी सी घट गयी है फिर भी हाल ही के वर्षों में खाद्यानों की कुल उपज में पर्याप्त गति हुई है । अच्छी फसल के दिनों में भारत न ही केवल आत्म निर्भर बन जाता है बल्कि कुछ खाद्यान्न फालतू भी बच जाते हैं और खराब फसल के वर्षों में खाद्यान्नों को विदेशों से भी मंगवाने की आवश्यकता पड़ जाती है।

दिल्ली-उदयपुर रेलगाड़ियों में भीड़

५७. **श्री बलवन्त सिंह महता** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने उदयपुर की अपनी गत यात्रा के समय रेलगाड़ियों के डिब्बों में लोगों की भीड़ को देखकर दिल्ली से उदयपुर जाने वाले और डिब्बे लगाने की व्यवस्था करने का आश्वासन दिया था ; और

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(ख) यदि हां, तो यह आश्वासन कब तक पूरा होने की संभावना है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)):(क) जी नहीं । इस समय उदयपुर और दिल्ली के बीच ४४५ अप, ४३२ डाउन, २०४ डाउन और २०३ अप, ४३१ अप, ४४४ डाउन गाड़ियों में पहले, दूसरे और तीसरे दर्जे का एक मिलाजुला सीधा डिब्बा चलता है । उदयपुर और दिल्ली के बीच सीधे डिब्बों की तादाद बढ़ाने के लिये यातायात काफी नहीं है ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

दैनिक संक्षेपिका

[गुरुवार, २८ मार्च, १९५७]

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर . . . . . १५२—६८

तारांकित प्रश्न **विषय**

संख्या

११६ खण्डवा-हिंगोली रेल सम्पर्क १५२–५३

११७ खाद्यान्नों का आयात . . १५३–५४

११८ गोदावरी बाढ़ सुरक्षा परियोजना . . . . १५४—५६

११९ केरल आने जाने वाले यात्रियों का यातायात . . . १५६

१२० भूतपूर्व स्वराष्ट्र रेलवे के भ्रष्टाचार के मामले . . . १५६–५७

१२१ रेल दुर्घटना १५७

१२३ रेलवे ज़ोन . . १५७–५८

१२४ कोचीन ऐक्सप्रेस . . . . १५९—६१

१२५ किल्लुपुरम् को विद्युत्चालित रेलगाड़ियां . . १६१

१२७ नागार्जुन सागर परियोजना . . . . . १६१—६३

१२८ रेलवे भाड़ा ढांचा जांच समिति १६३

१२९ रेलवे श्रमिक संघ १६४

१३१ आंध्र में चावल का मूल्य . . . . १६४—६६

१३२ नौवहन टन भार १६६–६७

१३३ गांधी सागर बांध . . . १६८

अल्प सूचना प्रश्न

संख्या

२. हैदराबाद से काझीपेठ जाने वाली एक्सप्रेस नं० ३१९ के इंजन की दुर्घटना १६८—७०

प्रश्नों के लिखित उत्तर— . . . १७०—७३

तारांकित प्रश्न

संख्या

१२६ राष्ट्रीय राजपथ नं० ८ . . . . १७०

१३० उदयपुर-हिम्मत नगर रेलवे मार्ग . . . १७०—७१

तारांकित प्रश्न

संख्या

५३ बरम्हान में नर्मदा पर पुल १७१

५४ होशंगाबाद में नर्मदा पर पुल १७१

५५ नौवहन भाड़ा १७१

५६ खाद्यान्न का उत्पादन १७२

५७ दिल्ली-उदयपुर रेलगाड़ियों में भीड़ . . . . १७२—७३

लोक सभा के पन्द्रहवें सत्र की कार्यवाही का सारांश

१. **सत्र की अवधि** १८ मार्च से २८ मार्च १९५७

२. **बैठकों की संख्या** १०

३. **कुल कितने घण्टे बैठकें हुई** ५५ घंटे और ४६ मिनट

४. **मत विभाजन हुए** २

५. **पूछे गये कुल प्रश्न--**

तारांकित	१३०
अतारांकित	५७
अल्प-सूचना	२

६. **सरकारी विधेयक--**

सत्र के प्रारम्भ में लम्बित	९
पुरःस्थापित किये गये	८
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में सभा-पटल पर रखे गये	१
पारित किये गये	११
राज्य- सभा द्वारा बिना किसी संशोधन के वापस भेजे गये	८
सत्र की समाप्ति पर लम्बित	७

७. **सरकारी प्रस्ताव--**

प्रस्तुत किया गया	१
स्वीकृत हुआ	१

८. **राष्ट्रपति के अभिभाषण के बारे में प्रस्ताव--**

प्रस्तुत किया गया	१
स्वीकृत हुआ	१

९. **गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक--**

सत्र के प्रारम्भ में लम्बित	७४
सत्र की समाप्ति पर लम्बित	७४

१०. **गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प--**

प्राप्त हुए	१०
गृहीत	३
कार्य-सूची में सम्मिलित किये गये	३
अस्वीकृत हुए	२

११. **स्थगन प्रस्ताव--**

अध्यक्ष ने अनुमति नहीं दी	२

१२. **मंत्रियों द्वारा दिये गये वक्तव्य** ३

१३. **अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय जिन पर चर्चा हुई** १

१४. **अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषयों की संख्या जिनकी ओर मंत्री का ध्यान आकर्षित किया गया और मंत्रियों ने वक्तव्य दिये** ३

१५. **संसदीय समितियों के प्रतिवेदन प्रस्तुत किये गये --**

कार्य मंत्रणा समिति	४८ वां प्रतिवेदन
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबन्धी समिति	२० वां प्रतिवेदन
सरकारी आसवाशनों संबंधी समिति	४ था प्रतिवेदन
याचिका समिति	१२ वां प्रतिवेदन
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	६८ वा प्रतिवेदन
लोक-लेखा समिति	२० वां प्रतिवेदन (खण्ड २--साक्ष्य) २२ वां २३ वां और २४वां प्रतिवेदन
प्राक्कलन समिति	४४वें से ६६ वां प्रतिवेदन
नियम समिति	८ वां और ९ वां प्रतिवेदन
संसदीय, विधि-सम्बन्धी तथा प्रशासनिक शब्दावली के हिन्दी पर्याय निर्धारित करनेवाली संसदीय समिति	एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया

१६. **कितने सदस्यों को अनुपस्थिति की अनुमति दी गई** ४

१७. **कितने सदस्यों ने त्याग-पत्र दिये** ११

P. L. S. 30. I. 8. 57.
190

भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली की संसदीय शाखा में मुद्रित तथा लोक-सभा सचिवालय द्वारा लोक-सभा की प्रक्रिया तथा संचालन सम्बन्धी नियम (चौथा संस्करण) के नियम ३९२ तथा ३९५ के अन्तर्गत प्रकाशित ।

लोक-सभा
वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

खण्ड १, १९५७

(१८ मार्च से २८ मार्च, १९५७)

1st Lok Sabha

पन्द्रहवां सत्र

(खंड १ में अंक १ से अंक १० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

विषय सूची

(भाग २—वाद-विवाद खंड १—१८ से २८ मार्च, १९५७)

पृष्ठ

अंक १—सोमवार, १८ मार्च १९५७—

कुछ सदस्यों का निधन १

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति २

राष्ट्रपति का अभिभाषण . २–७

स्थगन प्रस्ताव—

पूर्वी उत्तरप्रदेश में खाद्यान्न स्थिति . . ८

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . ८–१२

लोक-लेखा समिति—

बीसवां प्रतिवेदन १२

सदस्यों द्वारा पद त्याग १२

दैनिक संक्षेपिका . १३–१६

अंक २—मंगलवार, १९ मार्च, १९५७—

श्री पी० एस० कुमार स्वामी राजा का निधन १७

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १७–२०

प्राक्कलन समिति—

चवालीसवां तथा पैंतालीसवां प्रतिवेदन २१

सदस्य द्वारा पदत्याग . . २१

रेलवे आय-व्ययक, १९५७–५८—

उपस्थापित २१–२४

१९५६–५७ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगों का विवरण २४

१९५२–५३ के लिये अतिरिक्त अनुदानों की मांगों का विवरण २५

केरल राज्य की संचित निधि में से किये गये व्यय का विवरण २५–२६

१९५६–५७ के अनुदानों की अनुपूरक मांगों (रेलवे) का विवरण . २६

समुद्र सीमा-शुल्क (संशोधन) विधेयक . . २६–२८

विचार के लिये प्रस्ताव . . . २६

खंड २ से ७ और १ . . . . . २७

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . २८

विदेशी व्यक्ति कानून (संशोधन) विधेयक . . . २८–३८

विचार के लिये प्रस्ताव २८

खंड २ से ९ और १ . . . . ३५–३८

	पृष्ठ
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . .	३८
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव के बारे में . .	३८
सामान्य आय-व्ययक १९५७–५८ उपस्थापित . .	३८–४२
वित्त विधेयक	४२–४३
पुरस्थापित	४२
नियम समिति—	
आठवां प्रतिवेदन	४३
कार्य मंत्रणा समिति—	
अड़तालीसवां प्रतिवेदन	४३
दैनिक संक्षेपिका	४४–४७

अंक ३—बधवार, २० मार्च, १९५७—

सभा-पटल पर रखे गये पत्र	४९, ५०
प्राक्कलन समिति—	
सैंतालीसवां प्रतिवेदन	५०
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव . . .	५०–८४
दैनिक संक्षेपिका	८५

अंक ४—गुरुवार, २१ मार्च, १९५७—

सभा-पटल पर रखे गये पत्र	८७–८९
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—	
अड़सठवां प्रतिवेदन	८९
कार्य मंत्रणा समिति—	
अड़तालीसवां प्रतिवेदन . .	८९
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव . .	८९–१००
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेलवे) १९५६–५७ .	१००–०६
अनुपूरक अनुदानों की अनपूरक मांगें १९५६–५७ अतिरिक्त अनुदानों की मांगें १९५२–५३ . } .	१०६–१९
अनुदानों की मांगें, केरल	१२०–२४
सामान्य आयव्ययक—सामान्य चर्चा . . .	१२५–२९
दैनिक संक्षेपिका	१३०–३३

अंक ५—शुक्रवार, २२ मार्च, १९५७—

सभा-पटल पर रखे गये पत्र	१३५
राज्य सभा से संदेश	१३५

पृष्ठ

विधेयक, राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में, सभा पटल पर रखा गया
प्राक्कलन समिति १३६
उनचासवां और पचासवां प्रतिवेदन . . . १३६
सदस्यों द्वारा पदत्याग १३६
विनियोग (रेलवे) विधेयक—पुरस्थापित . . १३६
विनियोग विधेयक . . . १३६–३७
विनियोग (संख्या २) विधेयक—पुरस्थापित . . . १३७
केरल विनियोग विधेयक—प्रस्थापित . . . १३७
सामान्य आय व्ययक—सामान्य चर्चा . . . १३८–६६
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के अड़सठवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . . . १६६–६७
चाय उद्योग के राष्ट्रीयकरण के बारे में संकल्प . . . १६७–७०
गन्ने का मूल्य नियत करने के लिये संविहित निकाय के बारे में संकल्प . १७२–७७
दैनिक संक्षेपिका १७८–७९

अंक ६—शनिवार, २३ मार्च, १९५७—

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . १८१
सभा से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति—
बीसवां प्रतिवेदन १८१
विनियोग (रेलवे) विधेयक, १९५७—
विचार तथा पारित करने का प्रस्ताव . . १८१–८२
विनियोग विधेयक, १९५७—
विचार तथा पारित करने का प्रस्ताव . . १८२
विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९५७—
विचार तथा पारित करने का प्रस्ताव . . १८३
केरल विनियोग विधेयक, १९५७—
विचार तथा पारित करने के प्रस्ताव . . १८३
सामान्य आय व्ययक—सामान्य चर्चा . . १८–९४, १९–२२३
सभा का कार्य . . . १९४
दैनिक संक्षपिका २२४

अंक ७—सोमवार, २५ मार्च, १९५७—

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . २२५–२६
प्राक्कलन समिति—
इक्यावनवां, छप्पनवां और सत्तावनवां प्रतिवेदन . . २२७

	पृष्ठ
सदस्य द्वारा पद-त्याग	२२७
केरल आय-व्ययक, १९५७–५८	२२७–२८
राष्ट्रपति से संदेश	२२९
अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के संबंध में प्रस्ताव . . .	२२९–६१
दैनिक संक्षेपिका . .	२६२–६३

अंक ८—मंगलवार, २६ मार्च, १९५७—

श्री सत्यप्रिय बैनर्जी का निधन .	२६५
सभा-पटल पर रखे गये पत्र . .	२६५
राज्य-सभा से संदेश . .	२६६
लोक-लेखा समिति—	
बाइसवां प्रतिवेदन	२६६
आक्कलन समिति—	
अड़तालीसवां और अठावनवां प्रतिवेदन .	२६६
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
विनयनगर के रेलवे फाटक के निकट दुर्घटना .	२६६–६७
अनुपस्थिति की अनुमति .	२६८
सदस्य द्वारा पद-त्याग . . .	२६८
अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव .	२६८–६९
लेखानुदानों के लिये मांगें .	२७९–३००
विनियोग (लेखानुदान) विधेयक—	
पुरःस्थापित .	३०१
वित्त विधेयक, १९५७—	
विचार के लिये प्रस्ताव . .	३०१
खण्ड १ से ६ . .	३०२
पारित करने का प्रस्ताव .	३०२–०३
रेलवे आय-व्ययक—सामान्य चर्चा .	३०३–०९
नियम समिति—	
नवां प्रतिवेदन . . .	३०६
सभा का कार्य	३०६
दैनिक संक्षेपिका	३१०–११

पृष्ठ

अंक ९—बुधवार, २७ मार्च, १९५७—

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३११–१६

लोक-लेखा समिति—

चौबीसवां प्रतिवेदन ३१६

प्राक्कलन समिति—

बावनवां और उनसठवां प्रतिवेदन . . . ३१६

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

भारत में तेल की खोज के संबंध में हुई प्रगति . . ३१६–१८

विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९५७—

विचार तथा पास करने का प्रस्ताव . . ३१८

रेलवे आय-व्ययक—सामान्य चर्चा . ३१८–३३

लेखे पर अनुदान की मांगें (रेलवे) . . ३३३–४७

विनियोग (रेलवे) लेखानुदान विधेयक, १९५७—

पुरःस्थापित ३४८

केरल आय-व्ययक—सामान्य चर्चा ३४८–५३

दैनिक संक्षेपिका ३५४–५६

अंक १०—गुरुवार, २८ मार्च, १९५७—

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . ३५७–६०, ३६५

हिन्दी पर्याय समिति का प्रतिवेदन . . ३६०

राज्य-सभा से संदेश ३६१

लोक-लेखा समिति—

तेइसवां प्रतिवेदन ३६१

प्राक्कलन समिति—

छियालीसवां, तिरपनवां से पचपनवां और साठवां से छासठवां प्रतिवेदन ३६१

याचिका समिति—

बारहवां प्रतिवेदन . . . ३६२

आश्वासनों संबंधी समिति—

चौथा प्रतिवेदन ३६२

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

ऐसे बीमा समवायों की पालसियां जिनकी वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है । ३६२–६३

स्थगन प्रस्ताव—

कालीघाट फाल्टा रेलवे को बन्द करने के बारे में निर्णय ३६३–६४

सदस्यों द्वारा पद-त्याग ३६५

	पृष्ठ
नियम समिति—	
नवां प्रतिवेदन	३५९
विनियोग (रेलवे) लेखानुदान विधेयक, १९५७—	
विचार तथा पास करने के प्रस्ताव . . .	३५९
केरल आय-व्ययक—सामान्य चर्चा	३६०–७२
लेखानुदान की मांगें—केरल, १९५७–५८ . . .	३७२–८२
केरल विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९५७—	
पारित	३८२
भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक . . .	३८२–९०
विचार करने का प्रस्ताव	३८२
खंड १ से ३	३९०
पारित करने का प्रस्ताव	३९०
राष्ट्रपति के निर्वाचन और नई लोक-सभा के गठन के बारे में चर्चा .	३९०–९५
विदाई भाषण	३९५–४०१
दैनिक संक्षेपिका	४०२–०५
पन्द्रहवें सत्र में किये गये कार्य का संक्षेप . . .	४०६–०७
अनुक्रमणिका	(१–१०४)

लोक-सभा

सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

अ

अकरपुरी, सरदार तेजा सिंह (गुरुदासपुर)
अग्रवाल, श्री मुकुन्द लाल (जिला पीलीभीत व जिला बरेली पूर्व)
अग्रवाल, श्री होती लाल (जिला जालोन व जिला इटावा—पश्चिम व जिला झांसी—उत्तर)
अचल सिंह, सेठ (खिला आगरा पश्चिम)
अचलू, श्री सुकम (नलगोंडा-रक्षित अनुसूचित जातियां)
अचित राम, लाला (हिसार)
अच्युतन, श्री क० त० (क्रेंगन्नूर)
अजित सिंह, श्री (कपूरथला-भटिंडा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
अजित सिंह जी, जनरल (सिरोही-पाली)
अनिरुद्ध सिंह, श्री (दरभंगा पूर्व)
अन्सारी, डा० शौकतुल्ला शाह (बीदर)
अब्दुल्ला भाई, मुल्ला ताहिर अली मुल्ला (चांदा)
अब्दुस्सत्तार, श्री (कलना-कटवा)
अमजद अली, श्री (ग्वालापाड़ा-गारोपहाड़ियां)
अमृतकौर, राजकुमारी (मंडी-महासू)
अय्यंगार, श्री म० अनन्तशयनम् (तिरुपति)
अय्युण्णि, श्री क० र० (त्रिचूर)
अलगेशन, श्री ओ० वि० (चिंगलपट)
अस्थाना, श्री सीताराम (जिला आजमगढ़—पश्चिम)

आ

आजाद, मौलाना अबुल कलाम (जिला रामपुर व जिला बरेली—पश्चिम)
आजाद, श्री भागवत झा (पूर्निया व संथाल परगना)
आनन्द चन्द, श्री (बिलासपुर)
आल्तेकर, श्री गणेश सदाशिव (उत्तर सतारा)
आल्वा, श्री जोकीम (कनारा)

इ

इकबाल सिंह, सरदार (फाज़िल्का-सिरसा)
इब्राहीम, श्री अ० (रांची उत्तर-पूर्व)
इलयापेरुमल, श्री ल० (कड्लूर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
इस्लामुद्दीन, श्री मुहम्मद (पूर्णिया—उत्तर पूर्व)
ईयाचरण, श्री इयानी (पोन्नानी—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

उ

उइके, श्री० मं० गा० (मंडला-जबलपुर दक्षिण---रक्षित---अनुसूचित आदिम जातियां)
उपाध्याय, पंडित मुनीश्वर दत्त (जिला प्रतापगढ़---पूर्व)
उपाध्याय, श्री शिव दत्त (सतना)

ए

एन्थनी, श्री फ्रैंक (नाम निर्देशित---आंग्ल-भारतीय)
एबनजिर, डा० सु० अ० (विकाराबाद)

क

कंदस्वामी, श्री स० कु० बेबी (तिरुचेंगोड)
कक्कन, श्री पु० (मदुराई---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
कथम, श्री वीरेन्द्र नाथ (उत्तर बंगाल---रक्षित---अनुसूचित आदिम जातियां)
कमल सिंह, श्री (शाहाबाद---उत्तर-पश्चिम)
कयाल, श्री पारेशनाथ (बसिरहार---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
करमरकर, श्री द० प० (धारवाड़---उत्तर)
कर्णी सिंह जी, हिज़ हाईनेस महाराजा बीकानेर (बीकानेर-चूरू)
कास्लीवाल, श्री नेमीचन्द्र (कोटा-झाला वाड़)
काचिरायर, श्री न० दो० गोविन्द स्वामी (कडलूर)
काज़मी, श्री सैयद मोहम्मद अहमद (ज़िला सुल्तानपुर---उत्तर व जिला फ़ैजाबाद दक्षिण-पश्चिम)
काजरोलकर, श्री नारायण सदोबा (बम्बई नगर---उत्तर---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
काटजू, डा० कैलाश नाथ (मन्सौर)
कानूनगो, श्री नित्यानन्द (केन्द्रपाड़ा)
कामत, श्री हरि विष्णु (होशंगाबाद)
कामले, डा० देवराव नामदेवराव (नान्देड़---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
काले, श्रीमती अनुसूयाबाई (नागपुर)
किरोलिकर, श्री वासुदेव श्रीधर (दुर्ग)
कुरील, श्री बैजनाथ (जिला प्रतापगढ़ पश्चिम व जिला रायबरेली पूर्व---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
कुरील, श्री प्यारेलाल (जिला बांदा व जिला फतहपुर---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
कृपालानी, आचार्य (भागलपुर व पूर्निया)
कृष्ण, श्री म० रं० (करीमनगर---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
कृष्ण चन्द्र, श्री (जिला मथुरा---पश्चिम)
कृष्णप्पा, श्री मो० वें० (कोलार)
कृष्णमाचारी, श्री ति० त० (मद्रास)
कृष्णस्वामी, डा० (कांचीपुरम)
केलप्पन, श्री क० (पोन्नानी)
केशव अय्यंगार, श्री न० (बंगलौर उत्तर)
केसकर, डा० ब० वि० (जिला सुल्तानपुर---दक्षिण)
कोले, श्री जगन्नाथ (बांकुड़ा)
कौट्टकपल्ली, श्री जार्ज थामस (मीनाचिल)

ख

खरे, डा० ना० म० (ग्वालियर)
खर्डेकर, श्री बा० ह० (कोल्हापुर व सतारा)
खां, श्री शाहनवाज (जिला मेरठ—उत्तर-पूर्व)
खां, श्री सादत अली (इब्राहीम पटनम्)
खुदा बख्श, श्री मुहम्मद (मुर्शिदाबाद)
खेडकर, श्री गोपालराव बाजीराव (बुलदाना-अकोला)
खौंगमेन, श्रीमती बो० (स्वायत्त जिले—रक्षित—अनुसूचित जन जातियां)

ग

गंगादेगी, श्रीमती (जिला लखनऊ व जिला बाराबंकी—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
गर्ग, श्री राम प्रताप (पटियाला)
गणपति राम, श्री (जिला जौनपुर—पूर्व—रक्षित अनुसूचित जातियां)
गांधी, श्री फीरोज़ (जिला प्रतापगढ़—पश्चिम व जिला राय बरेली—पूर्व)
गांधी, श्री मानिकलाल मगनलाल (पंच महल व बड़ोदा-पूर्व)
गांधी, श्री व० बा० (बम्बई नगर—उत्तर)
गाडगील, श्री नरहरि विष्णु (पूना मध्य)
गाडिलिगन गौड़, श्री (करनूल)
गाम मल्लूदोरा, श्री (विशाखापटनम्—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
गिडवानी, श्री चौइथ राम परताबराय (थाना)
गिरधारी भोई, श्री (कालाहांडी-बोलनगिरि रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
गिरी, श्री व० वे० (पातपटनम्)
गुप्त, श्री बादशाह (जिला मैनपुरी—पूर्व)
गुप्त, श्री लागन चन्द्र (कलकत्ता—दक्षिण-पूर्व)
गुरुपादस्वामी, श्री म० शि० (मैसूर)
गुलाम कादिर, श्री (जम्मू तथा काश्मीर)
गुह, श्री अरुण चन्द्र (शान्ति पूर)
गोपालन, श्री अ० क० (कन्ननूर)
गोपीराम, श्री (मंडी-महासू रक्षित—अनुसूचित जातियां)
गोविन्द दास, सेठ (मंडला—जबलपुर दक्षिण)
गोहेन, श्री चौखामून (नामनिर्देशित—आसाम आदिम जाति क्षेत्र)
गोतम, श्री (बालाघाट)
गौंडर श्री० क० पैरियस्वामी (इरोड)
गोंडर श्री के० शक्तिवाडिवेल (पैरियाकुलम)

घ

घोष, श्री अतुल्य (बर्दवान)

च

चक्रवर्ती श्रीमती रेणु (बसिरहाट)
चटर्जी, श्री नि० चं० (हुगली)

चटर्जी, श्री तुषार (श्री रामपुर)
चटर्जी, डा० सुशील रंजन (पश्चिम दीनाजपुर)
चट्टोपाध्याय, श्री हरिन्द्रनाथ (विजयवाड़ा)
चतुर्वेदी, श्री रोहन लाल (जिला एटा--मध्य)
चन्दा, श्री अनिल कुमार (बीरभूम)
चन्द्रशेखर, श्रीमती म० (तिरुबल्लूर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
चांडक, श्री बी० ल० (बेतूल)
चाड़क ठा० लक्ष्मण सिंह (जम्मू तथा काश्मीर)
चालिहा, श्री विमलाप्रसाद (शिवसागर-- उत्तर लखीमपुर)
चावदा, श्री अकबर (बनसकंठा)
चेट्टियार, श्री ति० सू० आबिनाशीलिंगम् (तिरुपुर)
चेट्टियार श्री नागप्पा (रामनाथपुरम्)
चौधरी श्री गनेशी लाल (जिला शाहजहांपुर--उत्तर व खेरी पूर्व-रक्षित--अनुसूचित जातियां)
चौधरी, श्री त्रिदीव कुमार (बरहामपुर)
चौधरी, श्री निकुंजबिहारी (घाटल)
चौधरी, श्री मुहम्मद शफी (जम्मू तथा काश्मीर)
चौधरी, श्री च० रा० (नरसरावपटे)

(ज)

जगजीवन राम, श्री (शाहाबाद दक्षिण--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
जजवाड़े, श्री रामराज (संथाल परगना व हजारीबाग)
जयपाल सिंह, श्री (रांची पश्चिम--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)
जयरामन, श्री (तिंडीवनम--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
जयश्री, श्रीमती (बम्बई--उपनगर)
जयसूर्य, डा० न० म० (मेदक)
जांगडे, श्री रेशम लाल (बिलासपुर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
जेठन, श्री खेरवार (पालामऊ व पजारीबाग व रांची--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)
जेना, श्री कान्हुचरण (बालासोपर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
जेना, श्री निरंजन (ढेंकनाल--पश्चिम कटक--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
जैना, श्री लक्ष्मीधर (जाजपुर क्योंझर--रक्षित अनुसूचित जातियां)
जैदी, कर्नल ब० हु० (जिला हरदोई उत्तर पश्चिम व जिला फरुखाबाद पूर्व व जिला शाहजहांपुर दक्षिण)
जैन, श्री, अजित प्रसाद (जिला सहारनपुर--पश्चिम व जिला मुजफ्फनगर--उत्तर)
जैन, श्री नेमी शरन (जिला बिजनौर--दक्षिण)
जोगेन्द्र सिंह, सरदार (जिला बहराइच--पश्चिम)
जोशी, श्री आनन्द चन्द्र (शाहडोल-सीधी)
जोशी, श्री कृष्णाचार्य (यादगीर)
जोशी, श्री जेठालाल हरिकृष्ण (मध्य सौराष्ट्र)
जोशी, श्री नंदलाल (इंदौर)
जोशी, श्री मोरेश्वर दिनकर (रत्नगिरि दक्षिण)
जोशी श्री लीलाधर (शाजापुर-राजगढ़)

जोशी, श्रीमती सुभद्रा (करनाल)
ज्वाला प्रसाद, श्री (अजमेर उत्तर)

(ञ)

झुनझुनवाला, श्री बनारसी प्रसाद (भागलपुर मध्य)

(ट)

टंडन, श्री पुरुषोत्तम दास (जिला इलाहबाद पश्चिम)

(ड)

डामी श्री फूलसिंह जी भ० (कैरा–उत्तर)
डामर, श्री अमर सिंह साबजी (झबुआ––रक्षित––अनुसूचित आदिम जातियां)

(त)

तिम्मय्या, श्री डोडा (कौलार––रक्षित––अनुसूचित जातियां)
तिवारी, पंडित द्वारका नाथ (सारन दक्षिण)
तिवारी, पंडित ब० ला० (नीमाड़)
तिवारी, सरदार राज भानू सिंह (रीवा)
तिवारी, श्री राम सहाय (छत्तरपुर––दतिया टीकमगढ़)
तिवारी, श्री बेंकटेश नारायण (जिला कानपुर––उत्तर व जिला फरुखाबाद दक्षिण)
तुलसीदास, किलाचन्द श्री (मेहसना पश्चिम)
तेलकीकर, श्री शंकर राव (नन्देड़)
त्यागी, श्री महावीर (जिला देहरादून व जिला बिजनोर––उत्तर पश्चिम व जिला सहारनपुर––पश्चिम)
त्रिपाठी, श्री कामाख्या प्रसाद (दर्रांग)
त्रिपाठी, श्री विश्वम्भर दयाल (जिला उन्नाव व जिला राय बरेली––पश्चिम व जिला हरदोई––दक्षिण-पूर्व)
त्रिपाठी श्री हीरावल्लभ (जिला मुजफ्फरनगर––दक्षिण)
त्रिवेदी श्री उम्मा शंकर मूलजीभाई (चित्तौड़)

(थ)

थिरानी, श्री (बारगढ़)
थामस, श्री अ० म० (एरणाकुलम)
थामस, श्री अ० व० (श्रीबैकुंठम्)

(द)

दत्त, श्री असीम कृष्ण (कलकत्ता दक्षिण––पश्चिम)
दत्त, श्री सन्तोष कुमार (हावड़ा)

दशरथ देव, श्री (त्रिपुरा पूर्व)
दामोदरन, श्री नेत्तूर प० (तेल्लिबेरी)
दामोदरन, श्री गो० रं० (पोल्लाची)
दातार, श्री बलवन्त नागेश (बेलगांव उत्तर)
दास, श्री कमल कृष्ण (बीरभूम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
दास, श्री नयन तारा (मुंगेर सदर व जमुई—रक्षित अनुसूचित जातियां)
दास, श्री बसन्त कुमार (कंटाई)
दास, श्री ब० (जाजपुर-क्योंझर)
दास, श्री बेलीराम (बारपेटा)
दास, डा० मन मोहन (वर्दवान—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
दास, श्री राम धनी (गया पूर्व–रक्षित—अनुसूचित जातियां)
दास, श्री रामानन्द (बैरकपुर)
दास, श्री विजय चन्द्र (गंजम दक्षिण)
दास, श्री सारंगधर (ढेंकनाल—पश्चिम कटक)
दास, श्री श्री नारायण (दरभंगा मध्य)
दिगम्बर सिंह, श्री (जिला एटा–पश्चिमव व जिला मैनपुरी पश्चिम व जिला मथुरा-पूत)
दीवान, श्री राधवेन्द्र राव श्री निवास राव (उस्मानाबाद)
दुबे, श्री मूलचन्द (जिला फर्रुखाबाद उत्तर)
दुबे, श्री राजाराम गिरधर लाल (बीजापुर—उत्तर)
देव, श्री सुरेश चन्द्र (कचार लुशाई पहाड़ियां)
देवगम, श्री कान्हुराम (चायबसा—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
देशपांडे, श्री गोविन्द हरि (नासिक मध्य)
देशपांडे, श्री विष्णु घनश्याम (गुना)
देशमुख, श्री कृ० गु० (अमरावती पश्चिम)
देशमुख, डा० पंजाब राव श० (अरावती पूर्व)
देसाई, श्री कन्हैयालाल नानाभाई (सूरत)
देसाई, श्री खंडूभाई कासनजी (हालर)
द्विवेदी, श्री म० ला० (जिला हमीरपुर)
द्विवेदी, श्री दशरथ प्रसाद (जिला गोरखपुर मध्य)

(ध)

धुलेकर, श्री र० विए (जिला झांसी—दक्षिण)
धुसिया, श्री सोहन लाल (जिला बस्ती—मध्य व जिला गोरखपुर—पश्चिम—रक्षित अनुसूचित जातिया)
धोलकिया, श्री गुलाब शंकर अमृत लाल (कच्छ–पूर्व)

(न)

नन्दा, श्री गुलजारी लाल (सबरकांठा)
नटराजन, श्री श० श० (श्री विल्लीपुत्तूर)
नटवाडकर, श्री जयन्त राव गणपति (पश्चिम खानदेश—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

नथवानी, श्री नरेन्द्र (सोरठ)
नथानी, श्री हरि राम (भीलवाड़ा)
नम्बियार, श्री क० आनन्द (मयूरम)
नरसिंहम्, श्री च० रा० (कृष्णगिरी)
नरसिंहम्, श्री श० व० ल० (गुंटूर)
नासकर, श्री पूर्णेन्दु शेखर (डायमंड हारबर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
नानादास श्री, मंगलगिरि (ओंगोल—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
नायडू श्री, गोविन्दराजुलू (तिरुवल्लूर)
नायडू, श्री नाला रेड्डी (राजामुंद्री)
नायर, श्री नी० श्रीकान्तन (क्विलोन व मावेलिक्करा)
नायर, श्री वे० प० (चिरनीयकील)
नायर, श्री च० कृष्णन (बाह्य दिल्ली)
नेवटिया, श्री रा० प्र० (जिला शाहजहांपुर—उत्तर व खेरी—पूर्व)
नेसवी, श्री ति० रु० (धारवाड़—दक्षिण)
नेहरू, श्रीमती उमा (जिला सीतापुर व जिला खेरी—पश्चिम)
नेहरू, श्री जवाहरलाल (जिला इलाहाबाद—पूर्व व जिला जौनपुर—पश्चिम)
नेहरू, श्रीमती शिवराजवती (जिला लखनऊ—मध्य)

(प)

पटनायक, श्री उमा चरण (धुमसूर)
पटेरिया, श्री सुशील कुमार (जबलपुर—उत्तर)
पटेल, श्री बहादुरभाई कुंठाभाई (सूरत—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
पटेल, श्रीमति मणिबेन वल्लभभाई (कैरा—दक्षिण)
पटेल, श्री राजेश्वर (मुजफ्फरपुर व दरभंगा)
पन्नालाल, श्री (जिला फैजाबाद—उत्तर-पश्चिम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
परमार, श्री रूपजी भावजी (पंच महल व बड़ौदा पूर्व—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
परांजपे, श्री (मीर)
परागी लाल, चौधरी (जिला सीतापुर व जिला खेरी—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
पवार, श्री बेंकटराव पीराजीराव (दक्षिण सतारा)
पाण्डे, डा० नटवर (सम्बलपुर)
पाण्डे, श्री व० द० (जिला नैनीताल व जिला अलमोड़ा—दक्षिण पश्चिम व जिला बरेली—उत्तर)
पाण्डे, श्री बद्रीदत्त (जिला अलमोड़ा—उत्तर-पूर्व)
पाटस्कर, श्री हरि विनायक (जलगांव)
पाटिल, श्री सा० का० (बम्बई नगर दक्षिण)
पाटिल, श्री पं० रा० कानावडे (अहमदाबाद—उत्तर)
पाटिल, श्री शंकरगौड वीरनगौड (बैलगांव दक्षिण)
पारिख, डा० जयंती लाल नरवरम् (झालावाड़)
पारिख, श्री शांतिलाल गिरधारी लाल (मेहसाना—पूर्व)
पालचौधरी, श्रीमती इला (नवद्वीप)
पिल्ले, श्री पे० ति० थानू (तिरुनेलवेली)
पुन्नूस, श्री (आल्लप्पि)

पौकर साहेब, श्री (मलपुरम)
प्रभाकर, श्री नवल (बाह्य दिल्ली—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

(फ)

फोतेदार, पण्डित शिवनारायण (जम्मू तथा काश्मीर)

(ब)

बंसल, श्री धमण्डी लाल (झज्जर-रिवाड़ी)
बंसीलाल, श्री (जयपुर)
बदनसिंह, चौधरी (जिला बदायूं—पश्चिम)
बर्मन, श्री उपेन्द्रनाथ (उत्तर बंगाल—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बरुआ, श्री देवकान्त (नौगांव)
बलदेव सिंह, सरदार (नवांशहर)
बसु, श्री अ० क० (उत्तर बंगाल)
बसु, श्री कमल कुमार (डायमंड हार्बर)
बहादुर सिंह, श्री (फिरोजपुर-लुधियाना—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बागडी, श्री मगन लाल (महासमुंद)
बाबू नाथ सिंह, श्री (सरगुजा-रायगढ़—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बारुपाल, श्री पन्नालाल (गंगानगर झुंझनू—रक्षित—अनुसूचित जातियाँ)
बालकृष्णन, श्री स० चि० (इरोड—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बालसुब्राहण्यम, श्री स० (मदुरे)
बाल्मीकी, श्री कन्हैया लाल (जिला बुलंदशहर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बासप्पा, श्री चि० र० (तमकुर)
बिदारी, श्री रामप्पा बालप्पा (बीजापुर—दक्षिण)
बीरबल सिंह, श्री (जिला जौनपुर—पूर्व)
बीरेन दत्त, श्री (त्रिपुरा पश्चिम)
ब्रुच्चिकोटय्या, श्री सनक (मसुलीपट्टनम्)
बूवराघस्वामी, श्री वे० (पैराम्बलूर)
बैनर्जी, श्री दुर्गाचरण (मिदनापुर-झाड़ग्राम)
बैरो, श्री ए० ज० था० (नाम निर्देशित—आंग्ल भारतीय)
बोगावत, श्री उ० रा० (अहमदनगर—दक्षिण)
बोरकर, श्रीमती अनुसूयाबाई माउराव (भंडारा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बोस, श्री (मानभूम—उत्तर)
ब्रजेश्वर प्रसाद, श्री (गया पूर्व)
ब्रह्मचौधरी, श्री सीतानाथ (ग्वालपाड़ा-गारो पहाड़ियां—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

(भ)

भक्त दर्शन, श्री (जिला गढ़वाल—पूर्व व जिला मुरादाबाद—उत्तर पूर्व)
भगत, श्री ब० रा० (पटना व शाहाबाद)
भटकर, श्री लक्ष्मण श्रवन (बुलडाना-अकोला—रक्षित—अनुसूतिच जातियां)

भट्ट, श्री चन्द्रशेखर (भढ़ौच)
भवनजी अ० खीमजी, श्री (कच्छ–पश्चिम)
भवानी सिंह, श्री (बाड़मेड़-जालोर)
भार्गव, पण्डित ठाकुरदास (गुड़गांव)
भार्गव, पंडित मुकट बिहारीलाल (अजमेर––दक्षिण)
भारती, श्री गोस्वामी राजा सहदेव (यवतमाल)
भारतीय, श्री शालिग्राम रामचन्द्र (पश्चिम खानदेश)
भीखाभाई, श्री (बांसवाड़ा-डुंगरपुर––रक्षित––अनुसूचित जातियां)
भौंसले, श्री जगन्नाथराव कृष्णराव (रत्नगिरी–– उत्तर)

(म)

मंडल, डा० पशुपति (बांकुरा––रक्षित––अनुसूचित जातियां)
मजीठिया, सरदार सुरजीत सिंह (तरनतारन)
मथुरम्, डा० एडवर्ड पाल (तिरुचिरापल्ली)
मल्लय्या, श्री उ० श्रीनिवास (दक्षिण कनड़––उत्तर)
मसुरिया दीन, श्री (जिला इलाहाबाद––पूर्व व जिला जौनपुर––पश्चिम––रक्षित––अनुसूचित जातियां)
मसूदी, मोलाना मुहम्मद सईद (जम्मू तथा काश्मीर)
महता, श्री बलवन्तसिंह (उदयपुर)
महाता, श्री भजहरी (मानभूम दक्षिण व धालभूम)
महोदय, श्री बैजनाथ (निमार)
माझी, श्री रामचन्द्र (मयूरभंज––रक्षित––अनुसूचित आदिम जातियां)
माझी, श्री चेतन (मानभूम दक्षिण व धालभूम––रक्षित––अनुसूचित आदिम जातियां)
मात्तन, श्री (तिरुवल्ला)
मादियागौडा, श्री (बंगलौर––दक्षिण)
मायदेव, श्रीमती इन्दिरा अ० (पूना––दक्षिण)
मालवीय, श्री केशव देव (जिला गोंडा––पूर्व व जिला बस्ती––पश्चिम)
मालवीय, श्री मोतीलाल (छत्तरपुर-दतिया-टीकमगढ़––रक्षित––अनुसूचित जातियां)
मालवीय, श्री भगुनन्दु (शाजापुर-राजगढ़––रक्षित––अनुसूचित जातियां)
मालवीय, पंडित चतुरनारायण (रायसेन)
मावलंकर, श्रीमती सुशीला (अहमदाबाद)
मिनीमाता, श्रीमती (बिलासपुर–दुर्ग–रायपुर––रक्षित––अनुसूचित जातियां)
मिश्र, श्री भूपेन्द्र नाथ (बिलासपुर-दुर्ग-रायपुर)
मिश्र, श्री मथुरा प्रसाद (मुंगेर उत्तर-पश्चिम)
मिश्र, श्री रघुवर दयाल (जिला बुलन्दशहर)
मिश्र, श्री ललित नारायण (दरभंगा व भागलपुर)
मिश्र, पंडित लिंगराज (खुर्दा)
मिश्र, श्री लोकनाथ (पुरी)
मिश्र, श्री विशेश्वर (गया उत्तर)
मिश्र, श्री विभूति (सारन व चम्पारन)
मिश्र, श्री श्याम नन्दन (दरभंगा उत्तर)

मिश्र, श्री सरजू प्रसाद (जिला देवरिया--दक्षिण)
मिश्र, पंडित सुरेश चन्द्र (मुंगेर--उत्तर-पूर्व)
मुकर्जी, श्री हीरेन्द्रनाथ (कलकत्ता--उत्तर-पूर्व)
मुक्णे, श्री य० मा० (थाना--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)
मुचाकी कोसा, श्री (बस्तर--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)
मुत्तुकृष्णन्, श्री मु० (वेल्लूर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
मुदलियार, श्री चि० रामस्वामी (कुम्बकोणम)
मुनिस्वामी, श्री (तिंडीवनम)
मुनिस्वामी, श्री न० रा० (वान्दिवाश)
मुरली मनोहर, श्री (जिला बलिया--पूर्व)
मुरारका, श्री राधेश्याम राम कुमार (गंगानगर-झुंझनू)
मुसहर, श्री किराई (भागलपुर व पूर्निया--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
मुसाफिर, श्री गुरुमुख सिंह (अमृतसर)
मुहम्मद अकबर, सूफी (जम्मू तथा काश्मीर)
मुहीउद्दीन श्री अहमद, (हैदराबाद नगर)
मूर्त्ति, श्री ब० स० (एलुरु)
मेनन, श्री दामोदर (कोजिकोडे)
मेहता, श्री अशोक (भंडारा)
मेहता, श्री जसवन्तराज (जोधपुर)
मेहता, श्री बलवन्तराय गोपाल जी (गोहिलवाड़)
मैत्र, श्री मोहित कुमार (कलकत्ता--उत्तर-पश्चिम)
मैथ्यू, श्री (कोट्टयम्)
मैस्करीन, कुमारी नी (त्रिवेन्द्रम्)
मोरे, श्री कृ० ल० (कोल्हापुर व सतारा--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
मोरे, श्री शंकर शांताराम (शोलापुर)

रघरामैय्या, श्री कोत्ता (तेनालि)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला बनारस--मध्य)
रघुवीर सहाय, श्री (जिला एटा--उत्तर-पूर्व व जिला बदायूं--पूर्व)
रघुवीर सिंह, चौधरी (जिला आगरा--पूर्व)
रज़मी, श्री सयदुल्ला खां (सिहोर)
रणजीत सिंह, श्री (संगरूर)
रनदमन सिंह, श्री (शाहडोल-सीधी--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)
रणवीर सिंह, चौ० (रोहतक)
रहमान, श्री मु० हिफ्जुर (जिला मुरादाबाद--मध्य)
राउत, श्री भोला (सारन व चम्पारन--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
राघवाचारी, श्री (पेनुकोंडा)
राघवैया, श्री पशुपित वैंकट (ओंगोल)
राचय्या, श्री न० (मैसूर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

राजबहादुर, श्री (जयपुर-सवाई माधोपुर)
राजभोज, श्री पा० ना० (शोलापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
राधा रमण, श्री (दिल्ली नगर)
राने, श्री शिवराम रांगो (भूसावल)
रामकृष्ण, श्री (महेन्द्रगढ़)
रामचन्द, डा० दो० (वेल्लोर)
राम दास, श्री (होशियारपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
रामनारायण सिंह, बाबू (हजारी बाग पश्चिम)
रामशंकर लाल, श्री (जिला बस्ती—मध्य-पूर्व व जिला गोरखपुर—पश्चिम)
राम शरण, श्री (जिला मुरादाबाद—पश्चिम)
रामशेषय्या, श्री म० (पार्वतीपुरम)
राम सुभग सिंह, डा० (शाहबाद—दक्षिण)
रामस्वामी, श्री म० दो० (अरुपुक्कोटायी)
रामस्वामी, श्री सें० वें० (सैलम)
रामस्वामी, श्री पु० (महबूबनगर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
रामानन्द तीर्थ, स्वामी (गुलबर्गा)
रामानन्द शास्त्री, स्वामी (जिला उन्नाव व जिला रायबरेली—पश्चिम व जिला हरदोई—दक्षिण-पूर्व—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
राय, श्री विश्व नाथ (जिला देवरिया—पश्चिम)
राय, डा० सत्यवान (उलुबेरया)
राव, श्री काडला गोपाल (गुडिवाडा)
राव, श्री कनेटी मोहन (राजमुंद्री—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
राव, श्री कोंदू सुब्बा (एलुरु—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
राव, श्री त० व० विट्ठल (खम्मम)
राव, श्री पो० सुब्बा (नौरंगपुर)
राव, श्री पेंड्याल राघव (वारंगल)
राव, श्री बो० राजगोपाल (श्रीकाकुलम)
राव, श्री वें० शिवा (दक्षिण कनड़—दक्षिण)
राव, श्री रायसम शेषगिरि (नन्दयाल)
राव, डा० चे० वें० रामा (काकिनाडा)
रिचर्डसन, बिशप जान (नामनिर्देशित—अन्दमान तथा निकोबार द्वीप)
रिशांग किशिंग, श्री (बाह्य मनीपुर—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
रूप नारायण, श्री (जिल मिर्जापुर व जिला बनारस—पश्चिम—रक्षित अनुसूचित जातियां)
रे, श्री बीरकिशोर (कटक)
रेड्डी, श्री जनार्दन (महबूबनगर)
रेड्डी, श्री विश्वनाथ (चित्तूर)
रेड्डी, श्री बद्दम येल्ला (करीमनगर)
रेड्डी, श्री बे० रामचन्द्र (नेल्लोर)
रेड्डी, श्री रवि नारायण (नलगोंडा)
रेडडी, श्री ईश्वर (कड़पा)
रेडडी, श्री माधव (आदिलाबाद)

(ल)

लंका सुन्दरम, डा० (विशाखापटनम्)
लक्ष्मय्या, श्री पेडी (अनन्तपुर)
लल्लनजी, श्री (जिला फैजाबाद—उत्तर पश्चिम)
लाल सिंह, सरदार (फीरोजपुर-लुधियाना)
लाश्कर, श्री निवारण चन्द्र (कचार-लुशाई पहाड़ियां—रक्षित अनुसूचित जातियां)
लिंगम, श्री न० मा० (कोयम्बटूर)
लोटन राम, श्री (जिला जालोन व जिला इटावा—पश्चिम व जिला झांसी—उत्तर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

(व)

वर्मा, श्री बुलाकी राम (जिला हरदोई—उत्तर-पश्चिम व जिला फरुखाबाद—पूर्व व जिला शाहजहांपुर—दक्षिण—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
वर्मा, श्री वि० बि० (चम्पारन उत्तर)
वर्मा, श्री माणिक्य लाल (टोंक)
वर्मा, श्री राम जी (जिला देवरिया—पूर्व)
वल्लाथसस, श्री क० मु० (पुदुकोटै)
वाघमारे, श्री नारायण राव (परभणी)
विल्सन, श्री ज० न० (जिला मिर्जापुर व जिला बनारस—पश्चिम)
विश्वनाथ प्रसाद, श्री (जिला आजमगढ़—पश्चिम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
वीरस्वामी, श्री वो० (मयूरम्—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
वैंकटरामन् श्री र० (तंजोर)
वेलायुधन, श्री र० (क्विलोन व मावेलिक्करा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
वैश्य, श्री मूलदास भूधरदास (अहमदाबाद—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
वैष्णव, श्री हनुमन्तराव गणेशराव (अम्बड़)
वोडयार, श्री कू० टु० (शिमोगा)
व्यास, श्री राधेलाल (उज्जैन)

(श)

शंकरपाडियन्, श्री त० मा० (शंकरनायिनारकोविल)
शकुन्तला नायर, श्रीमती (जिला गोंडा—पश्चिम)
शर्मा, पंडित कृष्णचन्द्र (जिला मेरठ—दक्षिण)
शर्मा, श्री खुशी राम (जिला मेरठ—पश्चिम)
शर्मा, श्री दीवान चन्द्र (होशियारपुर)
शर्मा, श्री नन्दलाल (सीकर)
शर्मा, श्री राधा चरण (मुरैना—भिंड)
शास्त्री, श्री राजा राम (जिला कानपुर—मध्य)
शाह, हर हाइनस राजमाता कमलेन्दुमति (जिला गढ़वाल—पश्चिम व जिला टिहरी गढ़वाल व जिला बिजनौर—उत्तर)
शाह, श्री चिमनलाल चाकूभाई गोहिलवाड़—सोरठ)

शाह, श्री रायचन्दभाई न० (छिंदवाड़ा)
शिव, डा० गंगाधर (चितूर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
शिवनंजप्पा, श्री (मंडया)
शुक्ल, पंडित भगवतीचरण (दुर्ग-बस्तर)
शोभाराम, श्री (अलवर)
श्रीमन्नारायण, श्री (वर्धा)

(स)

संगण्णा, श्री (रायगढ़ फूलबनी—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
सक्सेना, श्री मोहनलाल (जिला लखनऊ व जिला बाराबंकी)
सक्सेना, श्री शिब्बन लाल (जिला गोरखपुर—उत्तर)
सत्यवादी, डा० वीरेन्द्र कुमार (करनाल—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
सतीश चन्द्र, श्री (जिला बरेली—दक्षिण)
सर्मा, श्री देवेन्द्रनाथ (गौहाटी)
सर्मा, श्री देवेश्वर (गोलघाट—जोरहाट)
सहगल, सरदार अमर सिंह (बिलासपुर)
सामन्त, श्री सतीश चन्द्र (तामलुक)
साहू, श्री भागवत (बालासौर)
साहू, श्री रामेश्वर (मुजफ्फरपुर व दरभंगा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
सिंघल, श्री श्री चन्द (जिला अलीगढ़)
सिंह, श्री गिरिराज शरण (भरतपुर-सवाई माधोपुर)
सिंह, श्री चंडिकेश्वर शरणसिंहजू (सरगुजारायगढ़)
सिंह, श्री झूलन (सारन उत्तर)
सिंह, श्री त्रिभुवन नारायण (जिला बनारस—पूर्व)
सिंह, श्री दिग्विजय नारायण (मुजफ्फरपुर—उत्तर—पूर्व)
सिंह, श्री दिनेश प्रताप (जिला बहराइच—पूर्व)
सिंह, श्री बनारसी प्रसाद (मुंगेर—सदर व जमुई)
सिंह, श्री महेन्द्रनाथ (सारन मध्य)
सिंह, ठाकुर युगल किशोर (मुजफ्फरनगर—उत्तर पश्चिम)
सिंह, श्री राम नगीना (जिला गाजीपुर पूर्व व जिला बलिया—दक्षिण-पश्चिम)
सिंह, श्री लेसराम जोगेश्वर (आंतरिक मनीपुर)
सिंह, डा० सत्यनारायण (सारन—पूर्व)
सिंह, श्री सत्यनारायण (समस्तीपुर—पूर्व)
सिंह, श्री सत्येन्द्र नारायण (गया—पश्चिम)
सिंह, श्री हर प्रसाद (जिला गाजीपुर—पश्चिम)
सिंहासन सिंह, श्री (जिला गोरखपुर—दक्षिण)
सिद्धनंजप्पा, श्री ह० (हसन चिकमगूर)
सिन्हा, श्री स० (पाटलिपुत्र)
सिन्हा, श्री कैलाशपति (पटना—मध्य)
सिन्हा, श्री गजेन्द्र प्रसाद (पालामऊ व हजारी बाग व रांची)
सिन्हा, श्रीमती तारकेश्वरी (पटना—पूर्व)

सिन्हा, श्री नागेश्वर प्रसाद (हजारीबाग--पूर्व)
सुन्दरलाल, श्री (जिला सहारनपुर--पश्चिम व जिला मुजफ्फरनगर--उत्तर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
सुब्रह्मण्य, श्री चेट्टियार (धर्मपुरी)
सुब्रह्मण्यम्, श्री कांडला (विजयनगरम्)
सुब्रह्मण्यम्, श्री टेकूर (बेल्लारी)
सुरेशचन्द्र, डा० (औरंगाबाद)
सूर्य प्रसाद, श्री (मुरैना-भिंड--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
सेन, श्री फनीगोपाल (पूर्णिया--मध्य)
सेन, श्री राज चन्द्र (कोटा-बूंदी)
सेन, श्रीमती सुषमा (भागलपुर--दक्षिण)
सेवल, श्री अ० रा० (चम्बा-सिरमूर)
सय्यद महमूद, डा० (चम्पारन--पूर्व)
सोधिया, श्री खूब चन्द (सागर)
सोमना, श्री न० (कुर्ग)
सोमानी, श्री ग० घ० (नागौर-पाली)
स्नातक, श्री नरदेव (जिला अलीगढ़--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
स्वामी, श्री शिवमूर्ती (कुष्टगी)
स्वामीनाथन, श्रीमती अम्मू (डिंडीगुल)

(ह)

हंसदा, श्री बैंजमिन (पूर्निया व संथाल परगना--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)
हजारिका, श्री जोगेन्द्र नाथ (डिब्रूगढ़)
हरिमोहन, डा० (मानभूम उत्तर-रक्षित--अनुसूचित जातियां)
हासदा, श्री सुबोध (मिदनापुर-झाड़ग्राम--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)
हुक्म सिंह, सरदार (कपूरथला-भटिंडा)
हेडा, श्री (निजामाबाद)
हेमब्रोम, श्री लाल (संथाल परगना व हजारी बाग--रक्षित--अनुसूचित जादिम जातियां)
हेम राज, श्री (कांगड़ा)
हैदर हुसैन, चौधरी (जिला गोंडा--उत्तर)

लोक-सभा

अध्यक्ष

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगार

उपाध्यक्ष

सरदार हुक्म सिंह

सभापति तालिका

पंडित ठाकुर दास भार्गव
श्री राघवाचारी
श्री उपेन्द्रनाथ बर्मन
श्री फ्रैंक एन्थनी
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती
श्रीमती सुषमा सेन

सचिव

श्री महेश्वर नाथ कौल, बैरिस्टर-एट-ला

कार्य-मंत्रणा समिति

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगार (सभापति)
सरदार हुक्म सिंह
पंडित ठाकुर दास भार्गव
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती
श्री सत्य नारायण सिंह
श्री अ० म० थामस
श्री नरहरि विष्णु गाडगिल
श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा
श्री देवकांत बरुआ
श्री म० ल० द्विवेदी
श्री रघुवीर सहाय
श्री अशोक मेहता
श्री ब० रामचन्द्र रेड्डी
श्री उमा चरण पटनायक
श्री जयपाल सिंह

विशेषाधिकार समिति

सरदार हुक्म सिंह (सभापति)
श्री हरि विनायक पाटस्कर
श्री सत्य नारायण सिंह
पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय
श्री देव कान्त बरुआ
श्री वैंकटरामन्
श्री टेकूर सुब्रह्मण्यम
श्री नेमि चन्द्र कासलीवाल
श्री अ० क० गोपालन
श्री कृपालानी
श्री शं० शो० मोरे
श्री फ्रैंक एन्थनी
श्री नेमि शरण जैन
श्री राम सहाय तिवारी
ठा० लक्ष्मण सिंह चाड़क

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति

श्री गणेश सदाशिव आल्तेकर (सभापति)
श्री गणेशी लाल चौधरी
श्री राम शंकर लाल
श्री चांडक
श्री पैडी लक्ष्मय्या
श्री महेन्द्र नाथ सिंह
श्री शिवराम रांगो राने
श्री फूलसिंहजी ब० डाबी
श्री भागवत झा आज़ाद
श्री राम दास
श्री उ० मु० त्रिवेदी
राजमाता कमलेन्दुमति शाह
श्री च० रा० चौधरी
श्री वल्लाथरास
श्री विज्ञेश्वर मिश्र

आश्वासनों सम्बन्धी समिति

श्री राघवाचारी (सभापति)
श्री जसवन्त राज मेहता
श्री त० ब० विट्ठल राव
श्री दामोदर मेंनन
श्री बैरो

श्री अनिरुद्ध सिंह
श्री राधा चरण शर्मा
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा
पंडित कृष्ण चन्द्र शर्मा
श्री मात्तन
सरदार इकबाल सिंह
श्री बसन्तकुमार दास
श्री भूपेन्द्र नाथ मिश्र
श्री वैंकटरामन
पंडित लिंगराज मिश्र

याचिका समिति

श्री कोत्ता रघुरामय्या (सभापति)
श्री शिव दत्त उपाध्याय
श्री अच्युतन
श्री सोहन लाल धुसिया
श्री स० चं० देव
श्री लीलाधर जोशी
श्री बोगावत
श्री जेठालाल हरिकृष्ण जोशी
श्री राम राज जजवाड़े
श्री रेशम लाल जांगड़े
श्री पा० ना० राजभोज
श्री पैं० सुब्बाराव
श्री आनंद चन्द
डा० च० वीं० रामाराव
श्री राम जी वर्मा

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

सरदार हुक्म सिंह (सभापति)
श्री रघुनाथ सिंह
श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा
श्री गणेश सदाशिव आल्तेकर
श्री गोस्वामी राजा सहदेव भारती
श्री नरेन्द्र प० नथवानी
श्री राधेश्याम रामकुमार मुरारका
श्रीमती इला पालचौधरी
श्री न० राचय्या
श्री त० ब० विट्ठलराव
श्री माधव रेड्डी

श्री न० श्रीकान्तन नायर
श्री रायसाम शेषगिरी राव
श्री जय पाल सिंह
श्री रामचन्द्र रेड्डी

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति

श्री नि० चं० चटर्जी (सभापति)
श्री सैं० वे० रामस्वामी
श्री न० म० लिगम्
श्री अ० इब्राहीम
श्री हनुमन्तराव गणेशराव वैष्णव
श्री गणपति राम
श्री नन्दलाल जोशी
श्री दीवान चन्द शर्मा
श्री हेम राज
श्री ह० सिद्धनंजप्पा
डा० अ० कृष्णस्वामी
श्री तुलसीदास किलाचन्द
श्री हीरेन्द्र नाथ मुकर्जी
श्री म० शि० गुरुपादस्वामी

प्राक्कलन समिति

श्री बलवन्त राय गोपालजी मेहता (सभापति)
श्री ब० स० मूर्त्ति
श्रीमती खोंगमन
श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा
श्री चांडक
श्री वैंकटेशनारायण तिवारी
श्री सतीशचन्द्र सामन्त
श्री रावबेन्द्रराव श्रीनिवासराव दीवान
श्री म० र० कृष्ण
श्री जेठालाल हरिकृष्ण जोशी
श्री पं० सुब्बा राव
श्री विष्णु घनश्याम देशपांडे
श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह
पंडित द्वारका नाथ तिवारी
श्री वै० रा० नरसिंहन्
श्री रघुवीर सहाय
श्री अब्दुस्सत्तार
श्री लक्ष्मण सिंह चाड़क

श्री राचय्या
श्री राधेश्याम रामकुमार मुरारका
श्री मंगल गिरि नाना दास
श्री त० ब० विट्ठल राव
श्री गाडलिंगन गौड़
श्री जसवन्त राज मेहता
श्री बैरो
श्री चोईथराम परताबराय गिडवानी

सामान्य प्रयोजन समिति

श्री म० अनन्तशयनम अय्यंगार (सभापति)
सरदार हुक्म सिंह
पंडित ठाकुर दास भार्गव
श्री उपेन्द्र नाथ बर्मन
श्री फ्रैंक एन्थनी
श्रीमती रेणु चक्रवर्त्ती
श्रीमती सुषमा सेन
श्री राघवाचारी
श्री ब० गो० मेहता
श्री व० बा० गांधी
श्री सत्य नारायण सिंह
श्री नि० चं० चटर्जी
श्री कोत्ता रघुरामय्या
श्री आल्तेकर
श्री मल्लय्या
श्री अ० क० गोपालन
श्री तुलसीदास किलाचन्द
श्री कृपालानी
श्री उमाचरण पटनायक
डा० अ० कृष्णस्वामी

आवास समिति

श्री उ० श्रीनिवास मल्लय्या (सभापति)
श्री बीरबल सिंह
श्री राधा चरण शर्मा
श्री जार्ज थामस कौट्टकपल्ली
श्री दिग्विजय नारायण सिंह
श्री कृष्णाचार्य जोशी
श्री न० सोमना
श्री भूपेन्द्र नाथ मिश्र

श्री गोविन्दस्वामी काचिरायर
श्री राज चन्द्र सेन
श्री आनन्द नम्बियार
श्री म० शि० गु पादस्वामी

संसद्-सदस्यों के वेतन और भत्तों संबन्धी संयुक्त समिति

लोक-सभा

श्री सत्य नारायण सिंह (सभापति)
श्री भागवत झा आज़ाद
श्री उ० श्री० मल्लय्या
श्री दीवान चन्द शर्मा
श्री जगन नाथ कोले
श्री गो० ह० देशपाण्डे
श्री नेमी चन्द्र कासलीवाल
श्री नि० चं० चटर्जी
श्री पुन्नूस
श्री अशोक मेहता

राज्य-सभा

श्री हि० चं० दासप्पा
श्री नारायना
श्री रा० प्र० न० सिन्हा
श्रीमती चन्द्रावती लखनपाल
श्री धागे

पुस्तकालय समिति

लोक-सभा

सरदार हुक्म सिंह (सभापति)
श्री म० ल० द्विवेदी
श्री उमा चरण पटनायक
श्री मो० दि० जोशी
श्री हीरेन्द्रनाथ मुकर्जी
श्री वे० न० तिवारी

राज्य सभा

प्रोफेसर रा० घा० सिंह दिनकर
श्रीमती लीलावती मुंशी
श्री थयोडोर ोडरा

लोक-लेखा समिति

लोक-सभा

श्री व० बा० गांधी (सभापति)
श्री कृ० ग० देशमुख
श्री ड० श्रीनिवास मल्लय्या
श्री दीवान चन्द शर्मा
श्री च० द० पांडे
श्री कमल कुमार बसु
श्री बूवराघस्वामी
श्री जयपाल सिंह
श्री निवारण चन्द्र लाश्कर
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा
श्री त्रिभुवन नारायण सिंह
श्री राधे लाल व्यास
श्री मात्तन
आचार्य कृपालानी
श्रीमती शकुंतला नायर

राज्य-सभा

श्री ग० रंगा
श्री र० म० देशमुख
श्रीमती पुष्पलता दास
श्री श्यामधर मिश्र
श्री तनखा
श्री घोष
श्री वल्लभ राव

नियम समिति

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगार (सभापति)
सरदार हुक्म सिंह
पंडित ठाकुर दास भार्गव
श्री सत्य नारायण सिंह
श्री केशव अय्यंगार
श्री शिवराम रांगो राने
श्री घमण्डी लाल बंसल
श्री वृशी राम शर्मा
श्री कोता रघुरामय्या
श्री सतीश चन्द्र सामन्त
डा० जयसूर्य
श्री नि० चं० चटर्जी
श्री फ्रैंक एन्थनी
श्री कमलकुमार बसु
श्री राघवाचारी

भारत सरकार

मंत्रिमंडल के सदस्य

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री, प्रतिरक्षा मंत्री तथा अणुशक्ति विभाग के भारसाधक मंत्री—
श्री जवाहरलाल नेहरू
शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री—मौलाना अबुल कलाम आज़ाद
गृह-कार्य मंत्री—श्री गोविंद बल्लभ पन्त
वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री—श्री मुरार जी देसाई
रेलवे तथा परिवहन मंत्री—श्री जगजीवन राम
स्वास्थ्य मंत्री—राजकुमारी अमृतकौर
योजना तथा सिंचाई और विद्युत् मंत्री—श्री गुलजारी लाल नंदा
वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री —श्री ति० त० कृष्णमाचारी
विधि तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री—श्री च० चं० विश्वास
निर्माण, आवास और संभरण मंत्री—सरदार स्वर्ण सिंह
उत्पादन मंत्री—श्री क० च० रेड्डी
खाद्य तथा कृषि मंत्री —श्री अजीत प्रसाद जैन
श्रम मंत्री—श्री खंडू भाई देसाई
बिना विभाग के मंत्री—श्री कृष्ण मेनन

मंत्रिमण्डल की कोटि के मंत्री (परन्तु मंत्रिमण्डल के सदस्य नहीं)

संसद्-कार्य मंत्री—श्री सत्य नारायण सिंह
प्रतिरक्षा संगठन मंत्री—श्री महावीर त्यागी
सूचना और प्रसारण मंत्री—डा० केसकर
व्यापार मंत्री—श्री करमरकर
कृषि मंत्री—डा० पंजाब राव श० देशमुख
वैदेशिक कार्य मंत्रालय में मंत्री—डा० सैयद महमूद
विधि कार्य तथा असैनिक उड्डयन मंत्री—श्री हरि विनायक पाटस्कर
प्राकृतिक संसाधन मंत्री—श्री के० दे० मालवीय
राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री—श्री म० च० शाह
राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री—श्री अरुण चन्द्र गुह
पुनर्वास मंत्री—श्री मेहर चन्द खन्ना
उपभोग वस्तु उद्योग मंत्री—श्री नित्यानन्द कानूनगो
संचार मंत्री—श्री राज बहादुर
गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री—श्री दातार
भारी उद्योग मंत्री—श्री मनहरलाल मनसुखलाल शाह
सामुदायिक विकास मंत्री—श्री सुरेन्द्र कुमार डे

उपमंत्री

प्रतिरक्षा उपमंत्री—सरदार सु० सिं० मजीठिया
श्रम उपमंत्री —श्री आबिद अली
पुनर्वास उपमंत्री—श्री ज० कृ० भोंसले
रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री—श्री अलगेशन
स्वास्थ्य उपमंत्री—श्रीमती चन्द्रशेखर
वैदेशिक कार्य उपमंत्री—श्री अनिला कुमार चन्दा
खाद्य उपमंत्री—श्री मो० वे० कृष्णप्पा
सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री—श्री जयसुखलाल हाथी
उत्पादन उपमंत्री—श्री सतीश चन्द्र
योजना उपमंत्री—श्री श्यामनन्दन मिश्र
शिक्षा उपमंत्री—डा० का० ला० श्रीमाली
वित्त उपमंत्री —श्री बली राम भगत
शिक्षा उपमंत्री—डा० मनमोहन दास
रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री—श्री शाहनवाज खां

सभा-सचिव

वैदेशिक-कार्य मंत्री की सभासचिव—श्रीमती लक्ष्मी मेनन
वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा सचिव—श्री जोगेन्द्र नाथ हजारिका
उत्पादन मंत्री के सभासचिव—श्री राजाराम गिरिधर लाल दुबे
वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभासचिव—श्री सादत अली खां
सूचना और प्रसारण मंत्री के सभासचिव—श्री राजगोपालन
निर्माण, आवास और संभरण मंत्री के सभासचिव—श्री पूर्णेन्दु शेखर नास्कर

लोक-सभा

गुरुवार २८ मार्च, १९५७

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

[देखिये भाग १]

११—४५ बजे

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

उच्च-न्यायालय न्यायाधीश (भाग क राज्य) नियमों का संशोधन

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : श्रीमान्, मैं उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम १९५४ की धारा २४ की उपधारा (३) के अधीन उच्च न्यायालय न्यायाधीश (भाग क राज्य) नियम, १९५६ में कुछ संशोधन करने वाली २८ फरवरी, १९५७ की अधिसूचना संख्या १६-३-५७ ज्यूडिशियल एक्ट १ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये एस—१०४/५७]**

उच्च-न्यायालय न्यायाधीश (भाग क राज्य) यात्रा भत्ता नियमों का संशोधन

†**श्री दातार** : श्रीमान्, मैं उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, १९५४ की धारा २४ की उप-धारा (३) के अधीन उच्च न्यायालय न्यायाधीश (भाग क राज्य) यात्रा भत्ता नियम, १९५६ में कुछ संशोधन करने वाली २८ फरवरी, १९५७ की अधिसूचना संख्या १६-३-५७—ज्यूडिशियल एक्ट (२) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये सख्या एस—१०५/५७]**

अत्यावश्यक पण्य अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें

†**खाद्य उपमंत्री (श्री मो० वे० कृष्णप्पा)** : श्रीमान् मैं आवश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अधीन निम्न दो अधिसूचनाओं की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं —

(१) २० नवम्बर, १९५४ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ३४४७।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री मो० वे० कृष्णप्पा]

(२) २१ जनवरी १९५७ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० २७१ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एस०–१०६/५७]

भारतीय विमान अधिनियम में संशोधन

†**विधि कार्य तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री पाटस्कर)** : श्रीमान्, मैं भारतीय विमान अधिनियम, १९३४ की धारा ५ की उपधारा (३) के अधीन भारतीय विमान नियम, १९३७ में आगे कुछ और संशोधन करने वाले व्याख्यात्मक टिप्पणों के साथ निम्न दो अधिसूचनाओं की एक एक प्रति, सभा पटल पर रखता हूं :

(१) ८ जनवरी, १९५७ की अधिसूचना संख्या ए० आर०/१९३७(२५) ।

(२) २८ जनवरी, १९५७ की अधिसूचना संख्या ए० आर०/१९३७ (२७) । **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एस० १०७/५७]**

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमों में संशोधन

†**राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अ० चं० गुह)** : श्रीमान् मैं केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अधीन केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम १९४४ के आगे कुछ और संशोधन करने वाली निम्न अधिसूचनाओं की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) २३ मार्च, १९५७ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ८९३ ।

(२) २३ मार्च, १९५७ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ८९४ । **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एस० १०८/५८]**

समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम के अधीन जारी की गई अधिसूचनायें

श्री अ० चं० गुह : श्रीमान्, मैं समुद्र सीमा-शुल्क (संशोधन) अधिनियम, १९५३ द्वारा निविष्ट समुद्र सीमा-शुल्क नियम, १८७८ की धारा ४३ख की उपधारा ४ के अधीन निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

१. ९ मार्च, १९५७ की अधिसूचना संख्या ३५ और ३६ ।

२. ९ मार्च, १९५७ की अधिसूचना संख्या ३२ और ३३ । **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एस–१०९/५७]**

औद्योगिक व्यापार संस्था प्रबन्ध (संचालकों की शक्तियां तथा कर्तव्य) विनियम

†**श्री अ० चं० गुह** : श्रीमान् मैं औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम १९४८ की धारा ४३ की उपधारा (३) के अधीन २८ फरवरी, १९५७ की अधिसूचना संख्या ४/५७ में प्रकाशित औद्योगिक व्यापार संस्था प्रबन्ध (संचालकों की शक्तियां तथा कर्त्तव्य) विनियम, १९४७ की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एस–११०/५७]**

अखिल भारतीय सेवा (समुद्र पार का वेतन, यात्रा भाड़ा और छुट्टी का वेतन) नियम

†**श्री दातार** : मैं अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उपधारा २ के अधीन १५ फरवरी, १९५७ की अधिसूचना संख्या एस ५२६ में प्रकाशित अखिल भारतीय सेवा

†मूल अंग्रेजी में ।

(समुद्र पार का वेतन, यात्रा भाड़ा और छुट्टी का वेतन) नियम, १९५७ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एस–१११/५७]**

केरल राज्य अधिनियम

†**श्री दातार** : मैं केरल राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, १९५६ की धारा ३ की उपधारा (३) के अधीन निम्नलिखित अधिनियमों की एक एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

(१) त्रावनकोर-कोचीन निर्वचन तथा सामान्य खण्ड (संशोधन) अधिनियम, १९५७ (१९५७ का संख्या ३)। **[पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एस०–११५/५७]**

(२) केरल बिक्री कर कानून (संशोधन) अधिनियम, १९५७ (१९५७ का संख्या ४)। **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एस––११६/५७]**

(३) दण्ड प्रक्रिया संहिता (केरल संशोधन) अधिनियम १९५७, (१९५७ का संख्या ५)। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एस––११७/५७]**

(४) केरल मार्ग परिवहन सेवायें (मान्यकरण) अधिनियम, १९५७ (१९५७ का संख्या ६) । **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एस––११८ /५७]**

(५) केरल राजस्व बोर्ड अधिनियम, १९५७ (१९५७ का संख्या ७) । **[पुस्तकालय मे रखा गया । देखिये संख्या एस––११९/५७]**

(६) केरल लघुवाद न्यायालय अधिनियम, १९५७ (१९५७ का संख्या ८)। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एस––१२०/ ५७]**

(७) केरल खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम, १९५७ (१९५७ का संख्या ९)। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एस––१२१/५७]**

मशीन औजार समिति का प्रतिवेदन

†**भारी उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : मैं मशीन औजार समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एस–––१२३ /५७]**

दिल्ली मोटर गाड़ी नियमों में संशोधन

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : मैं मोटर गाड़ी अधिनियम, १९३९ की धारा १३३ की उपधारा (३) के अधीन दिल्ली मोटरगाड़ी नियम १९४० में कुछ संशोधन करने वाली १४ मार्च १९५७ की अधिसूचना संख्या एफ–१२ (१३०)/५६ एम टी एण्ड सी आई की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं । **[पुस्ताकालय में रखी गई । देखिये संख्या एस––११२/५७]**

त्रावनवकोर-कोचीन मोटर गाड़ी नियमों में संशोधन

†**श्री शाहनवाज खां** : मैं मोटर गाड़ी अधिनियम, १९३९ की धारा १३३ की उपधारा (३) के अधीन त्रावनकोर-कोचीन मोटर गाड़ी नियम, १९५२ में आगे कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित दो अधिसूचनाओं की एक एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

(१) २४ जनवरी, १९५७ की अधिसूचना संख्या टी (बी) १/१०५४०/५५ पी डब्ल्यू।

(२) २९ दिसम्बर, १९५६ की अधिसूचना संख्या टी ४/४८३६ ५६ पी डब्ल्यू सी ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एस––११३/५७]

---

†मूल अंग्रेजी में ।

मद्रास मोटर गाड़ी नियमों में संशोधन

†**श्री शाहनवाज़ खां** : मैं मोटरगाड़ी अधिनियम, १९३९ की धारा १३३ की उपधारा (३) के अधीन मद्रास मोटरगाड़ी नियम, १९४० में आगे कुछ और संशोधन करने वाली २९ दिसम्बर १९५६ की अधिसूचना संख्या टी ४-४८३६/५६/पी डब्ल्यू सी की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एस–११४/५७]**

मद्रास मोटरगाड़ी (यात्रियों और सामान पर करारोपण) नियमों में संशोधन

†**श्री शाहनवाज़ खां** : मैं मद्रास मोटर गाड़ी (यात्रियों और सामान पर करारोपण) अधिनियम, १९५२ की धारा १६ की उपधारा (५) के अधीन मद्रास मोटर गाड़ी (यात्रियों और सामान पर करारोपण) नियम १९५३ में कुछ संशोधन करने वाली २२ दिसम्बर, १९५६ की अधिसूचना संख्या टी–४/६९५९/५६ पी डब्ल्यू सी की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एस०–११४/५७]**

हिन्दी पर्याय निर्धारित करने वाली समिति का प्रतिवेदन

†**श्री टण्डन** (जिला इलाहबाद-पश्चिम) : मैं, संसदीय, विधि-संबंधी, तथा प्रशासनिक शब्दावलि के हिन्दी पर्याय निर्धारित करने वाली संसदीय समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति शब्दावलि के साथ सभा-पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एस–१२४/५६]**

श्रीमान् आप की अनुमति से मैं सभा पटल पर प्रतिवेदन रखते हुए, सभा को समिति के कार्य के बारे में कुछ बताना चाहता हूं । गत मई मास में राज्य सभा के सभापति के परामर्श से आप ने समिति नियुक्त की थी जिस ने उसी महीने काम शुरू कर दिया था । इस की कुल ११३ बैठकें हुईं जिस में ३६४ $^{1}/_{2}$ घंटे लगे ।

समिति को विधान सभाओं, उस के सचिवालयों तथा अन्य संस्थाओं के लिये जो इन शब्दों को अपनाना चाहें, संसदीय, विधि सम्बन्धी तथा प्रशासनिक शब्दावलि के हिन्दी पर्याय निर्धारित करने का काम सौंपा गया था। १९५४ में लोक-सभासचिवालय द्वारा संकलित विधि सम्बन्धी तथा प्रशासनिक शब्दावली जो डी अक्षर से प्रारम्भ हो कर जैड तक थी, इस के कार्य का आधार थी । इस में लगभग २१,००० शब्द थे । ए से सी तक की शब्दावली आपने पहले अध्यक्ष द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति ने निर्धारित कर दी थी ।

हमारा काम दो प्रकार का था । पहले उसे, हिन्दी, संस्कृत, अथवा देश की किसी अन्य भाषा में पर्याय ढूंढ़ते थे और यदि ऐसे शब्द नहीं मिलते थे तो दूसरे नये शब्द बनाये थे । समिति ने यह आवश्यक समझा कि विधि, संसद् तथा प्रशासन से संबंधित शब्द जहां तक संभव हो संविधान के आठवें अनुच्छेद में दी गई भाषाओं में एक से हों, इसीलिये समिति ने देश की समस्त भाषाओं में प्रचलित शब्दों को ढूंढ़ने का प्रत्न किया । सामान्यतः समिति ने हिन्दी में प्रचलित पर्यायों को निर्धारित करने का प्रयत्न किया है । परन्तु साथ ही साथ उस ने प्रादेशिक भाषाओं से भी कुछ उपयुक्त शब्द लिये हैं । कौटिल्य के अर्थ शास्त्र गुप्तकालीन शिला लेखों तथा बौद्ध साहित्य से ऐसे शब्द ले लिये गये हैं जो युगों से प्रयुक्त हो रहे हैं । कुछ हिन्दी में प्रचलित अंग्रेजी शब्द ले लिये गये हैं । संविधान के अनुच्छेद ३५१ के निदेशों के अनुसार हम ने नये शब्दों के निर्धारण में संस्कृत का सहारा लिया है ।

प्रारम्भ में २०,००० शब्द थे । समिति की सिफारिश है कि यह शब्द लोक-सभा तथा राज्य सभा और राज्य विधान सभाओं में प्रयोग में लाये जायें ।

समिति के सभापति के रूप में मैं आशा करता हूं कि जो काम हमने किया है उससे भविष्य में लाभ होगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

राज्य सभा से संदेश

†**सचिव** : श्रीमान्, मुझे सभा को यह बताना है कि मुझे राज्य-सभा के सचिव से यह सन्देश मिला है कि इन विधेयकों के बारे में राज्य-सभा को लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है :—

१. विनियोग विधेयक १९५७

२. विनियोग (संख्या २) विधेयक १९५७ ।

लोक लेखा समिति

†**श्री व० बा० गान्धी** (बम्बई नगर उत्तर) : मैं विनियोग लेखा (असैनिक) १९५२–५३ तथा लेखा-परीक्षा, १९५४—भाग २ तथा लेखा परीक्षा (असैनिक) १९५५ —भाग १ पर लोक लेखा समिति का तेईसवां प्रतिवेदन उप-स्थापित करता हूं ।

प्राक्कलन समिति

छियालीसवां, तिरेपनवें से पचपनवां और साठवें से छियासठवां प्रतिवेदन

†**श्री ब० गो० मेहता** (गोहिलवाड़) : मैं प्राक्कलन समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन उपस्थित करता हूं :

(१) प्रतिरक्षा मंत्रालय (भूमि और छावनियां) के बारे में छियालीसवां प्रतिवेदन ।

(२) प्राक्कलन समिति की सातवीं प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में तिरेपनवां प्रतिवेदन ।

(३) प्रतिरक्षा मंत्रालय आयुध कारखाने (संगठन तथा वित्तीय व्यवस्था) के बारे में चौवनवां प्रतिवेदन ।

(४) प्रतिरक्षा मंत्रालय, आयुध कारखाने (कर्मचारी वर्ग सम्बन्धी मामले और प्रशिक्षण) के बारे में पचपनवां प्रतिवेदन ।

(५) परिवहन मंत्रालय (मोटर परिवहन और विधि) के बारे में साठवां प्रतिवेदन ।

(६) परिवहन मंत्रालय (अन्तर्देशीय जल परिवहन) के बारे में इकसठवां प्रतिवेदन ।

(७) परिवहन मंत्रालय (नौवहन—भाग १) के बारे में बासठवां प्रतिवेदन ।

(८) प्रतिरक्षा मंत्रालय —प्रशिक्षण संस्थाओं के बारे में तिरेसठवां प्रतिवेदन ।

(९) प्रतिरक्षा मंत्रालय—मिलिटरी डेयरी फार्म के बारे में चौसठवां प्रतिवेदन ।

(१०) परिवहन मंत्रालय—नौवहन (भाग २) के बारे में पैंसठवें प्रतिवेदन ।

(११) प्राक्कलन समिति की ग्यारहवें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में छियासठवें प्रतिवेदन ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

याचिका समिति

श्री पो० सुब्बाराव (नौरंगपुर) : मैं याचिका समिति का बारहवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

आश्वासनों सम्बन्धी समिति

†**श्री राघवाचारी** (पनुकोंडा) : मैं आश्वासनों सम्बन्धी समिति का चौथा प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

ऐसे बीमा समवायों की पालिसियां जिनकी वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है

†**श्री फिरोज गांधी** : (जिला प्रतापगढ़, पश्चिम व जिला रायबरेली पूर्व) : मैं, नियम २१६ के अधीन वित्त मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाना चाहता हूं और उन से इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य देनेकी प्रार्थना करता हूं : —

"उन बीमा समवायों के पालिसी धारकों की स्थिति जिन की आर्थिक स्थिति अस्थिर है तथा बीमा निगम द्वारा ऐसी बीमा पालिसियों के बारे में की जाने वाली कार्यवाही ।"

†**वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : जब जीवन बीमा निगम विधेयक संसद् के समक्ष था तब यह बात यहां कही गई थी कि कुछ बीमा कम्पनियों की, जिन का व्यवसाय निगम के हाथ में आ जायेगा, स्थिति अच्छी नहीं है ? उनके दायित्व, उन की आस्तियों से अधिक थे । इन में से कुछ समवायों की आर्थिक स्थिति इतनी अस्थिर थी कि निधि की कमी के कारण वह अपने पालिसी होल्डरों के दावे भी नहीं भुगता सकते थे । इसीलिये जीवन बीमा निगम अधिनियम की धारा १४ के द्वारा जीवन बीमा निगम को शक्ति दी गई थी कि वह ऐसी कम्पनियों द्वारा जनवरी १९५६ से पूर्व किये गये बीमों की धनराशि उनकी आर्थिक स्थिति देखते हुए कम कर दे । निगम ऐसा बीमा करने वालों की स्थिति की जांच कर रहा है । यद्यपि यह जांच अभी पूरी नहीं हुई है फिर भी सारी स्थिति स्पष्ट हो गई है ।

निम्नलिखित १९ समवाय घाटे में हैं और इन की दिवालियेपन की राशि लगभग ५९ लाख रुपये है । यदि पालिसी के लाभ प्रत्येक कम्पनी के घाटे के आधार पर कम कर दिये जायें तो यह घाटा ३ प्रतिशत से ६० प्रतिशत तक आयेगा ।

कम्पनियों के नाम ये हैं :—

क्रीसेंट

हिन्द बैनिफिट

ईस्ट एण्ड वैस्ट

प्रेसीडेन्सी लाइफ एण्ड प्राविडैन्ट

वार्डन

बम्बई कैपिटल

इंडियन इकौनोमिक

इंटर प्रौविन्शियल प्रोवीडैन्ट

---

†मूल अंग्रेजी में ।

ईस्ट एण्ड प्रौविडैन्ट
महालक्ष्मी प्रौविडैन्ट
न्यू बंगाल प्रोविडैन्ट
बंगाल इंडस्ट्रियल
छोटा नागपुर प्रोविडैन्ट
प्रवर्तक
राजस्थान
डोमिनियन
आइडियल म्युच्युल
क्रान्ति प्रोविडैन्ट
इंडिया ओरियल ।

दस और समवायों जैसे कौन्टिनैन्टल म्युच्युअल, फ्री इडिया जनरल, होम सिक्योरिटी, मार्डन म्युच्युअल, पीयलरलैस, पुलिसमैन प्रोविडैन्ट, ट्रॉपिकल, यूनाइटेड कर्नाटक, रिलाइन्स और कर्मशियल इंश्योरेंस के मामलों की जांच पूरी नहीं हुई है। परन्तु इनमें भी लगभग १० लाख रुपये का घाटे का पता लगा है । इस सम्बन्ध में कुछ अन्य समवायों की, जिन के मामले अभी सामने आये हैं शायद जांच करनी पड़े ।

इस प्रकार ऊपर लिखित बीमा कम्पनियों का घाटा लगभग ७० लाख रुपये है। निश्चित दिन इन कम्पनियों के पास लगभग १६½ करोड़ रुपये की लगभग १,१६,००० पालिसियां थीं ।

अब निगम ने सिफारिश की है कि सरकार को इन इन समवायों के पालिसी होल्डरों को पालिसी लाभ पूरा दिया जाना चाहिये तथा सरकार को इनकी जिम्मेदारियां ले लेनी चाहियें। निगम के विचार से यह उचित नहीं होगा कि स्थिर स्थिति वाली समवायों के पालिसी होल्डरों पर यह भार डाला जाये। यदि निगम पर घाटे की समवायों के पालिसी होल्डरों को भुगतान की जिम्मेदारी डाली जायेगी तो ऐसा ही होगा। सरकार का विचार है कि निगम की सिफारिशें ठीक हैं। तथा पालिसी होल्डरों के हित में यह जिम्मेदारी ले लेना ठीक होगा। इस खर्चे को सरकार निगम के द्विवर्षीय मूल्यांकन के बाद प्राप्त होने वाली अधिक राशि से कई वर्षों के अन्दर पूरा करेगी। मुझे विश्वास है कि सभा सरकार की इस भावना की सराहना करेगी जिससे उस ने यह निर्णय किया और जिस से लगभग एक लाख पालिसी होल्डरों को लाभ होगा ।

स्थगन प्रस्ताव

कालीघाट–फाल्टा रेलवे बन्द करने के सम्बन्ध में निर्णय

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मुझे श्री साधन गुप्त से एक स्थगन प्रस्ताव मिला है जिसका विषय यह है कि कालीघाट और फाल्टा रेलवे लाइन को बंद करने से लोगों को बहुत कठिनाई होगी और बहुत से कर्मचारी बेरोजगार हो जायेंगे ।

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : यह निश्चय अकस्मात नहीं किया गया। वस्तुतः इस मास की २५ तिथि को श्री क० कु० बसु ने इस विषय में एक प्रश्न की पूचना दी थी, अतः ऐसी बात नहीं कि इस बात का पता लोगों को आज अकस्मात लगा हो ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री जगजीवन राम]

परन्तु मैं विषय को स्पष्ट कर देता हूं। यह २६·२ मील लम्बी छोटी लाइन है। एक गैर-सरकारी समवाय इसे घाटे पर चला रहा था और एक करार के अनुसार केन्द्रीय सरकार समवाय को प्रति वर्ष वित्तीय सहायता देती थी। अतः हम ने निश्चय किया कि यदि लोगों को बदले में पर्याप्त सुविधायें दे दी जायें तो इस लाइन को तोड़ देना अच्छा होगा। पश्चिमी बंगाल सरकार ने भी इस विषय में हम से बात चीत की और आश्वासन दिया कि उस क्षेत्र में यातायात संबंधी आवश्कताओं को पूरा करने के लिये सड़क परिवहन सेवा का पर्याप्त विकास किया जायेगा।

कालीघाट-फाल्टा रेलवे के कर्मचारियों के विषय में भारत सरकार ने यह निश्चय किया है कि अतिवयस्कता से कम आयु वाले ऐसे कर्मचारियों को, जो अन्यथा काम के योग्य हैं, अन्य नौकरियां दी जायेंगी। इस बारे में पूर्वी रेलवे और दक्षिण पूर्वी रेलवे के महा प्रबन्धकों को पूरे पूरे अनुदेश दे दिये गये हैं।

इस प्रकार लाइन को तोड़ने से कोई असुविधा नहीं होगी और अतिवयस्कता से कम आयु के कर्मचारियों को रोजगार भी मिल जायेगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह अनुमति नहीं दी जा सकती कि पहले मंत्री वक्तव्य दें और बाद में प्रस्तावक कुछ कहें और उस का फिर उत्तर दिया जाये। प्रस्तावक को पहले ही तथ्य व्यक्त करने चाहियें थे। खैर आज अन्तिम दिन है अतः मैं माननीय सदस्य को बोलने की अनुमति देता हूं।

†**श्री साधन गुप्त** : (कलकत्ता दक्षिण पूर्व) : माननीय मंत्री ने कहा है कि पश्चिमी बंगाल सरकार ने सड़क परिवहन सेवा को विकसित करने का आश्वासन दिया है। जब तक उस का विकास न हो जाये इस लाइन को तोड़ने से कलकत्ता के आस पास से आने जाने वाले लोगों को बहुत कठिनाई होगी।

दूसरे मैं जानना चाहता हूं कि अतिवयस्कता के अधिक आयु वाले कर्मचारी कितने हैं। उन्हें इस की सूचना कुछ समय पहले मिलनी चाहिये थी कि उन्हें सेवाच्युत किया जा रहा है।

†**श्री जगजीवन राम** : जैसा मैंने पहले बताया इस रेलवे पर हम प्रतिवर्ष कर दाता का लगभग ३ या ४ लाख रुपया व्यर्थ व्यय कर रहे हैं। यदि इस लाइन को विभाग चलाये तो हानि ५ लाख रुपये तक होगी। यह लाइन कोई जंगल में तो बनी हुई नहीं है, उस क्षेत्र में सड़कें पहले ही हैं। उन पर लारियां भी चलती हैं। प्रश्न केवल कुछ बसें और सामान के लिये कुछ लारियां और चलाने का है। कुछ में सड़कों को चौड़ा करना पड़ेगा। यदि माननीय सदस्य ने मेरी बात को समझा होता तो वे यह प्रश्न न उठाते। यदि लाइन को तोड़ा जायेगा तो उस समय तक सड़क परिवहन सेवा पूर्णतः विकसित हो चुकीं होगी।

कर्मचारियों के सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मैं केवल इसलिए अतिवयस्क कर्मचारियों को सेवा में नहीं रख लूंगा कि माननीय सदस्य ने उस सम्बन्ध में प्रश्न उठाया है।

† **अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री के कथनानुसार लाइन को तभी तोड़ा जाएगा जब सड़क परिवहन सेवा का विकास हो जाएगा। अतः मुझे विश्वास है कि लोगों को असुविधा नहीं होगी। इस लाइन से सरकार को ५ लाख रुपये की हानि भी हो रही है। मैं स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं देता।

---

†मूल अंग्रेजी में।

सदस्यों द्वारा पदत्याग

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचित करना है कि निम्नलिखित दो सदस्यों ने २६ मार्च, १९५७ से लोक सभा के अपने पद से त्याग-पत्र दे दिया है :

(१) श्री जनार्धन रेड्डी ।

(२) श्री सोहन लाल धूसिया ।

नियम समिति

नवां प्रतिवेदन

† **सरदार हुक्म सिंह** (कपूरथला—भटिंडा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा २६ मार्च १९५७ को सभा पटल पर रखे गये नियम समिति के नवें प्रतिवेदन से सहमत है ।"

अध्यक्ष द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया तथा स्वीकृत हुआ ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

लोक सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी नियमावली का पांचवां संस्करण

† **सरदार हुक्म सिंह** (कपूरथला-भटिंडा) : नियम समिति के सातवें और नवें प्रतिवेदन की सिफारिशों पर २२ दिसम्बर १९५६ और २८ मार्च १९५७ को सभा द्वारा किये गये निर्णय के अनुसार मैं लोक सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी नियमावली का पांचवां संस्करण सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एस० १२५/५७]

अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये निदेशों का दूसरा संस्करण

† **सरदार हुक्म सिंह :** मैं लोक सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी नियमों के अधीन अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये निदेशों के द्वितीय संस्करण की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एस० १२६/५७]

विनियोग (रेलवे) लेखा अनुदान विधेयक, १९५७

† **रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री जगजीवन राम):** मैं प्रस्ताव* करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष १९५७-५८ के एक भाग के लिए भारत की संचित निधि में से कुछ राशियां निकालने की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया और स्वीकृत हुआ

खंड १ से ३, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये उये ।

† **श्री जगजीवन राम :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

† **अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत किया गया ।

केरल आय-व्ययक सामान्य चर्चा—जारी

† **श्री वें० प० नायर** (चिरीयन्कील) : मैं आय-व्ययक के आय और व्यय के पहलुओं पर चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि यह औपचारिक चर्चा है ।

मैं एक बात का उत्तर चाहता हूं । आय-व्ययक के पत्रों को देखने पर मुझे ज्ञात हुआ कि वित्त विवरण, स्पष्टीकरण ज्ञापन और आय-व्ययक प्राक्कलनों के ब्योरे आदि महत्वपूर्ण पत्र दिल्ली के सरकारी प्रेस में मुद्रित हुए हैं जब कि शेष त्रिवेन्द्रम के सरकारी प्रेस में मुद्रित हुए हैं । भय है कि अन्तिम समय पर आय-व्ययक में परिवर्तन किये गये हैं । इस से यह भय बढ़ गया है कि केन्द्रीय सरकार राज्य की विपक्षी दल की सरकार के कार्य में बाधा पैदा करेगी । माननीय मंत्री से मेरा निवेदन है कि वे इस बात को स्पष्ट कर दें कि केन्द्रीय सरकार केन्द्र के लोगों की भरसक सहायता करेगी ।

राष्ट्रपति के शासन के सम्बन्ध में सख्त आलोचना हुई है । मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता । परन्तु इस सभा को केरल के लोगों के प्रति आभार प्रकट करना चाहिये कि उन्होंने अपना स्पष्ट निर्णय दे दिया है और सभा को अतिरिक्त कार्य से मुक्त कर दिया है ।

मैं आय-व्ययक के ब्योरे को नहीं लेना चाहता, परन्तु पत्रों को देखने से पता चलता है कि एक नौकरशाही प्रशासन ने इसे बनाया है । आय-व्ययक पत्रों में जहां कहीं कर्मचारिवृन्द का उल्लेख है वहां एक वर्ग को 'सेवक' का नाम दिया गया है । आक्सफोर्ड डिक्शनरी में (मिनियल) सेवक का अर्थ घरेलू प्रकार की सेवा करने वाला दास बताया गया है । यह शब्द अपमानजनक है । कम से कम सरकार को ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिये ।

२९ मार्च १९५६ को गृह कार्य मंत्री ने कहा था कि केरल द्वारा अलग थलग एकाकी अपना कार्य भार संभालने की अपेक्षा माननीय मंत्रियों का उस के कार्यों में अभिरुचि लेना अधिक अच्छा होगा । इस प्रकार सरकार ने स्वयं स्वीकार किया था कि कि हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया । अतः अब जब कि वहां स्थायी सरकार बन गई है मैं आशा करता हूं कि भारत सरकार उस राज्य की पूरी सहायता करेगी ।

द्वितीय पंच वर्षीय योजना में लगभग ९५ करोड़ रुपये केरल राज्य को दिये गये हैं । क्या ये न्याय-संगत हैं ? वितरण के दो आधार हो सकते हैं, प्रति व्यक्ति अथवा रोजगार का आधार । हम अधिक निधि की मांग कर सकते हैं क्योंकि केरल को कतिपय कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा । जितनी बेरोज़गारी वहां है, भारत में कहीं भी नहीं है और आबादी अत्यधिक घनी है । ऐसी स्थिति में वह राज्य स्वयं विकास नहीं कर सकता । संघ में एकीकरण के पश्चात से केरल के राजस्व के कुछ संसाधन भी हथिया लिए गये हैं । लगभग २५ वर्ष पूर्व त्रावनकोर-कोचीन में विदेशी व्यापार की प्रति व्यक्ति औसत आय ५५ रुपये थी जब कि अब सारे भारत में यह ३५ रुपये है । ये सब संसाधन छीन लिए गये हैं । कतिपय राजस्व में हमें केन्द्र से मिलता क्या है केवल ३.८६ प्रतिशत । यह पर्याप्त और न्यायपूर्ण नहीं है ।

यदि आप चाहते हैं कि वहां स्थिति स्थिर हो तो उस सरकार को संकट रोकने के लिए कतिपय उद्योगों के विकास का कार्यक्रम बनाने दीजिये और कुछ अन्य उद्योग भी वहां आरम्भ कीजिए । अन्यथा यह समझा जाएगा कि केन्द्र वहां के विकास कार्यक्रम में जानबूझ कर रुकावट पैदा कर रहा है । भारत सरकार को द्वितीय पंचवर्षीय योजना में से नियत की गई राशि को पुनरीक्षित करने पर भी गंभीरता से विचार करना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

मेरे माननीय मित्र श्री मात्तन ने कहा है कि रबड़ समवायों में से एक त्रावनकोर-कोचीन जाना चाहता था परन्तु वहां श्रमिकों की गड़बड़ के कारण नहीं गया। श्रम विभाग ने जो तथ्य और आंकड़े प्रकाशित किये हैं उनमें तो ऐसा उल्लेख नहीं है सब से अधिक गड़बड़ होती है। फिर हमारे राज्य में बहुत मात्रा में खनिज पदार्थ हैं, परन्तु उन्हें खोजने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा। बरकाली में लिगनाइट पाया जाता है परन्तु वहां एक ड्रिल भेजा गया जो कि काम नहीं करता। वहां कम से कम ४० सुराख बनाने चाहियें। सरकार को चाहिये कि वह प्रयत्न करे जिस से वहां उद्योग स्थापित हों। योजना आयोग ने उस राज्य में परियोजनाएं चलाने की अनिवार्य आवश्यकता की सर्वथा अवहेलना की है। निधियों के वितरण के सम्बन्ध में निर्धारित सिद्धांतों को छोड़ कतिपय अन्य आधारों को अपनाना चाहिये क्योंकि उस राज्य की समस्याएं कुछ भिन्न प्रकार की हैं।

केरल राज्य में वर्षों अस्थायित्व का दौर-दौरा रहा है और इस कारण प्रशासन में भ्रष्टाचार रहा है। उस में सुधार की आवश्यकता है और उस में कौशल और दक्षता उत्पन्न करने की आवश्यकता है जो काम एक रात में नहीं हो जाएगा। अतः मैं सभा के सदस्यों और केरल राज्य के अन्य दलों से राज्य सरकार के लिए उदारतापूर्ण सहायता की आशा करता हूं।

† **श्री अ० म० थामस** (एरणाकुलम्) : श्री नायर यह स्वीकार करेंगे कि त्रावनकोर-कोचीन के कोष में पहले से ही घाटा था और हमें इस बात पर गर्व है कि उस राज्य की अर्थ-व्यवस्था दृढ़ आधार पर आधारित कर दी गई है।

त्रावनकोर-कोचीन की कांग्रेसी सरकार ने अपने समय में राज्य के हितों का हमेशा ध्यान रखा। कांग्रेस सरकार ने वहां पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कई योजनायें चालू कीं और द्वितीय पंचवर्षीय योजना की तैयारी का काम भी किया। मैं इसे भाग्य की विडंबना ही कहूंगा कि जब कांग्रेस के परिश्रम के मीठे फल दिखाई देने लगे तो कम्युनिस्ट पार्टी उनका लाभ उठाने के लिये आ गई। वहां कांग्रेस सरकार की सफलतायें किसी राज्य सरकार की सफलताओं से कम नहीं थी अच्छा है कि अब साम्यवादी दल सभी दलों से सहयोग की मांग कर रहा है। परन्तु जब कांग्रेस पदासीन थी तो यही लोग हर प्रकार की गड़बड़ पर उतारू रहते थे। मुझे तो पता है कि लोगों को गलत आश्वासन दे कर वोट प्राप्त किये गये हैं। लोगों से कहा गया है कि २०० करोड़ रुपये केन्द्र से प्राप्त कर के यहां बेकारी की समस्या हल कर दी जायेगी। वे इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि यह वायदे कभी पूरे नहीं हो सकते। अब वे यह कह रहे हैं कि हम संविधान के अन्तर्गत काम करेंगे और कांग्रेस सरकार, जिसे कल तक वे गालियां दिया करते थे, द्वारा निर्मित योजनाओं को कार्यान्वित करेंगे। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में स्पष्ट कह दिया है कि राज्यों को जो भी सहायता दी जायेगी, उसमें इस बात का कोई प्रश्न नहीं होगा कि वहां किस दल की सरकार है। परन्तु साम्यवादी दल जिसे केरल में बहुमत प्राप्त हुआ है, हमेशा अपने दल के हितों को ही अधिक महत्व देता रहा है।

वित्त मंत्री महोदय ने बताया कि यह अन्तरिम बजट है, परन्तु वर्तमान आर्थिक ढांचे में उस पर चर्चा करना लाभदायक ही होगा। चूंकि राजस्व के समस्त साधन केन्द्र के हाथ आ रहे हैं इसलिये राज्य सरकारें भी केन्द्र का ही अधिक से अधिक आश्रय लेंगी। राज्य विधान सभाओं में वित्त मंत्री यह कह कर अपनी असमर्थता प्रकट करेंगे कि केन्द्र हमें पर्याप्त सहायता नहीं दे रहा और इस बात का प्रयत्न किया जाया करेगा कि केन्द्र से अधिक से अधिक सहायता प्राप्त हो। वित्त मंत्री महोदय ने यह ठीक ही कहा है कि विधान सभाओं में आलोचना हुआ करेगी कि राज्य को हिस्सा काफी नहीं मिला। मेरा विचार है कि योजना के विस्तार की दृष्टि से राज्य को जो एक वर्ष के लिए हिस्सा दिया गया है वह सचमुच काफी नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री अ० म० थामस]

योजना में त्रावनकोर-कोचीन के लिये ७२ करोड़ की व्यवस्था थी और मालाबार जिले के लिये १५ करोड़ की थी। अब केरल के लिये यह राशि ८७ करोड़ कर दी गयी है। योजना के खर्चों की दृष्टि से यह रकम भी निराशाजनक ही है। योजना के खर्चे की व्यवस्था १५.१४ करोड़ रुपये हैं। मेरा विश्वास है कि केन्द्रीय सरकार भी इसे काफी नहीं मानती। योजना की क्रियान्विति के अन्तिम वर्षों में तो खर्च और बढ़ेगा ही। योजना के प्रथम वर्ष के लिये त्रावनकोर-कोचीन के १९५६-५७ के बजट में १६ करोड़ रुपये की व्यवस्था थी। आश्चर्य यह है कि योजना के दूसरे वर्ष में यह राशि कम क्यों है? शायद वित्त मंत्री को देश की मुद्रास्फीति संबंधी स्थिति का विचार हो और कुछ प्राथमिकताओं का भी ध्यान रखा गया हो। इन बातों का उन्होंने अपने बजट भाषण में उल्लेख भी किया है। परन्तु मैं उन्हें यह कहना चाहता हूं कि इस संबंध में क्षेत्रीय सन्तुलन का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। कई क्षेत्र बड़े पिछड़े हुये हैं और दूसरों की तुलना में उनकी आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी ही जानी चाहिए। इस संबंध में मैं वित्त मंत्री महोदय से केरल का ध्यान रखने की प्रार्थना करता हूं, जहां जनसंख्या भी अधिक है और बेकारी भी सब से अधिक।

मैं एक अन्य बात की ओर केन्द्रीय सरकार का तथा आने वाली राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट करवाना चाहता हूं कि बजट में जिन राशियों की स्वीकृति दी गयी है उनको खर्च करने के लिए वहां की प्रशासन-व्यवस्था उपयुक्त नहीं है। हो सकता है कि योजना के दूसरे वर्ष के लिये कंम खर्चा रखने का यह भी एक कारण हो।

†**वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : मेरे माननीय मित्र राशि को कम कैसे कहते हैं? क्या मेरे मित्र यह चाहते हैं कि कुल आवंटित राशि को पांच हिस्सों में विभाजित कर दिया जाय अथवा रुपया उन परियोजनाओं के आधार पर दिया जाये जिन पर काम आरम्भ हो गया है या होने वाला है। मैं यह नहीं समझ सका कि आप ८० अथवा ८७ करोड़ रुपये को कम कैसे कह सकते हैं। ८७ करोड़ रुपया तो खर्च किया ही जा रहा है। तीसरे, चौथे वर्ष में यह खर्चा अपनी अन्तिम सीमा पर पहुंच जायेगा। परन्तु दूसरे वर्ष में ही ऐसा नहीं हो सकता। पूरी योजना की स्थिति यही है। मूलरूप में योजना व्यय ४८०० करोड़ रुपये था, परन्तु अब हम ५३०० करोड़ रुपये की सोच रहे हैं। इस वर्ष तो ९०० करोड़ ही खर्च हो रहा है। इस दृष्टि से देखने पर माननीय सदस्य को पता चल जायेगा कि जो व्यवस्था की गयी है वह काफी है।

†**श्री अ० म० थामस** : मैं तो राज्य को दी गयी सारी राशि यानी ८७ करोड़ रुपयों के बारे में कह रहा था। योजना के प्रथम वर्ष में राष्ट्रपति राज के दौरान में इसमें से केवल १४ करोड़ रुपया ही खर्च किया गया था।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी**: यही तो मैं कह रहा हूं।

†**श्री अ० म० थामस** : बाक़ी चार वर्षों के लिये ७३ करोड़ रुपये बचे हैं।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : हो सकता है कि प्रथम वर्ष में हम ने केवल ७७५ करोड़ रुपये ही खर्च किये हों। दूसरे वर्ष में हम ९०० से ९२० करोड़ रुपये तक खर्च कर रहे हैं और शायद तीसरे वर्ष में १२०० से १३०० करोड़ रुपये तक पहुंच जायें। इसलिये मेरे माननीय मित्र का यह सोचना गलत है कि खर्चे का आधार पांचवां भाग होना चाहिए। केरल में जो कुछ करने की हम योजना बना रहे हैं, हो सकता है तीसरे, चौथे वर्ष में उसके लिए अतिरिक्त खर्चे की मांग करनी पड़ेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में।

माननीय सदस्य कह सकते हैं कि योजना के लिए व्यवस्था काफी नहीं है, परन्तु यदि वह कहें कि पूरी योजना के आधार पर राज्य को जो हिस्सा दिया गया है वह अपर्याप्त है, तो यह उनकी ग़लती है ।

† **श्री अ० म० थामस :** फिर भी मेरी प्रार्थना है कि अन्तिम बजट में, राज्य के विभिन्न प्रशासन विभागों द्वारा रुपया खर्च करने की क्षमता का ध्यान रख कर योजना के अन्तर्गत कुछ अधिक धन राशि की व्यवस्था की जाये । मुझे चिन्ता यह है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक ८७ करोड़ रुपये की यह राशि खर्च अवश्य हो जाये ।

मैं वित्त मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वह इस विषय पर विशेष ध्यान दें क्योंकि मेरे विचार में औद्योगिक योजनाओं के बनाने में राज्य की विचित्र स्थिति पर विचार नहीं किया जा रहा । केरल में बेकारी का उपाय औद्योकीकरण ही है , परन्तु वहां सब से कमजोर विभाग उद्योग विभाग ही है । वहां अधिकारियों की कमी नहीं है । पांच औद्योगिक डाइरेक्टरों के होते हुए भी उद्योग और खानों के लिये निर्धारित राशि पूरी खर्च न की जा सकी ।

दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत त्रावनकोर-कोचीन के लिए १९५६-५७ में २०१ लाख रुपये रखा गया था । परन्तु राष्ट्रपति राज की रिपोर्ट के अनुसार केवल ६१.२७ लाख ही खर्च किया गया । केन्द्रीय सरकार को यह देखना चाहिए कि निर्धारित राशियों को व्यय क्यों नहीं किया जाता और क्या इस स्थिति में राज्य में औद्योगीकरण सम्भव हो सकता है । राज्य में जो कुछ भी औद्योगिक विकास हुआ है, वह भी सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दिये जाने और बाहर के लोगों द्वारा धन लगाने से ही सम्भव हो सका है । यह बात समझ लेनी चाहिए कि अनुदानों और ऋणों के बिना राज्य में उद्योगों का विकास नहीं हो सकता ।

साथ ही उद्योग विभाग के पुनर्गठन के लिये भी कुछ होना चाहिए । योजनाओं के लिये निर्धारित राशि व्ययगत नहीं होनी चाहिए । निलाम्बुर घाटी के विकास की ओर विशेष ध्यान देकर योजना बनाई जानी चाहिए । इस योजना से मालाबार को बहुत अधिक लाभ होगा और केरल राज्य के औद्योगीकरण में इस से बहुत सहायता मिलेगी ।

रिपोर्ट में एक अन्य बात यह है कि मालाबार क्षेत्र को बिजली देने के लिए २१७ लाख रुपये की योजना केन्द्र को प्रस्तुत की गई है । इसके लिये योजना आयोग को शीघ्र ही स्वीकृति देनी चाहिए । यह परियोजना बड़े महत्व की है ।

† **श्री मात्तन (तिरुवल्ला) :** माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने विपक्षी मित्रों की सफलता से प्रसन्न तो नहीं हूं परन्तु उनको, उन की सफलता पर बधाई जरूर देता हूं । मैं सब लोगों की जानकारी के लिये एक बात बताना चाहता हूं कि केरल राज्य में साम्यवाद का अभ्युदय एकाएक नहीं हुआ है । इसका कारण यह है कि वहां कांग्रेस के नेता आत्मतुष्टि की भावना से अकर्मण्य रहे । हम अपने मित्रों को पूर्ण सहयोग देंगे यदि उन्होंने संविधान के अन्तर्गत काम किया, जैसा कि वे कह रहे हैं । यदि उन का विश्वास लोकतंत्रीय प्रणाली पर हो जाय तो हम उनके लिए जो वे चाहें, करने को तैयार हैं ।

दूसरा आरोप जो मुझ पर लगाया गया वह यह कि मैं अकेला ही राष्ट्रपति राज का समर्थक था । और मैं यह कहता था कि राज्य के ९९ प्रतिशत लोगों ने इसका स्वागत किया था । मैं ने उस समय यह कहा था कि श्री पी० एस० राऊ ने पांच महीनों में जो काम किया है वह मंत्रिमंडलों ने पांच वर्षों में भी नहीं किया और मेरा अब भी यही मत है । मेरे मित्र श्री वे० प० नायर का कहना है कि मैंने कहा था कि तमाम झगड़ा श्रमिकों ने पैदा किया था ।

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री मातन]

हां, मैंने कहा था कि श्रम नेता ठीक चीज़ नहीं कर रहे । एक बार मैंने अपने एक अमरीकी मित्र को १० करोड़ रुपये से छावारा में कारखाना खोलने के लिये तैयार किया । परन्तु जब हम त्रिविन्द्रम से मोटर से वहां गये, तो वहां एक हड़ताल चल रही थी जिससे डर कर उसने इरादा ही छोड़ दिया । इस तरह की बातें होती रही हैं ।

कांग्रेस के नेताओं का विश्वास है कि अर्थ-व्यवस्था के विकास में ग़ैर-सरकारी क्षेत्रों का सहयोग बड़ा आवश्यक है । इसके लिये उन्होंने मुझ से कहा । ग़ैर-सरकारी क्षेत्र के प्रति कांग्रेस की नीति स्पष्ट है ।

श्री वे० प० नायर ने कहा कि केन्द्रीय सरकार राज्य में उद्योगों के विकास के लिये कुछ नहीं दे रही । इस राज्य की कठिनाइयों और पिछड़ेपन को दूर करने का एकमात्र हल औद्योगीकरण है, यह मैं मानता हूं । परन्तु मेरा कहना है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जो पांच करोड़ रुपया दिया गया था वह भी तो खर्च न किया जा सका ।

मैं एक दो बातें कहना चाहता हूं और आशा है कि श्री नम्बियार इस ओर ध्यान देंगे । पहली बात दूसरा नावांगण बनाने के सम्बन्ध में है । मैंने तीन वर्ष से इसके लिये प्रयत्न किया है । और मेरे विचार में सरकार भी समझती है कि कोचीन इसके लिये सर्वोत्तम रहेगा । मैं अपने मित्रों से अनुरोध करूंगा कि वे इस पर जोर दें । इस के साथ ही कई और उद्योग भी आरम्भ हो जायेंगे ।

दूसरी बात यह कि माननीय रेलवे मंत्री और परिवहन समिति ने कोचीन में नाविकों के लिये एक स्कूल खोलने के बारे में वचन दिया है । इसके लिए स्थान इत्यादि की व्यवस्था कर ली गयी है और इमारत बनाने के लिए भी एक लाख दिया जा रहा है । मेरा विचार था कि स्कूल चुनावों से पहले आरम्भ हो जायगा । परन्तु अब रेलवे मंत्री ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया है कि मामले पर बड़ी गम्भीरतापूर्वक विचार किया जा रहा है । मैं नहीं समझ सका कि ऐसा क्यों है । इस मामले को आपको लेना चाहिए । इसमें ४०० व्यक्तियों का प्रशिक्षण एक साथ हो सकता है और एक कोर्स ४ मास का होता है । इसका अर्थ यह हुआ कि एक वर्ष में १,००० के लगभग लोग तैयार हो जायेंगे । बेकारी का इससे अच्छा हल और क्या हो सकता है ।

साम्यवादियों के पदासीन होने से एक और भारतीय व्यापारी ने भी वहां रबड़ का कारखाना चलाने का विचार छोड़ दिया है । बेकारी बड़ी समस्या है, और पूंजी के बिना इसका यही हल है कि बड़े पैमाने पर बस्तियां बनाई जायें और जो लोग कृषक हैं, वे वहां जा कर कृषि करें । अन्डमान और भोपाल में ऐसा किया गया है । परन्तु जब तक यह काफी अच्छे पैमान पर नहीं होगा तब तक हजारों लोग इसमें नहीं खप सकेंगे । माननीय मंत्री महोदय को इस योजना को प्रोत्साहन देना चाहिए ।

श्री व० प० नायर कह रहे थ कि हमारे कुछ उत्पादों का अच्छा मूल्य प्राप्त नहीं होता और उनकी ओर ध्यान नहीं दिया जाता । इस मामले में मंत्री महोदय को सहायता करनी चाहिये ।

परिवहन समिति के प्रयत्नों के फलस्वरूप केरल राज्य के जेल मार्गों को विकसित करने का निर्णय किया गया है । सारे केरल में नौपरिवहन का विस्तार हो सकता है । परन्तु इसके लिये कोई आर्थिक सहायता उपलब्ध नहीं कराई जा रही है । इन शब्दों के साथ मैं मांगों का समर्थन करता हूं ।

† **श्री पोकर साहेब :** (मलप्पुरम्) : मैं मलाबार की कुछ स्पष्ट समस्यायें आपके सामने रखना चाहता हूं ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में केरल के लिये जो ८७ करोड़ रुपयों का आवंटन किया गया है, वह बहुत ही अपर्याप्त है । केरल देश का सब से छोटा और नया राज्य है और उसकी जन संख्या का घनत्व भी सब से अधिक है, इसलिय इसकी ओर केन्द्र को अधिक ध्यान देना चाहिय ।

केन्द्र को केरल के लिये अधिक आवंटन करना चाहिये । मलाबार पहले मद्रास राज्य में था और मद्रास राज्य ने उसके साथ न्याय नहीं किया था, इसलिये उसकी ओर विशेष ध्यान देना चाहिये ।

राष्ट्रपति के शासन सम्बन्धी प्रतिवेदन की सूची में मलाबार के लिय कोई भी बड़ी योजना नहीं है । यह बर्ताव बहुत ही अन्यायपूर्ण है । केन्द्रीय सरकार को मलाबार की सहायता करने के प्रश्न पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये ।

समूचे केरल, और विशेषकर मलाबार में, बरोज़गारी बहुत अधिक है । उसे औद्योकरीकरण से ही दुर किया जा सकता है, लेकिन सरकार ने वहां इसकी कोई भी योजना कार्यान्वित नहीं की है । उसके विकास के आवश्यक है कि वहां उद्योगों का विकास किया जाये और उसके लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अधिक राशि का आवंटन करना चाहिये ।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि केरल में सुलभ सभी संसाधनों की ओर ध्यान दिया जाये । वहां के संसाधनों का अच्छी तरह से सर्वेक्षण करना आवश्यक है । वहां प्राकृतिक संसाधनों की कमी नहीं है । नीलाम्बुर घाटी में स्वर्ण उद्योग के लिये बड़ी-बड़ी सम्भावनायें हैं । नेवेली में ही नहीं, बल्कि मलाबार के कुछ अन्य भागों में भी लिगनाइट के संसाधन हैं । इन सभी का सर्वेक्षण करना चाहिये ।

अब केरल में कम्युनिस्ट सत्तारूढ़ हो गये हैं, और चूंकि संविधान के अन्तर्गत राज्य-सहायता पाने स्कूलों में धर्म सम्बन्धी शिक्षा नहीं दी जा सकती, इसलिये स्कूलों में स्कूल के समय के बाद धार्मिक शिक्षा देने की बड़ी आवश्यकता है; अयन्था केरल में धार्मिक स्वतंत्रता नहीं रह जायेगी । धार्मिक शिक्षा देने वाले व्यक्तियों के हितों की रक्षा की ओर विशेष ध्यान देना चाहिये ।

किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता की रक्षा की जानी चाहिये । इसका एक उपाय यह भी है कि संविधान के अन्तर्गत जितनी भी धार्मिक शिक्षा स्कूलों में दी जा सकती है, उसका प्रबन्ध किया जाये ।

यह इसलिय अत्यावश्यक है कि कम्युनिस्ट दल धर्म के विरुद्ध ही नहीं है, बल्कि वह सभी धर्मों को घृणा की दृष्टि से देखता है ।

मलाबार के लोगों को अभी भी कुछ अनर्हतायें हैं । किसी भी मस्जिद के निर्माण, और यहां तक कि मरम्मत तक के लिये, कलैक्टर की अनुमति लेना आवश्यक है । यह अनुमति आसानी से नहीं मिलती । धार्मिक शिक्षा के मदरसों के निर्माण के लिये भी यही व्यवस्था है । इससे वहां की मुस्लिम जनता को बड़ी कठिनाई है ।

इस देश के प्रत्येक नागरिक के लिये धर्म बहुत अधिक महत्व रखता है । मुस्लिम जनता को तो धर्म और भी अधिक महत्वपूर्ण लगता है । इन अनर्हताओं का निवारण किया जाना चाहिये । दुसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि संविधान के अनुसार इस देश के किसी भाग का शासन सम्भालने की पहली शर्त यह है कि सत्तारूढ़ होने वाले दल को विदेशी प्रभाव से मुक्त रहना चाहिय ।

†मूल अंग्रेज़ी में ।

[श्री पौकर साहेब]

सभी जानते हैं कि कम्युनिस्ट दल बाहर के एक देश के प्रभाव में चलता रहा है। अब यदि उनका दृष्टिकोण बदलता है, तो मैं उसका स्वागत करूंगा।

केरल में कम्युनिस्टों ने शक्ति प्राप्त करने के सभी सम्भव प्रकार के अपराध किये हैं। इसलिये, हमें उनकी नीति के प्रत्येक परिवर्तन को उनके पिछले इतिहास के प्रकाश में ही देखना चाहिये।

कम्युनिस्टों को जनता को विश्वास दिलाना पड़ेगा कि वे धार्मिक स्वतंत्रता पर कुठाराघात नहीं करेंगे। उन्हें संविधान की इस शर्त को पूरा करना पड़ेगा। उन्हें इसका स्पष्ट प्रमाण देना होगा।

†**पंडित सु० चं० मिश्र** (मुंगेर—उत्तर-पूर्व) : मुझे इसकी प्रसन्नता है कि अब हमारे देश के धुर दक्षिण में कम्युनिस्टों के सत्तारूढ़ होने से दो प्रकार के महान् परीक्षण एक साथ किये जायेंगे। यहां अब देश में ही सह-अस्तित्व के सिद्धान्त को कार्यान्वित किया जायेगा। आशा है कि कम्युनिस्ट इस कसौटी पर फिर खरे उतरेंगे और केन्द्रीय कांग्रेस सरकार भी उनके साथ धैर्य और उदारता का व्यवहार करेगी। केन्द्र को उनके साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करना चाहिये। अब प्रत्येक दल को इस प्रकार व्यवहार करना चाहिये जिससे कि देश की जनता सभी दलों पर से अपना विश्वास न खो बैठे। हमारे देश में समाजवाद के दो रूपों में प्रतियोगिता चल रही है।

मेरा अनुरोध है कि कांग्रस दल और विशेषकर वित्त मंत्री को धैर्य रखना चाहिये। कम्युनिस्ट दल सब से पहले बरोज़गारी की समस्या को हल करने का प्रयास करेगा और इसके लिय उसे वित्त मंत्री की सहानुभूति की आवश्यकता पड़ेगी।

† **श्री अच्युतन** (कैंगनूर) : कम्युनिस्ट दल ने केरल राज्य में काम चलाऊ बहुमत प्राप्त कर लिया है। उन्होंन घोषणा की है कि वे संविधान के अनुसार ही कार्य करेंग। अब हमें देखना यह है कि वे अपने वचनों को कहां तक निभाते हैं। एक प्रकार से यह अच्छा है, क्योंकि अब सभी दल देश का भला करने के लिय प्रतियोगिता करेंगे। मैं यह नहीं कहता कि कांग्रेस दल के प्रशासन में त्रुटियां नहीं हैं। लेकिन हम जनता से झूठे वायदे नहीं कर सकते। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भी मुद्रा-स्फीति के लक्षण दिख रहे हैं और हमें पुंजी की आवश्यकता है।

बरोज़गारी दूर करने के लिये उद्योग खड़े करने चाहियें। विदेशी पूंजी को उचित शर्तों पर देश में आमंत्रित करना चाहिये। देखें अब कम्युनिस्ट दल इसके लिये क्या मार्ग निकालता है। हम सभी को देश के भले के लिये प्रयास करना चाहिये।

हम केरल में कम्युनिस्ट दल के साथ सहयोग करेंगे। हम प्रत्येक मसले पर उसके गुण-दोषों के अनुसार ही अपना दृष्टिकोण बनायेंगे।

श्री वे० प० नायर ने कहा है कि गृह-कार्य मंत्री कम्युनिस्ट दल के मार्ग में बाधायें पैदा करेंगे। एसे निराधार वक्तव्यों से जनता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। सभी दलों को उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार करना चाहिये। इस चुनाव के दौरान में ही, कम्युनिस्ट दल ने अपने दृष्टिकोण में कई बार परिवर्तन किया है। अब वे अनुभव कर रहे हैं कि प्रशासन की वास्तविकता से उन्हें लोहा लेना पड़ेगा, और यह कोई आसान चीज़ नहीं है।

भ्रष्टाचार का क्रिया-कर्म करने के लिय सभी को सहयोग करना चाहिये। कम्युनिस्ट दल भी वर्षों से यही कहता आ रहा था, इसीलिये जनता ने उनको कसौटी पर कसने के लिये ही यह अवसर

†मूल अंग्रेजी में।

दिया है। सभी समस्याओं का हल एक ही दिन में नहीं किया जा सकता। अब कम्युनिस्ट भी यह अनुभव करने लगे हैं।

केरल एक समस्या मूलक राज्य है। वित्त मंत्री और गृह कार्य मंत्री को उसकी ओर अधिक ध्यान देना चाहिये और वहां छोट तथा मध्यम पैमान के उद्योगों--हथकरघा, नारियल जटा, इत्यादि की अधिक योजनायें चालू करनी चाहिये, जिससे बरोज़गारी दूर हो सके। केरल राज्य को समृद्धि के पथ पर चलना चाहिये।

† **श्री वैलायुधन** (क्विलोन व मावलिक्करा--रक्षित--अनुसूचित जातियां) : मैं अपने राज्य में सुधारों के लिये अपना संघर्ष जारी रखूंगा।

मैं जानता हूं कि अब मेरे राज्य--केरल-- में कम्युनिस्ट दल अधिक असुविधाजनक स्थिति में पड़ जायेगा। मैं मेहनतकश वर्गों की ओर से बोल रहा हूं। मैं अपने राज्य की कुछ समस्यायें आपके सामने रखता हूं। राष्ट्र पिता ने दस वर्ष पूर्व कहा था कि भारत के राष्ट्रपति के पद पर एक हरिजन बालिका को होना चाहिये। कांग्रेस यह नहीं कर सकी, और कम्युनिस्ट दल की नेताशाही भी साम्प्रदायिकता से दूर नहीं है।

केरल के इस चुनाव में साम्प्रदायिकता का बड़ा बोलबाला रहा है, और कम्युनिस्ट दल ने भी इसी आधार पर यह चुनाव जीता है, सिद्धान्तों के आधार पर नहीं।

केरल की जनता शीघ्र ही अनुभव करेगी कि कम्युनिस्ट दल अपने वचनों को पूरा नहीं कर रहा है।

हरिजनों को कम्युनिस्ट दल से कोई भी आशायें नहीं हैं। मेरी इच्छा थी कि मेरे राज्य में श्रमिकों का नेतृत्व सत्तारूढ़ हो। वह नहीं हो सका। केरल में एक साम्प्रदायिकवादी नेतृत्व बनने जा रहा है। उनके पदाधिकारियों के चुनाव से यह स्पष्ट हो गया है। उन पदाधिकारियों में एक भी पिछड़े वर्ग या हरिजनों का प्रतिनिधि नहीं है। केरल की समस्या यही है। मुझे यह स्थिति मान्य नहीं है।

मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि हम हरिजन, पिछड़े वर्गों के लोग, इस नये राजनीतिक शोषण के सामने नतशिर नहीं होंगे। हम उससे संघर्ष करेंगे। तभी देश के करोड़ों श्रमिक यह अनुभव कर सकेंगे कि उनकी स्थिति क्या है।

† **श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : इस चर्चा में शायद ही कोई ऐसी बात कही गई है जिसका वित्त से सम्बन्ध हो। एक माननीय सदस्य ने आय-व्ययक के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में कुछ कहा था। जांच-पड़ताल तो प्रत्येक आय-व्ययक की ही की जाती है, विशेषकर इसलिये कि आय-व्ययक को उपस्थापित करने का दायित्व केन्द्र का रहता है। आय-व्ययक की अलग-अलग मदों के लिये हमारा दायित्व उसी सीमा तक रहता है जिस सीमा तक कि केन्द्र द्वारा अनुदान और ऋण दिये जाते हैं। शेष आय-व्ययक तैयार करना नयी सरकार का ही काम है, वह फिर जिस भी प्रकार की हो। इसलिये, हम किसी भी अपने कार्य से उस भावी सरकार को किसी भी प्रकार वचन-बद्ध नहीं बना रहे हैं। मान लीजिये कि मैं अभी इस समय इस आय-व्ययक में अनुमित व्यय को बढ़ा दूं, उसमें तीन या चार करोड़ रुपयों के और अधिक व्यय को बढ़ा दूं, और कहूं कि वह अतिरिक्त राशि सार्वजनिक ऋणों से प्राप्त की जायेगी, तो वह केवल एक कल्पना मात्र होगी। मैं निश्चयपूर्वक यह नहीं कह सकता कि दूसरी सरकार उस राशि को सार्वजनिक ऋणों से प्राप्त भी कर सकेगी

†मूल अंग्रेज़ी में।

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

या नहीं, और हो सकता है कि मैं इस प्रकार उस सरकार के लिये कठिनाई पैदा कर रहा होऊं। इसलिये, माननीय मित्र को यह समझ लेना चाहिये कि हम कोई भी ऐसा आय-व्ययक उपस्थापित नहीं करना चाहते जो यथार्थ से मेल न खाता हो, क्योंकि हम भावी सरकार के लिये कोई कठिनाई पैदा नहीं करना चाहते ।

† **श्री वे० प० नायर** : मेरे कथन का आशय केवल यही था कि आय-व्ययक को इस अन्तिम समय में पुनरीक्षित करने से जनता में यह भय और भी दृढ़ हो जायेगा कि भारत सरकार अन्य दल द्वारा शासित किसी अन्य राज्य की सरकार के लिये कठिनाइयां पैदा करेगी, क्योंकि पहले से उसे ऐसा भय बना ही हुआ है। मैं केवल स्पष्टीकरण चाहता था ।

† **श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मैं माननीय सदस्य के कथन के उपलक्षणों को स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि वे मेरी जानकारी में नहीं हैं। इस आय-व्ययक के सम्बन्ध में, यह मेरा कर्त्तव्य है कि मैं प्रशासन के लिये लेखानुदान की मांग को मतदान के लिये रखूं, और यह भी कि वे मांगें यथार्थ से मेल खाती हों। मैं यह नहीं कह सकता कि हमें तमाम स्रोतों के राजस्व मिलने की सम्भावना है, इसलिये आय-व्ययक में व्यय की राशि को बढ़ा देना चाहिये। इस आय-व्ययक विशेष का क्षेत्र बहुत ही संकीर्ण है। हो सकता है कि नयी सरकार पन्द्रह दिनों के बाद ही एक नया आय-व्ययक पुरःस्थापित कर दे। मैं उसके मार्ग में कोई बाधा खड़ी नहीं कर रहा हूं, उसके हाथ नहीं बांध रहा हूं। केन्द्रीय सरकार की भांति ही, मैं योजित व्यय सम्बन्धी या साधारण व्यय सम्बन्धी ऋणों और अनुदानों के अपने वचनों को मानने पर बाध्य हूं। जहां तक इस आय-व्ययक का सम्बन्ध है, मैं भावी सरकार से यही कह सकता हूं कि मैं अपने केवल इन वचनों से वचन-बद्ध हूं। यदि कोई नयी सरकार नहीं आती, और मुझ को ही इसका भार वहन करना पड़ता है, तो उसका दायित्व मुझ पर ही आता है। आशा है कि ऐसी आकसमिकता सामने नहीं आयेगी ।

माननीय मित्र यही कहना चाहते थे कि आय-व्ययक का पुनरीक्षण हुआ है। यथार्थ से उसका मेल बैठाने के लिये, आय-व्ययक का पुनरीक्षण करना ही पड़ता है। यह आय-व्ययक मूल रूप में त्रावनकोर-कोचीन राज्य के कुछ अधिकारियों ने तैयार किया था। और, यह स्वाभाविक ही है कि त्रावनकोर-कोचीन के अधीक्षक द्वारा तैयार किये गये आय-व्ययक में मैं कुछ परिवर्तन करूं। हो सकता है कि माननीय सदस्य मेरी बुद्धि पर इतना भरोसा न करते हों, जितना कि एक अधीक्षक की बुद्धि पर, और सोचते हों कि मुझे उसके तैयार किये गये आय-व्यय को ज्यों का त्यों अनुमोदित कर देना चाहिये। लेकिन, मैं इतना अधिक अल्प-बुद्धि नहीं हू ।

दूसरी बात यह है कि मैं भी एक अन्तःकरण रखता हूं, और वह मुझे किसी भी नयी सरकार के मार्ग में कठिनाई पैदा नहीं कर देगा, फिर वह सरकार किसी भी दल की क्यों न हो। मैं आप को बता दूं कि मैं इस बात का कोई ख्याल ही नहीं करता, मुझे इस से कोई मतलब ही नहीं है कि सरकार किस दल की है। लेखानुदान पर सभा का मत प्राप्त करने के लिये आय-व्ययक तैयार करते समय एक वित्त मंत्री के रूप में, मुझे इन सब ऐसे विचारों की ओर ध्यान नहीं देना चाहिये। यदि कोई पुनरीक्षण हुआ भी है, तो मैं माननीय सदस्य को उसके सम्बन्ध में यही आश्वासन देता हूं। और, जो भी पुनरीक्षण किया जाता है, वह सभी सार्वजनिक चीज़ होती है। मैं यह नहीं कह सकता कि बिलकुल पुनरीक्षण हुआ ही नहीं है। वास्तव में, मैं स्वयं ही सभी आय-व्ययकों में काफी पुनरीक्षण करता हूं, क्योंकि मैं अन्य लोगों द्वारा तैयार किये हुए आय-व्ययकों का दायित्व लेने के लिये तैयार नहीं हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

इसीलिये, मैं अपने माननीय मित्र को बता देना चाहता हूं कि जहां तक मेरा सम्बन्ध है मैं साधारण प्रयोजनों या योजना के कार्यों के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये गये ऋणों और अनुदानों के रूप में इस आय-व्ययक में दिखाई गई राशियों की सहायता देने के लिये वचन-बद्ध हूं। इसके अतिरिक्त, मेरा और किसी भी चीज़ का दायित्व नहीं है। मैं किसी भी भावी सरकार के हाथ नहीं बांध रहा हूं। वह नयी सरकार इसे बदल सकती है। इसमें केवल इतनी सी बात है कि यह आय-व्ययक तभी तक लागू रहेगा जब तक कि नयी सरकार स्वयं अपना आय-व्ययक तैयार नहीं कर लेती या उचित विधान द्वारा इसे अनुमोदित नहीं कर देती। इसलिये, किसी भी भावी सरकार के हाथ बांधने, उसका क्षेत्र सीमित करने का कोई प्रश्न ही नहीं है, और न मैं इस आय-व्ययक में जो कुछ भी दिया गया है उसके अतिरिक्त किसी अन्य चीज़ का दायित्व लेने के लिये भी ही तैयार हूं। मैं स्पष्ट रूप में कहता हूं कि इस मामले में कोई भी दुराशय नहीं है। यह तो साधारण वित्तीय सिद्धान्त का ही एक मामला है, और मैंने उसकी पूर्ति के लिये, अपनी क्षमता के अनुसार, जो भी किया जा सकता था आय-व्ययक में दिखा दिया है। यदि मुझे ही आगे भी वित्त मंत्री के रूप में कार्य सम्भालना पड़ता है, तो मैं इसी आय-व्ययक के अनुसार चलूंगा, इसी को ठीक मानूंगा। यदि कोई और आता है, तो वह अपनी इच्छानुसार चलेगा।

श्री अ० म० थामस ने योजित व्यय के सम्बन्ध में कहा था। इस पर हम किसी दूसरे अवसर पर चर्चा कर चुके हैं। इस योजित व्यय के विषय पर तो हम चर्चा करते रह सकते हैं कि यह सही है या नहीं, या केन्द्र द्वारा दिये गये अनुसहाय्य ठीक हैं या नहीं, इत्यादि। यह चर्चा तो अगले चार वर्षों तक चलती रहेगी। इन पर चर्चा की जा सकती है और इनका समायोजन भी किया जा सकता है। इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों ही ओर से तर्क दिये जा सकते हैं। मेरा तो केवल इस से इतना ही सम्बन्ध है कि हम ने इस राज्य के लिये लगभग ६८ करोड़ रुपयों की राशि निर्धारित कर दी है। यह १९५७-५८ में खर्च की जाने वाली राशि के गणित जैसे ठीक-ठीक मूल्यांकन का तो कोई प्रश्न है नहीं, यह प्रश्न तो इस बात का है कि कितना खर्च किया जा सकता है और योजनायें क्या हैं उन पर कितना खर्च किया जा सकता है।

उस का अर्थ यह नहीं है कि यदि राज्य अतिरिक्त साधनों से रुपया प्राप्त कर सके तो वह व्यय नहीं कर सकेगी। उन्हें अन्य साधनों से रुपया प्राप्त करने तथा उसे व्यय करने में कोई रुकावट नहीं है। मुझे आशा है कि राज्य योजना में वृद्धि करेंगे। जहां तक मेरा सम्बन्ध है मैं इतने तक निश्चित रूप से व्यवस्था करूंगा——जहां तक राज्यों के व्यय का सम्बन्ध है उसमें आगे भी परिवर्तन किये जा सकते हैं। हो सकता है कि इसमें २० या तीस लाख रुपये घटा या बढ़ा दिये जायें किन्तु हमने इस स्तर को निर्धारित किया है और व्यय की आवश्यकतायें आयोजित आय-व्ययक में से पूरी की जायेंगी। यह बात नहीं है कि हम अमुक राज्य के लिये यह कर रहे हैं या वह कर रहे हैं।

मैंने योजना आयोग को यह बता दिया है कि हम योजना की अवधि में राज्यों को ४२५ करोड़ रुपया देंगे और मैं इस बात को पूरा करूंगा। यह रकम अनुपातिक आधार पर दी जायेगी। ऐसा करने से हम ने किसी सिद्धान्त को नहीं छोड़ा है। हो सकता है कि कुछ लाख रुपयों का अन्तर रहता हो किन्तु यह आपस में रजामन्दी की बात है। इन बातों के अधीन १९५७-५८ की अवधि में केरल का जो आयोजित व्यय मैं समझता हूं वह मंजूर हुई राशि के लगभग बराबर है।

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : सामान्य चर्चा के दौरान जो बातें उठाई गई हैं——परिवर्तित स्थिति को देखते हुये उन में से प्रत्येक का उत्तर देना आवश्यक नहीं है। किन्तु कुछ बातों का उत्तर मैं संक्षेप में दूंगा। श्री फ्रेंक एन्थनी ने केरल विधान सभा में एक आंग्ल-

†मूल अंग्रेज़ी में।

[श्री दातार]

भारतीय सदस्य के नाम निर्देशन की बात कही है। जैसा कि वह जानते हैं—इस समय वहां के राज्यपाल इस बात पर विचार कर रहे हैं और जो बात माननीय सदस्य ने यहां कही है उस पर राज्य पाल विचार करेंगे और केरल विधान-सभा में एक उचित सदस्य मनोनीत किया जायेगा ।

कुछ सदस्यों ने यह कहा कि राष्ट्रपति के शासन के दौरान जो प्रशासनिक व्यवस्था वहां कायम हुई अब शायद नये काम को न चला सके। वास्तव में प्रशासनिक व्यवस्था में बहुत सुधार किये गये हैं जैसा कि प्रवेदन से पता चलता है। पहले किसी सीमा तक सब अधिकार सचिवालय में केन्द्रित थे। वह बात अब खत्म कर दी गई है और बहुत सी बातें अब छोटे स्तर पर भी की जाती है—अधिकारों का विकेन्द्रीकरण कर दिया गया है। प्रशासन के स्तर में सुधार करने के लिये और भी कार्यवाही की गई है।

मुझे सारी बातें कहने की आवश्यकता नहीं। राष्ट्रपति के शासन के दौरान भी हम यह प्रयास करते रहे हैं कि विभिन्न योजनायें क्रियान्वित होती रहें और प्रशासन व्यवस्था इस प्रकार की है कि वह विकास कार्यों में अच्छा भाग ले सकती है। पदाधिकारी केवल प्रशासन चलाने के लिये ही नहीं हैं—बल्कि हम एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर रहे हैं। इसलिये जब प्रतिनिधि सरकार वहां का काम एक या दो सप्ताह में सम्हालेगी तो मुझे विश्वास है कि वह इस प्रशासनिक व्यवस्था को अत्यन्त लाभदायक समझेगी।

साम्यवादी दल की ओर से बहुत सी बातें कही गई हैं और उन्हें भी बहुत से लोगों ने मंत्रणा दी है कि वहां वह सरकार को किस ढंग से चलायें। यह बात उन पर निर्भर है किन्तु जहां तक भारत सरकार का सम्बन्ध है उसे समस्त देश का ध्यान रखना पड़ता है। सरकार सभी राज्यों को उसी प्रकार सहायता देगी जैसे कि अब तक देती रही है और वहां की नई सरकार के लिये यह बात खुली है कि वह वहां प्रशासन को रचनात्मक तथा लोक तंत्रात्मक ढंग से चलायें और केन्द्र की सहायता का पूरा लाभ उठायें। केन्द्रीय सरकार ने कभी किसी मामले में मतभेद नहीं किया। प्रशासन को ठीक ढंग से चलाना उनके हाथ में है। केन्द्र उन्हें उचित सहायता देगा। भारत का विकास करना है और केरल पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

मित्र श्री वे० प० नायर ने गृह मंत्री के एक वर्ष पूर्व दिये गये भाषण का ठीक ठीक निर्वचन नहीं किया। उन्होंने कहा था कि केरल के साथ न्याय नहीं हुआ। इसका यह अर्थ नहीं है कि न्याय भारत सरकार ने नहीं किया। कई बातें भी जिनके बारे में अब कुछ कहना आवश्यक नहीं है। कई कारणों से केरल (भूतपूर्व त्रावनकोर-कोचीन) राज्य में वह प्रगति न हो सकी जो होनी चाहिये थी। गृह मंत्री ने यह कभी नहीं कहा कि यह बात भारत के गवर्नर जनरल के कहने पर हुई। जहां तक केरल राज्य के विकास का सम्बन्ध है—भारत सरकार समस्त संभव देती रहेगी। कोई दल वहां पर सरकार बनाये इस कारण से कभी मतभेद नहीं होगा।

दल का प्रश्न कोई महत्वपूर्ण नहीं है। निर्वाचनों के बाद हम सब लोगों को जनता के हितों के लिये काम करना पड़ता है। मुझे विश्वास है कि थोड़े ही दिनों में केरल में बनने वाली नई सरकार जनता के हितों का पूरा ध्यान रखेगी और प्रशासन को इस रीति से चलायेगी जिससे लोगों का विश्वास उनमें दृढ़ हो जाये। निर्वाचनों के समय जो बचन दिये जाते हैं उनपर विश्वास करना ही पड़ता है। केरल की नई सरकार उचित ढंग से शासन चलाये और भारत सरकार उन्हें पूरी पूरी सहायता देगी। केरल राज्य तथा अन्य राज्यों की सरकारों को इस बात पर ध्यान रखना चाहिये कि गरीब लोगों के हितों का ध्यान रखना होगा और उन्हें उन्नत

करने के तरीके शीघ्रातिशीघ्र ढूंढने होंगे। इसी दृष्टिकोण से हमें काम करना है। मुझे विश्वास है कि केरल की सरकार भी इन्हीं बातों पर ध्यान रखेगी।

दूसरी बात उच्च-न्यायालय सम्बन्धी आन्दोलन के बारे में कही गई। वह आन्दोलन कई महीने चला। मैं उसके गुण दोषों के बारे में नहीं बताउंगा क्योंकि अब वह आन्दोलन रोक दिया गया है। कल श्री वें० प० नायर ने प्रश्न उठाया था कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा ५१ (३) के विभिन्न निर्वचन क्यों होते हैं। धारा ५१ उच्च-न्यायालयों के स्थानों के बारे में है। उपधारा (२) स्थायी बेंच से सम्बन्धित है और उपधारा (३) अस्थायी बेंच से। यदि माननीय सदस्य उपधारा (३) के शब्दों को देखें--उन्हें मालूम होगा कि केरल उच्च-न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने इसका विशिष्ट निर्वचन किया था। अन्य न्यायालयों ने इसका अर्थ भिन्न रूप से लिया है--किन्तु जहां तक न्यायिक पक्ष का सम्बन्ध है इस बात पर विचार करना ह। यदि किसी राज्य का न्यायाधीश एक विशेष निर्वचन दे और यदि उस निर्वचन को गलत समझा जाये तो उसको ठीक कराने के लिये भी रास्ते हैं। राष्ट्रपति को इस बात में कुछ कहना आवश्यक नहीं है --क्योंकि यहां के मुख्य न्यायाधीश का दूसरा दृष्टिकोण है। सभा इसबात से सहमत है कि न्यायिक बातों को हमें मानना पड़ता है--यदि उससे उच्च-न्यायालय उसके उलट फैसला दे तब दूसरी बात है। यह कार्यपालिका द्वारा की गई कार्यवाही नहीं है। मामला विवादास्पद है--इस मामले में केरल के उच्च-न्याधीश का दृष्टिकोण अलग है अन्य राज्यों के उच्च न्यायालयों का दृष्टिकोण अलग है। जब तक वह दृष्टिकोण रहता है--केन्द्रीय सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती।

†**श्री नो० श्रीकान्तन नायर** (क्विलोन व मावेलिस्करा) : क्या यह मामला संविधान के अनुच्छेद १३३ के अधीन नहीं आता ?

† **श्री दातार :** जब इस सभा ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना दिया है--इसका निर्वचन तो न्यायाधीश ही करेंगे। उपधारा (३) में यह लिखा है कि एक बेंच ऐसे स्थान या स्थानों पर बैठेगा जिनके बारे में मुख्य न्यायाधीश फैलसा करे। इस प्रश्न पर विभिन्न उच्च-न्यायालयों के मुख्य-न्यायाधीशों ने सोचना है। इस स्थिति में यह उचित नहीं है कि भारत सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करे। एक रूपता प्राप्त करना बड़ा कठिन काम है। वह इस प्रकार प्राप्त हो सकती है यदि दूसरा पक्ष मामले को उच्चतम-न्यायालय में ले जाये--तब वह न्यायालय जो निर्णय देगा उसे सब को अनुसरण करना होगा।

कुछ सदस्यों ने कहा है कि कई क्षेत्रों की परवा नहीं की गई। एक माननीय सदस्य ने कहा कि मालावार की ओर ध्यान नहीं दिया गया। आय व्ययक से उन्हें पता लगे गा कि कितनी योजनायें वहां चल रही हैं। कई योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है--आशा करता हूं कि नई सरकार भी मलाबार की ओर पूरा ध्यान देगी। प्रादेशिक विकास पर योजना आयोग ने काफी जोर दिया है--इस जिन भागों के बारे में कहा जा रहा है कि उनकी परवा नहीं की गई उनका पूरा ध्यान रखा जायेगा। आखिर कार इन सब बातों को धीरे धीरे करना पड़ता है।

"मीनियल" शब्द पर भी श्री वे० प० नायर ने आपत्ति की। शब्द कोष से उसका अर्थ बताया और कहा कि यह अभिव्यक्ति बुरी है। यह शब्द बहुत देर से चल रहा है और संभवतया उसकी खराबी भी प्रयोग से दूर हो गई है। हम इसके जिम्मेदार नहीं हैं। उनकी सकार अब बनेगी --वह इसे बदल सकते हैं।

जहां तक औद्योगिकरण का सम्बन्ध है कुछ रकमें इस प्रयोग के लिय अलग रखी गई हैं। उत्पादन मंत्रालय ने मुझे बताया है कि ४५ लाख रुपये की लागत की लागत का एक डी० डी० टी०

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री दातार]

का कारखाना अलवाय में बनाया जा रहा है। दूसरी योजनायें भी हैं। मुझे बताया गया है कि मंत्रालय ग्रामोद्योगों तथा हथकरघों तथा दूसरे उद्योगों के विकास करने के लिये सहायता देने को तैयार है। नई सरकार इन सब कामों को कर सकती है। अब हालत बदल गई है—पहले तो माननीय सदस्य हमारी आलोचना कर सकते थे। अब वह अधिक आलोचना नहीं कर सकते क्योंकि अब जो बातें वे हमें कह रहे हैं—उन्हें सहनी पड़ेंगी। मैं आशा करता हूं कि वह प्रशासन को ठीक ढंग से चलाने की कोशिश करेंगी। उन्होंने जो कुछ विरोध के नाते कहा है उसे वास्तविकता की दृष्टि से उन्हें बदलना होगा। आज श्री वें प० नायर न अपने भाषण में पर्याप्त नियंत्रण रखा है। पहले तो वह हमारी निन्दा ही किया करते थे। आज वह शान्त थे। इसे समय का फेर कहा जाता है। पहले ये लोग सब से झगड़ते थे। आलोचना की कोई सीमा नहीं थी। उनकी सरकार बनने से वे सब जिम्मेदारी का विचार करने लगे हैं। हमें इस पर खुशी है। आखिरकार केरल भारत का एक सुन्दर भाग है। उनकी सहायता करना हमारा कर्तव्य है। किन्तु कई बातें सीख कर उन्हें अपनी सहायता स्वतः करनी चाहिये। आशा है कि वे वहां की गरीब जनता को उन्नत करेंगे।

केरल आय-व्ययक लेखानुदानों की मांगें*

†**सभापति महोदय** : अब हम अनुदानों की मांगें लेंगे। सारी मांगें इकट्ठी रखी जायेंगी—कटौती प्रस्ताव भी बाद में एक साथ ही प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गयीं:—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रु०
१	कृषि आर कर तथा बिक्री कर	४,५५,०००
२	भू–राजस्व	११,०६,०००
३	उत्पादन-शुल्क	४,७६,०००
४	स्टाम्प	१,०२,०००
५	वन	२५,१२,०००
६	पंजीयन	५,०६,०००
७	गाड़ियों पर कर	३,०३,०००
८	सिंचाई	४,५२,०००
९	राज्यों के प्रधान मंत्री, सचिवालय तथा संलग्न दफ्तर . .	१०,८५,०००
१०	राज्य-विधान-मण्डल	१,४४,०००
११	निर्वाचन	१०,००,०००
१२	जिला प्रशासन तथा विविध	१२,६०,०००
१३	न्याय व्यवस्था	१४,७९,०००
१४	जेल	५,००,०००

†मूल अंग्रेजी में।

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पेश की गई।

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
१५	पुलिस	४०,३९,०००
१६	वैज्ञानिक विभाग	१,०६,०००
१७	शिक्षा	२१४,२९,०००
१८	चिकित्सा	५१,१९,०००
१९	लोक स्वास्थ्य	४२,५८,०००
२०	कृषि	२४,९८,०००
२१	ग्राम विकास	१८,५६,०००
२२	पशु चिकित्सा	४,०९,०००
२३	सहकारिता	५,५८,०००
२४	उद्योग	४७,९४,०००
२५	श्रम तथा विविध	२१,१४,०००
२६	असैनिक कार्य	८३,८२,०००
२७	बिजली	२४,५९,०००
२८	निवृत्ति वेतन	२६,००,०००
२९	लेखन सामग्री तथा मुद्रण	९,९४,०००
३०	विविध	७,१४,०००
३१	सामुदायिक विकास परियोजनायें	२४,८२,०००
३२	परिवहन योजनायें	४५,५३,०००
३३	सिंचाई पर पूंजी व्यय (वाणिज्यिक)	३१,८३,०००
३४	सिंचाई पर पूंजी व्यय (गैर-वाणिज्यिक)	१९,१६,०००
३५	लोक स्वास्थ्य पर पूंजी व्यय	२७,०८,०००
३६	कृषि सुधार पर पूंजी व्यय	१९,०००
३७	उद्योगिक विकास पर पूंजी व्यय	३३,५६,०००
३८	असैनिक कार्यों पर पूंजी व्यय	६७,७०,०००
३९	बिजली योजनाओं पर पूंजी व्यय	७७,४९,०००
४०	राजस्व लेखे से बाहर अन्य कार्यों का पूंजी लेखा	३,३०,०००
४१	परिवहन योजनाओं पर पुंजी व्यय	३,५०,०००
४२	निवृत्ति वेतनों का राशिकृत मूल्य	१९,०००
४३	सरकार द्वारा व्यापार की योजनाओं पर पूंजी व्यय	२२,३२,०००
४४	राज्य-सरकार द्वारा ऋण अग्रिम धन	२७,०७,०००

निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
			रु०
१७	श्री वे०प० नायर .	राज्य की भाषा जानने वाले उप-कुलपति की आवश्यकता ।	१००
१७	श्री वे० प० नायर .	गैर-सरकारी कालिजों तथा सरकारी कालिजों के अध्यापकों के समान वेतन क्रम की आवश्यकता ।	१००
१८	श्री वे० प० नायर .	अस्पतालों तथा डिस्पैंसिरियों में औषधियों तथा यन्त्रों की कमी ।	१००
१८	श्री वे० प० नायर .	त्रिवेन्द्रम मेडिकल कालिज के छात्रों को पढ़ाई के बारे में अपर्याप्त सुविधायें ।	१००
१८	श्री वे० प० नायर .	रोगियों के लाभार्थ नूरानन्द के कुष्ठ रोग आरोग्यशाला के लिये और अधिक निधियों की व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	१००
१८	श्री वे० प० नायर .	स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक द्वारा अपर्याप्त अधीक्षण ।	१००
१८	श्री वे० प० नायर .	अधीनस्थ कर्मचारियों तथा नर्सों को अपर्याप्त वेतन ।	१००
१८	श्री वे० प० नायर .	अस्थायी कर्मचारियों की कठिनाइयां ।	१००
२०	श्री वे० प० नायर .	भूमि गवेषणा के लिये अपर्याप्त उपबन्ध ।	१००
२०	श्री वे०प० नायर .	बत्तख पालन केन्द्र के लिये अपर्याप्त उपबन्ध ।	१००
२०	श्री वे० प० नायर	मतस्य पालन की महत्वपूर्ण समस्या पर कम ध्यान देना ।	१००
३	श्री नी० श्रीकान्तन नायर	मद्यनिषेध के प्रश्न पर समस्त राज्य में समान नीति की आवश्यकता ।	१००
९	श्री नी० श्रीकान्तननायर	राज्य प्रशासन में उच्च अधिकारियों की भरमार ।	१००
१४	श्री नी० श्रीकान्तन नायर.	जेल सुधार समिति के प्रतिवेदन को लागू करने की आवश्यकता ।	१००

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
			रु०
१७	श्री नी० श्रीकान्तन नायर	माध्यमिक स्कूल परीक्षा तक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करने की आवश्यकता।	१००
१७	श्री नी० श्रीकान्तन नायर	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों को केरल में लागू करने की आवश्यकता ।	१००
१७	श्री नी० श्रीकान्तन नायर	गैर-सरकारी तथा सरकारी शिक्षा संस्थाओं के कर्मचारियों को समान वेतन देने की आवश्यकता।	१००
१८	श्री नी० श्रीकान्तन नायर	अस्पतालों में और अधिक औषधियों की व्यवस्था करने की आवश्यकता।	१००
१८	श्री नी० श्रीकान्तन नायर	कुष्टरोग आरोग्यशाला के रोगियों को और अधिक सुविधाओं की व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	१००
२०	श्री नी० श्रीकान्तन नायर	किसानों को उधार पर खाद देने की आवश्यकता ।	१००
२०	श्री नी० श्रीकान्तन नायर	सुव्यवस्थित कृषि फार्मों की स्थापना की आवश्यकता ।	१००
२४	श्री नी० श्रीकान्तन नायर	काजू के कारखानों में गैर मौसमी घोषणा का लागू न किया जाना ।	१००
२४	श्री नी० श्रीकान्तन नायर	काजू उद्योग को बेकार कर्मचारियों को सहायता देने में असफलता।	१००
२४	श्री नी० श्रीकान्तन नायर	नारियल जटा उद्योग में न्यूनतम मजूरी का लागू न किया जाना ।	१००
२४	श्री नी० श्रीकान्तन नायर	सहकारी तौर पर काजू के कारखानों का न खोला जाना ।	१००
२४	श्री नी० श्रीकान्तन नायर	कुंडारा के दो कुम्भकारी के कारखानों के कार्यों में समन्वयता लाने की आवश्यकता	१००
२४	श्री नी० श्रीकान्तन नायर	सरकारी टी० एम० सी० द्वारा श्रम निधियों के अनुसार संविहित कार्यों का पूरा न किया जाना ।	१००
१३	श्री नी० श्रीकान्तन नायर	त्रिवेन्द्रम में केरल उच्च-न्यायालय की एक डिवीजन बैंच स्थापित करने की आवश्यकता ।	१००

†**श्री वे० प० नायर** : मैं मत्स्य पालन के बारे में अपने कटौती प्रस्ताव पर कुछ कहना चाहता हूं। मत्स्य पालन के लिये और अधिक धनराशि उपलब्ध कराने के लिये भारत सरकार को स्थायी रूप से राज्य सरकार की सहायता करते रहना चाहिये। मत्स्य पालन के सिलसिले में भारत और नार्वे के बीच एक योजना है किन्तु यदि कुछ कार्यवाही शीघ्र ही नहीं की गई तो सम्पूर्ण योजना व्यर्थ हो जायेगी नीन्दाकारा में मत्स्य बन्दर का निर्माण हो। राज्य सरकार से यह कहना उचित नहीं है। इस का उत्तर-दायित्व केन्द्रीय सरकार पर है। उन्हें वहां विशेषज्ञ भेज कर योजना की रूपरेखा बनाना चाहिये।

मत्स्यहारा वर्ग की कुछ समस्यायें हैं। समुद्र का पानी धरा पर अतिक्रमण कर रहा है परिणाम-स्वरूप उक्त वर्ग सर्वथा अरक्षित हो गया है। केन्द्रीय सरकार को कुछ ऐसे उपाय ढूंढ़ना चाहिये कि भूमि का कटाव रुक कर वहां के लोग सुरक्षा पूर्वक रह सकें। इलमिनाइट और मोनजाइट की खोज में वहां से रेत उठाली गई है और उदवि की साम्राज्य रेखा बढ़ती जा रही है। भारत सरकार को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिये।

वहां कोढ़ियों के लिये एक आश्रम है। इस प्रकार की यह समूचे भारत में एक ही संस्था है। उसमें ८०० कोढ़ी हैं जिन में ४०० स्त्रियां हैं। केन्द्रीय सरकार ने इसकी सहायता स्वरूप एक पाई नहीं दी है। लेशमात्र भी चिन्ता की जाये तो काफी काम हो सकता है। राज्य सरकार का आय़व्ययक सीमित है अतः केन्द्रीय सरकार को चाहिये कि वह इस संस्था को जो भारत की सबसे बड़ी संस्था है, सहायता करे। खास तौर पर हमारे राज्य में यह रोग बहुत बढ़ रहा है अतः भारत सरकार को मदद करनी चाहिये।

†**श्री नी० श्रीकान्तन नायर** : मेरा पहला कटौती प्रस्ताव मद्य निषेध के संबंध में है। यह एक बेवकूफी की नीति है क्योंकि छिप कर लोग खूब पीते हैं। अतः इसे रोकने के लिये कोई और उपाय ढूंढ़ा जाना चाहिये। सरकार को चाहिये कि इसे रोकने के लिये साम्यवादी सरकार को जिस सहायता की आवश्यकता हो उसे सरकार दे।

मेरा दूसरा कटौती प्रस्ताव प्रशासन में अधिकारियों की संख्या की अधिकता के संबंध में है। १८ करोड़ रुपये का व्यय तो इन्हीं अधिकारियों पर होता है तो फिर अन्य कामों में व्यय करने के लिये कुछ भी शेष नहीं रह जाता।

श्री फ्रेंक एन्थोनी के कटौती प्रस्ताव के सम्बन्ध में हमें यह कहना है कि उन्होंने मिस्टर लूईस के सम्बन्ध में जो आरोप लगाये हैं वह गलत हैं। भारत में आंग्ल-भारतीयों के हजारों परिवार हैं। मैं फिरन्गी तथा आंग्ल-भारतीयों में क्या अन्तर है, इस की चर्चा नहीं करना चाहता। पर चूंकि आंग्ल भारतीयों को कोई प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त हो पाया है अतः उन को नामजद करना ठीक है।

विश्वविद्यालय अनदान आयोग की सिफारिशों के सुम्बन्ध में हमें यह कहना है कि अध्यापकों का वेतन जो बढ़ाया गया है वह काफी नहीं है। गैर-सरकारी संस्थाओं को भी सरकार द्वारा सहायता मिलनी चाहिये ताकि उन में पढ़ने वाले छात्रों को उचित शिक्षा मिल सके।

अस्पतालों में हमें सादा पानी ही मिलता है जिस में कुछ नमक मिला दिया जाता है। जो कुछ होती भी हैं वह या तो चोरी चली जाती हैं या उन को डाक्टर लोग अपने प्रयोग के लिये ले जाते हैं। आशा है साम्यवादी सरकार इस गड़बड़ी को भी दूर करेगी।

मैं इस बात की ओर अवश्य संकेत कर देना चाहता हूं कि वहां पर इस समय औषधियों का जितना स्टाक है वह पर्याप्त नहीं है, उसे बढ़ाना आवश्यक है। मुझे आशा है कि भविष्य में लोगों को अधिक और अच्छी औषधियां संभारित की जायेंगी।

---

†मूल अंग्रेजी में।

जहां तक काजू उद्योग का सम्बन्ध है, यह घोषणा की गई थी कि काजू उद्योग के कारखाने गैर-मौसमी हैं। परन्तु कारखानों के मालिक इस मामले को उच्च न्यायालय में ले गये, जिस ने उस घोषणा के विरुद्ध निर्णय दे दिया उस के परिणाम स्वरूप मजदूरों की अवस्था वैसी की वैसी ही रह गयी, अर्थात् उन्हें वर्ष में लगभग चार मास तक बेकार रहना पड़ता है। उन कारखानों के बन्द रहने के कारण लगभग २५,००० मजदूर बिल्कुल बेकार बैठे हुए हैं। मेरी प्रार्थना है कि कारखानों को फिर से खोल दिया जाये, सहकारी समितियां चलाई जायें और मजदूरों को फिर से रोजगार प्रदान किया जाये।

फिर, मजदूरों को संविहित तथा अन्य प्रकार के अधिकार देने वाले कुछ एक श्रम-विधानों को लागू करने का प्रश्न भी है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

यदि उन्हें वे अधिकार न दिये गये तो उन्हें कोई और मार्ग अपनाना पड़ेगा। मुझे आशा है कि वहां की नई साम्यवादी सरकार उन बेचारे मजदूरों की अवस्था को सुधारने का प्रयत्न करेगी। यदि वह नई सरकार भी इस दिशा में कोई प्रयत्न नहीं करती तब तो इस बात की आशंका है कि मजदूरों को हड़ताल का ही सहारा लेना पड़ेगा। यह एक अत्यन्त गम्भीर समस्या है जिस का सम्बन्ध केवल राज्य सरकार से ही नहीं, अपितु केन्द्रीय सरकार से भी है। अतः वहां की साम्यवादी राज्य सरकार और केन्द्रीय कांग्रेस सरकार दोनों से ही यह प्रार्थना है कि वे इस समस्या की ओर पूरा पूरा ध्यान दें और इसे सुलझाने का प्रयत्न करें, क्योंकि वहां पर मजदूरों के प्रति अन्याय किया जा रहा है, संविधान द्वारा दिये गये अधिकारों का अपहरण किया जा रहा है।

मैं सभा से अनुरोध करता हूं कि वह मेरे कटौती प्रस्ताव का समर्थन करें।

†**श्री अ० म० थामस** : श्री नायर ने भी मत्स्यपालन का उल्लेख किया है। वास्तव में उस विभाग की ओर उचित ध्यान नहीं दिया गया है। १९५६-५७ के आयव्ययक में त्रावनकोर कोचीन राज्य के मत्स्य पालन की कुल योजना के लिये ५०·२६ लाख रुपये की व्यवस्था की गई है और १९५६-५७ के लिये ६·८२ लाख रुपये निर्धारित किये गये हैं। राष्ट्रपति के शासन के प्रतिवेदन से मुझे यह ज्ञात हुआ है कि इस दिशा में केरल राज्य में केवल ४.३२ लाख रुपये ही खर्च किया जायेगा। यह तो अत्यन्त असंतोषजनक बात है।

इस सम्बन्ध में दूसरी बात यह है कि नार्वे की ओर से एक परियोजना चल रही है, जिस में मछलियां पकड़ने की यंत्र चालित नौकायें हमारे तट के निकट आ जाती हैं, जिस के परिणाम स्वरूप भारतीय मछेरे बेचारे अपनी रोजी से वंचित रह जाते हैं। मुझे आशा है कि गृह कार्य मंत्री जी इस की ओर अवश्य ध्यान देंगे।

इसके अतिरिक्त मैं विश्वविद्यालयों के अध्यापकों के वेतन क्रम के प्रश्न की ओर भी आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं। हाल ही में सभी सरकारी कालिजों में काम करने वाले अध्यापकों के वेतन क्रम बढ़ा देने की घोषणा हुई है। मेरा निवेदन है कि वह उपबन्ध गैर-सरकारी कालिजों के अध्यापकों पर भी लागू हो।

इस बात की ओर भी संकेत किया गया है कि अस्पतालों में संभरित की जाने वाली औषधियों की मात्रा पर्याप्त नहीं है। कोचीन क्षेत्र के लोगों की ओर से यह शिकायत की गई कि उन्हें अब पर्याप्त मात्रा में चिकित्सा सम्बन्धी सविधायें नहीं दी जा रही हैं। मालाबार क्षेत्र की भी अब वही दुर्दशा होने वाली है। यदि वहां भी चिकित्सा सम्बन्धी सुविधायों को घटा दिया गया तो वहां के लोग भी असन्तुष्ट

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री अ० म० थामस]

हो जायेंगे। वहां की स्थिति बिगड़ती जा रही है। वहां पर पर्याप्त मात्रा में औषधियां संभरित नहीं की जा रही हैं। एरणाकुलम जनरल अस्पताल जैसे उच्च कोटि के अस्पताल की अब यह दशा है कि रोगियों को रूई भी अपने घर से मंगवानी पड़ती है। मुझे आशा है कि चिकित्सा विभाग इस की ओर पूरा पूरा ध्यान देगा और इन शिकायतों को दूर करने का प्रयत्न करेगा।

वहां पर कई कुष्ट रोग चिकित्सालय चल रहे हैं। एक तो नूरनाड में है, दूसरा वरीकोली में, और तीसरा अडूर में है। परन्तु क्या सरकार ने कभी सोचा भी है कि यह अस्पताल कैसे चल रहे हैं, उन को कौन सहायता दे रहा है। मैं चाहता हूं कि चिकित्सा विभाग इस बात की ओर पूरा पूरा ध्यान दे।

अन्त में मैं प्रशासन पर किये जाने वाले अत्यधिक व्यय के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। आंकड़ों से पता चलता है कि राजस्व व्यय के ३१.१ करोड़ रुपयों में से ३० प्रतिशत तो पदाधिकारियों के वेतनों पर ही खर्च कर दिया जाता है। जैसा कि आय व्ययक प्राक्कलन के पृष्ठ ११४-१५ पर दिये गये आंकड़ों से पता चलता है, अधिकांश राशि विभिन्न विभागों के प्रशासन पर ही खर्च होती है। मैं यह स्वीकार करता हूं कि पदाधिकारियों और कर्मचारियों की आवश्यकता है, परन्तु यदि उनके वेतनों पर ही इतना अधिक धन खर्च कर देना है तब तो यही अच्छा है कि उन विभागों को ही बन्द कर दिया जाये। अतः निवेदन है कि इन भारी खर्च को कम करने की आवश्यकता की ओर ध्यान दिया जाये।

†**श्री नम्बियार** (मयूरम्) : सभी पक्ष इस बात से सहमत हैं कि केरल पर समस्यापूर्ण राज्य है। वहां की आबादी तो घनी है परन्तु उद्योगों के विकासकी दृष्टि से वह सब से पीछे है। बेरोजगारी तो वहां पर चरम सीमा तक पहुँची हुई है खाद्यसमस्या भी भयंकर रुप में विद्यमान है और भ्रष्टाचार का बोल बाला है।

ऐसी स्थिति में देखना यह है कि उस राज्य की किस प्रकार से सहायता की जा सकती है। अब वहां की साम्यवादी सरकार इन समस्याओं की ओर ध्यान देगी, और उन्हें सुलझाने का प्रयत्न करेगी। परन्तु केवल साम्यवादी सरकार अथवा दल के प्रयत्नों से ही इन समस्याओं को हल नहीं किया जा सकता। इसके लिये सभी दलों को मिल कर प्रयत्न करना होगा। परन्तु इस से यह नहीं समझ लेना चाहिये कि साम्यवादी दल केवल अपने स्वार्थ के लिये दूसरों से सहायता की भीख मांगते ह। हम तो वास्तव में इस राज्य को समस्याओं को सदा के लिये हल कर देने के लिये सभी लोगों की सहायता मांगते हैं। अतः इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की भ्रांति नहीं होनी चाहिये।

मैं यहां पर एक और मिथ्या भ्रांति को भी दूर कर देना चाहता हूं। यह बार बार कहा जा रहा है कि साम्यवादी दल धर्म विरोधी है। परन्तु मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि वह धर्म विरोधी नहीं है। वह तो सभी सम्प्रदायों को अपने अपने मतानुसार धार्मिक विश्वासों की पूरी अनुमति देता है, और किसी भी धार्मिक कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा।

कुछ एक व्यक्तियों ने यह आरोप लगाया है कि साम्यवादी दल साम्प्रदायिक भावनाओं को फैलाता है। यह बिल्कुल गलत है। सम्यवाद तो साम्प्रदायिकता का विरोधी है, इसका साम्प्रदायिकता से कोई सम्बन्ध नहीं।

श्रमिकों से सम्बन्ध रखने वाली नीति के सम्बन्ध में, साम्यवादी दल का मत बिल्कुल स्पष्ट है। जब भी कोई श्रम समस्या उत्पन्न होगी साम्यवादी दल उसको हल करने का पूरा पूरा प्रयत्न करेगा वह उनकी हर संभव मांग को पूरा करने का प्रयत्न करेगा। ऐसी समस्याओं को हल करने में हम उस राज्य के विभिन्न कार्मिक संघो से भी सहयोग प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे।

---

†मूल अंग्रेज़ी में।

†**श्री अय्युण्णि** (त्रिचुर) : मैं केरल राज्य में विजय प्राप्त करने वाले साम्यवादी दल के प्रति अपनी शुभ कामनायें प्रकट करता हूँ। इन निर्वाचनों में सभी दलों द्वारा इतना भारी मुकाबला किये जाने के बावजूद साम्यवादी दल की जीत इस बात को द्योतक है कि वहां के लोगों की साम्यवादी दल के सम्बन्ध में कोई विशेष धारणा है।

यह सच है कि वहां पर प्रजा समाजवादी तथा कांग्रेस दोनों ने ही अपनी अपनी सरकारें चलायी थीं, परन्तु वे उन अवसरों का उचित प्रकार से उपयोग न कर सके। वे वहां पर ऊंचे स्तर का शासन स्थापित न कर सके, इसीलिये जनता ने उनके पक्ष में मत नहीं दिया है। वहां की स्थिति अन्य राज्यों की अपेक्षा भिन्न है। वहां पर २१ तो दैनिक समाचार पत्र हैं और ६१ प्रतिशत से अधिक जनता साक्षर है। इसीलिये वहां के लोगों को केवल बातों में ही भुला लेना आसान नहीं है।

पूववर्ती शासन व्यवस्था अच्छी प्रकार से नहीं चलती रही है। वास्तव में ५० वर्ष पूर्व तो कोचीन सारे देश में एक आदर्श क्षेत्र माना जाता था और लार्ड कर्जन ने भी उसकी सराहना की थी। परन्तु उसके त्रावनकोर के साथ मिल जाने के बाद उसकी स्थिति बिगड़ती ही जा रही है। अब मेरी यह कामना है कि वहां की साम्यवादी सरकार शासन अच्छी प्रकार से चलाये और जनता का हितसाधन करे।

इसके अतिरिक्त अब वहां पर चिकित्सा सम्बन्धी सुविधायें भी उतनी नहीं दी जा रही हैं जितनी पहले थीं। अब रोगियों को अस्पतालों में अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यह वास्तव में बड़े दुःख की बात है। अतः अब सत्तारूढ़ होने वाली नई सरकार से मेरी यही प्रार्थना है कि वे समस्त दलों तथा व्यक्तियों के प्रति पक्ष पात हीन व्यवहार करें।

कुछ एक लोगों की यह आशंका है कि साम्यवादी दल धार्मिक स्वतंत्रता नहीं देगा। परन्तु वास्तव में यह आशंका निराधार है। यदि वे किसी विदेशी राज्य से प्रभावित हुए बिना अपना शासन चलायें तो किसी को भी आपत्ति न होगी।

†**श्री केशव आय्यंगर** (बंगलौर-उत्तर) : यह बड़े हर्ष की बात है कि हमारे साम्यवादी भाई आज उत्तरदायित्व की आवश्यकता का अनुभव कर रहे हैं।

अभी तक तो भारत में एक प्रकार की एकीय ढंग की ही सरकार चलती रही क्योंकि सभी राज्य में केवल एक ही दल अर्थात कांग्रेस का ही शासन था। अब जब कि एक राज्य में साम्यवादी दल की भी सरकार बन रही है, हम संसार को दिखा सकेंगे कि एक ही देश में दो सरकारों में कितना सहअस्तित्व है।

जहां तक मत्स्य पालन उद्योग के विकास का सम्बन्ध है, मुझे आशा है कि इसकी ओर पूरा ध्यान दिया जायेगा।

श्री नम्बियार ने उच्च न्यायालयों के सम्बन्ध में कटौती प्रस्ताव संख्या २९ प्रस्तुत किया है। मैं भी उसी के सम्बन्ध में मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि बहुत से राज्यों के उच्च न्यायालयों के मामलों को उपेक्षित क्यों किया जा रहा है? कई महीने बीत गये हैं परन्तु अभी तक मैसूर राज्य के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं हुई है।

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : मैं श्री नायर द्वारा प्रस्तुत किये गये तीन कटोती के प्रसंग में पूछी गई कुछ एक बातों का उत्तर देना चाहता हूं।

जहां तक हड़तालों का सम्बन्ध है, वे यद्यपि कई कई महीनों तक चलती रहती हैं तो भी जब तक वे शान्तिपूर्ण ढंग से की जाती हैं, हम उनमें कोई हस्तक्षेप नहीं करते। अब तो इन हड़तालों की

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री आबिद अली]

समस्या को दूर करना केरल की नयी सरकार का काम है और मुझे आशा है कि उसने वहां की जनता को जो वचन दिये थे, उन्हें अवश्य पूरा करेंगे ।

काजू उद्योग और खनिज कारखानों के सम्बन्ध में माननीय सदस्य स्वयं जानते हैं कि वे दो मामले उच्च न्यायालय के पास गये थे,और त्रावनकोर-कोचीन के उच्च न्यायालय ने काजू उद्योग पर लागू होने वाले अधिनियम को शून्य घोषित कर दिया । त्रोवनकोर खनिज सम्बन्धी मामलों को माननीय सदस्य ने स्वयं पंजाब उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया था जिसने यह निर्णय दिया था कि सरकार ने जो कुछ किया है ठीक किया है । अतः माननीय सदस्य द्वारा हमें बदनाम किया जाना उचित नहीं है ।

जहां तक न्यूनतम मजूरी अधिनियम का सम्बन्ध है, वह तो त्रावनकोर के नारियल जटा उद्योग पर १९५४ पर ही लागू हुआ है । फिर उस पर पुनर्विचार किया गया, और सहायक श्रम आयुक्त सम्पर्क पदाधिकारी, श्रम पदाधिकारी, तथा अन्य कर्मचारियों को नियुक्त किया गया और उन्हें इस बात के लिये विशेष अनुदेश किया गया कि इस अधिनियम को नारियल जटा उद्योग पर कठोरता पूर्वक लागू किया जाये और जहां भी इसका उल्लंघन मालूम हो, वहां पर मुकद्दमा भी चलाया जाये ।

†**श्री दातार** : मैं माननीय सदस्यों द्वारा अपने कटौती प्रस्तावों के सम्बन्ध में पूछी गई बातों का उत्तर देना चाहता हूं ।

प्रथम कटौती प्रस्ताव का सम्बन्ध मत्स्य पालन से है । जहां तक इसका सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि इस महत्वपूर्ण समस्या की ओर कम ध्यान नहीं दिया गया है । इसकी ओर हम पूरा पूरा ध्यान दे रहे हैं और हमने विभिन्न विषयों के लिये बहुत बड़ी राशि निर्धारित की है । मछेरा सहकारी संस्थाओं को ऋण भी दिये गये है । १४,००० रुपये दिये जा चुके हैं और ३५,००० रुपये और भी दिये जा रहे हैं । उन्हें मत्स्य पालन सम्बन्धी आवश्यक उपकरण दिये जा रहे हैं जिनके लिये ७५,००० रुपयों की व्यवस्था की गई है । फिर तालाबों में मछलियों स्टाक भी की गई हैं, तट के साथ साथ भंगरोध[1] बनाये गये हैं, ठण्डे करने के यंत्र और शीतागार बनाये गये हैं और मार्ग दर्शक प्रकाश की व्यवस्था भी की गई है ।

फिर नार्वे की परियोजना का उल्लेख किया गया है । परियोजना के अधीन मछेरों को बांटने के लिये मछली पकड़ने की २८ नौकायें बनायी गयी थीं । परियोजना के अधीन उन्हें यंत्रों द्वारा मछली पकड़ने का प्रशिक्षण दिया गया । इसलिये मुझे विश्वास है कि जहां तक मत्स्य पालन का सम्बन्ध है, उसकी ओर प्राधिकारी यथा संभव अधिक से अधिक ध्यान दे रहे हैं ।

जहां तक कुष्टरोग चिकित्सालयों का संबंध है, मैं देखता हूं कि इन केन्द्रों के विकास के लिए बड़ी बड़ी राशियां रखी गई हैं । १९५७–५८ के बजट में कोरट्टी और नूरनाद स्थित कुष्टरोग के अस्पतालों में शैयाओं की संख्या बढ़ाने के लिये १,९१,००० रुपए की राशि रखी गई है । इस के अतिरिक्त इन अस्पतालों में सुधार कार्यों के सम्बन्ध में १,५०,००० रुपये की राशि और सम्मिलित की गई है । कुष्टरोग का उपचार बहुत बड़े पैमाने पर किया जा रहा है और स्वास्थ्य-शिक्षा दी जा रही है । इस प्रयोजन के लिए तीन स्थानों पर सहायक केन्द्र स्थापित किए गए हैं और उनको अनुदान दिए जा रहे हैं । राज्य के विभिन्न भागों में कुष्ट रोग का नियंत्रण करने के लिए पर्याप्त धनराशि रख दी गई है ।

विभिन्न अस्पतालों में अपर्याप्त चिकित्सा सज्जा-सामग्री के सम्बन्ध में भी कुछ कहा गया था । मैं इस संबंध में यह संकेत करूंगा कि राज्य सरकार की द्वितीय पंच वर्षीय योजना में 'चिकित्सा' मद के अन्तर्गत ३·५५ करोड़ रूपये का उपबन्ध है जिसमें से ७४·७१ लाख रुपये १९५७–५८ के बजट के लिए

†मूल अंग्रेजी में ।

[1]Break water

प्रस्तावित किए गए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस राशि से समस्त आवश्यक सज्जा-सामग्री औषधियों की व्यवस्था हो जायगी। ऐसी अनेक संस्थायें, विशेषकर कुष्टरोग व क्षय सम्बन्धी तथा अन्य ऐच्छिक संस्थायें हैं जिनको राज्य द्वारा अनुदान दिए गए हैं, जिनका कुल योग २,४५,००० रुपये होता है।

जहां तक विश्वविद्यालयों के प्राध्यापकों के वेतन का सम्बन्ध है इसकी चर्चा एक बार पहले भी हो चुकी है। उस समय यह बताया गया था कि एक वेतन आयोग नियुक्त किया गया था तथा उसकी सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है। कल के समाचार पत्र में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि उनके वेतन-क्रम बदल दिए गए हैं।

परन्तु केरल में कुछ प्राइवेट कालेज भी हैं। मैंने ऐसे दो बड़े कालेजों का निरीक्षण किया था और मुझे ज्ञात हुआ है कि उन्हें सरकार से कुछ भी सहायता नहीं मिल रहीं है। यह अत्यन्त आश्चर्य का विषय है कि उनके लिए बजट में उपबन्ध क्यों नहीं रखा गया। नई सरकार को इस विषय पर विचार करना होगा। इनमें से कुछ कालेजों में तो विद्यार्थियों की संख्या लगभग २००० या १८०० है। परन्तु यह वित्तीय मामला है इसलिए मैं नई सरकार पर कोई बन्धन नहीं लगाना चाहूंगा। इस प्रश्न पर नई सरकार द्वारा ही विचार किया जायगा।

जैसे भी हो, राज्य सरकार के लिए इन प्राइवेट संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन में योग देना कठिन होगा। यह प्रश्न इन संस्थाओं को ही नई सरकार के समक्ष रखना चाहिए।

जहां तक ऊपर के व्यय का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि वह सीमा के अन्दर ही है। यह शिकायत की गई थी कि मालाबार में मद्रास राज्य के बहुत से अधिकारी हैं। यह बात ठीक नहीं है। वास्तव में बात यह है कि मालाबार पहले मद्रास राज्य में था। अब उसे केरल में सम्मिलित कर दिया गया है। इसलिए स्वाभाविक है कि बहुत से मद्रासी अधिकारी यहां आ गए होंगे। जब नई सरकार होती है तो इस बात की जरूरत होती है कि प्रत्येक कुशल अधिकार को ले लिया जाय तथा समस्त प्रशासन की नींव दृढ़ रखी जा सके। यह कहना ठीक नहीं है कि केरल में मद्रासी अधिकारी बहुत अधिक हैं। वास्तव में मद्रास राज्य में भी केरल के बहुत से अधिकारी हैं। वहां भी ऐसा ही प्रश्न उठाया गया था और वहां के मुख्य मंत्री ने उत्तर दिया था कि ऐसे अधिकारियों को बनाये रखना होगा क्योंकि प्रशासन तो चलाना ही है और वे अधिकारी जो रह गए हैं उतने ही कुशल हैं जितने कि वे अधिकारी हैं जो केरल चले गए हैं।

जहां तक मद्यनिशेध का सम्बन्ध है, वह समस्त मालाबार में लागू है परन्तु त्रावणकोर-कोचीन में कुछ तालुकों में ही लागू किया गया है। विचार यह था कि उसे धीरे-धीरे अन्य क्षेत्रों में लागू किया जाय क्योंकि आबकारी आय को सरकार एकदम से बन्द नहीं कर सकती थी। समस्त राज्य के लिए एक सी नीति अपनाना नई सरकार का कार्य है। मद्य-निषेध ऐसा विषय है जिस पर हम सभी को सहमत होना चाहिये। कुछ राज्यों में मद्यनिशेध भली प्रकार चल रहा है। कुछ महीने पूर्व योजना आयोग द्वारा एक समिति नियुक्त की गई थी जिसने मद्यनिशेध लागू करने के सम्बन्ध में क्रमिक पग निर्धारित किए थे। उसे लागू करना या न करना नई सरकार के हाथ में है। इस प्रश्न पर सरकार को पूर्ण जिम्मेदारी के साथ विचार करना होगा। मद्यनिषेध की स्थापना हमारे संविधान का एक निदेशक-तत्व है। संसार में यदि वह कहीं सफल हो सकता है तो भारत में ही।

फिर एक माननीय सदस्य ने कहा कि केरल में एंग्लो-इंडियनों की संख्या २,००० थी। परन्तु जनगणना के अनुसार उनकी संख्या १५,००० है।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव संख्या १ से ११, १२, १३ और १५ से २९ मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि कार्य सूची के तीसरे स्तम्भ में दिखाई गई राशियों से अनाधिक राशियां राष्ट्रपति को, केरल राज्य की संचित निधि में से, निम्नलिखित मांगों के सम्बन्ध में, जो दूसरे स्तंभ में दिखाई गई हैं, उन भारों के लिए, लेखे पर दी जायें जिनका भुगतान ३१ मार्च, १९५८ को समाप्त होने वाले वर्ष में किया जायगा"

मांग संख्या १ से ४४

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

---

*केरल विनियोग लेखानुदान विधेयक

†**वित्त तथा रक्षा व्यय मंत्री (श्री अ० चं० गुह) :** मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष १९५७–५८ के एक भाग के लिये केरल राज्य की संचित निधि में से कुछ राशियों के निकालने की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया तथा स्वीकृत हुआ ।

श्री अ० चं० गुह : मैं @विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

†**श्री अ० चं० गुह :** मैं प्रस्ताव करता हूं : ‡

"कि वित्तीय वर्ष १९५७–५८ के एक भाग के लिये केरल राज्य की संचित निधि में से कुछ राशियों को निकालने की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

उपाध्यक्ष द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया तथा स्वीकृत हुआ ।

खण्ड १ से ३, अनुसूची, अधिनियमन सूत्रऔर विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**श्री अ० चं० गुह :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक

†**गृहकार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार) :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, १९४७ में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाये।"

यह एक ऐसा मामला है जो भ्रष्टाचार के प्रश्न के सम्बन्ध में है और इस प्रयोजन के लिए संसद् में अनेक बार आलोचनायें हो चुकी हैं। इस विषय को कुछ वर्ष पूर्व लिया गया था और १९४७ में एक अधिनियम पारित किया गया था जिसे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कहा जाता है। इस अधिनियम के दो उद्देश्य थे।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

*भारत सरकार के असाधारण गजट भाग २, अनुभाग २ दिनांक २८-३-५७ में प्रकाशित ।

@राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित किया गया ।

‡राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत किया गया ।

एक उद्देश्य 'आपराधिक अवचार' [1] नामक नया अपराध बनाना था। इस अपराध के अन्तर्गत सरकारी अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा अपनी शासकीय स्थिति में किसी कार्य के करने के लिए गैर कानूनी तोषण प्राप्त करना आता है। यह विचार किया गया था कि भारतीय दंड संहिता के अतिरिक्त एक नया अधिनियम भी होना चाहिये जिसे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कहा जाय।

दूसरे, साक्ष्य के नियम के अनुसार एक धारणा की जा सकती थी जिसके अनुसार कुछ परिस्थितियों में यदि किसी सरकारी कर्मचारी के पास ऐसी सम्पत्ति पाई जाय जो उसकी आय के स्रोतों से न प्राप्त हो सकती हो तो एक धारणा की जा सकती थी । जब तक कि इसके विपरीत सिद्ध न किया जाय न्यायालय यही समझेगा कि वह सम्पत्ति अवैध साधनों से प्राप्त की गई है। यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण धारणा है जिससे सरकार को किसी हद तक भ्रष्टाचार समाप्त करने में सहायता मिली है। जैसा कि सदन को ज्ञात है, सरकार इस बात के लिए बहुत उत्सुक है कि सरकारी कर्मचारियों द्वारा शासन की पवित्रता सुरक्षित रखी जाय। उन्हें सेवा और कर्त्तव्य की भावना से प्रेरित होकर कार्य करना चाहिए न कि वेतन के अतिरिक्त आय प्राप्त करने की दृष्टि से। इसके अतिरिक्त एक बात यह भी है कि किसी व्यक्ति को सरकारी नौकर रखते हुए अपनी स्थिति से अनुचित लाभ नहीं उठाना चाहिए । यदि वह वैसा करता है तो अवश्य ही उसे आपराधिक विधि के अन्तर्गत दंडित होना चाहिए।

इस प्रयोजन के लिए यह अधिनियम पारित किया गया था। सरकार ने उसके कार्यान्वियन के लिए भी व्यवस्था की थी। केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों ने इन नए उपबन्धों का लाभ उठाया है और भ्रष्टाचार पर किसी हद तक नियंत्रण हो गया है। बाद में अन्तःकालीन संसद् ने इस प्रश्न पर विचार किया और एक समिति नियुक्त की जिसका काम यह देखना था कि यह कानून किस हद तक प्रभावकारी हुआ है और क्या उसमें किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता है? समिति की रिपोर्ट संसद् को प्राप्त हुई और उसने जिन परिवर्तनों का सुझाव दिया था उन्हें सरकार ने बहुत हद तक स्वीकार कर लिया और उसके परिणामस्वरूप कुछ परिवर्तन किए गए थे।

जब १९४७ में यह अधिनियम पास किया गया था तो इस नए अपराध के लागू रहने की अवधि ३ वर्ष रखी गई थी। धारा ५ में इस आपराधिक अवचार के महत्वपूर्ण अपराध का उपबन्ध था। बाद में टेकचन्द समिति की सिफारिश पर, यदि मैं गलत नहीं हूं, समय समय पर यह अवधि बढ़ाई जाती रही और यह क्रम इस महीने के प्रारंभ तक जारी रहा जब कि उसकी अवधि समाप्त हो रही थी और संसद् की बैठक नहीं हो रही थी इसलिए राष्ट्रपति को एक अध्यादेश जारी करना पड़ा था। अब संसद् की बैठक प्रारंभ हुई है इसलिए यह विधेयक उपस्थित किया गया है।

इस विधेयक का उद्देश्य इसको इस अधिनियम का स्थायी अंग बनाना होगा। उसका ३ या ५ वर्षों तक परिनियम-पुस्त पर रहना पर्याप्त नहीं है। गत दस वर्षों में इसने सरकार को अपराध रोकने में बहुत हद तक सहायता दी है क्योंकि जिन परिस्थितियों के अन्तर्गत यह अपराध किया जा सकता है उनको लिपिबद्ध कर दिया गया है और यह कह दिया गया है कि उसे आपराधिक अवचार समझा जायगा, साधारण अपराध, नागरिक अपराध अथवा प्रत्याक्षेप नहीं। इसलिए उसके लिए उचित दंड दिया जाना चाहिए और इसका असर अच्छा हुआ।

गत दस वर्षों में अनेक अवसरों पर इस अधिनियम के उपबन्धों का सहारा लिया गया है और मैं देखता हूं कि यह उपबन्ध बहुत लाभकारी हुए हैं। इसलिए यह विचार किया जाता है कि धारा ५ उस समय तक बनी रहे जब तक यह अधिनियम है। इसी प्रयोजन के लिए यह विधेयक रखा गया है। और यदि यह पारित हो जायगा तो भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अध्यादेश स्वभावतः निरस्त हो जायगा।

---

[1] Criminal misconduct.

[श्री दातार]

मैंने विधेयक के उपबन्धों की व्याख्या कर दी है और मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्यगण उन्हें स्वीकार कर लेंगे। मैं समझता हूं कि वह इस बात से सहमत होंगे कि यदि भ्रष्टाचार का उन्मूलन करना है तो सरकार को न्यायालय में यह सिद्ध करने के प्रयोजन के लिए कि अमुक अधिकारी ने अपराधिक अत्याचार किया है एक शासकीय यंत्र स्थापित करना होगा तथा कुछ शक्तियां प्राप्त करनी होंगी।

कुछ अन्य कदम भी सरकार उठा चुकी है। जब कभी भी यह देखा जाता है कि किसी विशेष मामले में बात सिद्ध नहीं की जा सकती अथवा अभियोग चल नहीं सकता तो अन्य तरीकों से—विभागीय कार्यवाहियों द्वारा—सरकारी अधिकारी के आचरण का पता लगाया जाता है। यह मामला प्रथम दृष्टि में ही मजबूत लगता है तो उसे न्यायालय में ले जाया जाता है, अन्यथा यदि यह पाया जाता है कि उसमें नैतिक पतन का तत्व है, यद्यपि धाराओं के प्रविधिक निर्वाचन के अनुसार उसे अपराध नहीं सिद्ध किया जा सकता तो वह गलत आचार होगा और तब स्वभावतः सरकार द्वारा अन्य उपाय का प्रयोग किया जाता है। उस स्थिति में सरकार विभागीय कार्यवाही करती है। जैसा कि सदन को ज्ञात है इस दिशा में अनेक कदम उठाए जा चुके हैं। सरकार ने प्रशासकीय जागरूकता विभाग[1] नामक एक नया विभाग स्थापित किया है। यह विभाग न केवल अपराधों के लिए दंड देने अथवा उनका पता लगाने का कार्य करता है वरन् वह उन परिस्थितियों के निवारण का प्रयत्न भी करता है जिनके अन्तर्गत अपराध किए जा सकते हों। परिस्थितियों का विचार किया जाता है और जहां तक जागरूकता का सम्बन्ध है, सरकार अत्यन्त कठोर कार्यवाही कर रही है। इसलिए सदन इस बात से सहमत होगा कि सरकार ऐसे नियमों द्वारा भ्रष्टाचार को आमूल नष्ट कर देने के लिए कटिबध है। मुझे विश्वास है कि इस विधेयक को सदन स्वीकार करेगा।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, १९४७ में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाये।"

माननीय सदस्यों को ज्ञात होगा कि इस विधेयक को एक घंटे में ही पारित करना है।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : यह विधेयक बहुत महत्वपूर्ण है परन्तु कठिनाई यह है कि इस पर विचार करने के लिए समय बहुत थोड़ा दिया गया है। मेरा विचार है कि राज्य सभा में इस विधेयक पर उचित रूप से विचार नहीं किया गया है तथा उसे जल्दबाजी करके पारित कर दिया गया है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं चाहता हूं कि इस विधेयक पर विचार इस समय स्थगित कर दिया जाना चाहिए क्योंकि इस समय इतना समय नहीं है कि संशोधन अथवा प्रस्ताव प्रस्तुत किए जा सकें जिसका अधिकार हमें नियमों के अन्तर्गत प्राप्त है।

†**श्री दातार** : मैं यह संकेत करना चाहता हूं कि सरकार भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भी संशोधन लाने का विचार कर रही है। एक विधेयक बनाया जा रहा है जिनमें वे संशोधन आ जायेंगे। राज्यों की सरकारों से परामर्श करने के पश्चात ही सरकार उसे नई संसद् के समक्ष प्रस्तुत करेगी। वह एक व्यापक विधेयक होगा।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यह एक सर्वथाभिन्न चीज है। आपत्ति यह की जा रही है कि जब सरकार ने एक विधेयक रखा है तो सदस्यों को उसमें संशोधन रखने का समय मिलना चाहिए परन्तु वर्तमान परिस्थिति में सदस्यों को समय नहीं मिल रहा है। अब उनके लिये यह प्रस्ताव करना असम्भव है क्यों कि न तो संसद् सदस्य होंगे और न ही प्रवर समिति। उनका कहना है कि उन्हें यह

---

[1]Administrative Vigilance Department.

†मूल अंग्रेजी में।

प्रस्ताव करने में कठिनाई हो रही है कि इस विधेयक पर आगे कार्यवाही न की जाये। माननीय मंत्री इस बात पर विचार करें।

†**श्री दातार :** माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि वर्तमान विधेयक और ऐसे अन्य विधेयकों के गुणावगुणों की जांच करने के लिये एक प्रवर समिति होनी चाहिये। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के सामान्य सिद्धान्तों में संशोधन करने के बारे में सरकार विचार कर रही है और वह शीघ्र ही एक विधेयक प्रस्तुत करेगी। जब वह विधेयक तैयार हो जायेगा तो प्रवर समिति उस पर विचार कर सकती है और यदि मेरे माननीय मित्र चाहें तो दोनों सदनों की समिति भी उस पर विचार कर सकती है।

जहां तक अधिनियम की धारा का सम्बन्ध है, यदि इस विधेयक को विधि में परिणत नहीं किया जाता तो कुछ कठिनाइयां पैदा होना स्वाभाविक ही है। कुछ मुकदमे विचाराधीन हैं, उनमें भी कठिनाइयां पैदा होंगी और न्यायालय कुछ मुकदमों में पूर्वधारणा नहीं बना सकते। इसलिये कई कठिनाइयां होंगी। इस समय हम यही चाहते हैं कि धारा ५ अधिनियम का उपबन्ध रहे। मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्यों को अन्य संशोधनों और यदि आवश्यक हो तो वर्तमान उपबन्ध से मिलते जुलते उपबन्ध पर विचार करने के अवसर मिलेंगे और प्रवर समिति उन पर विचार कर सकती है।

† **पंडित ठाकुर दास भार्गव :** ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय मंत्री जानते हैं कि इस विधेयक में कई त्रुटियां हैं।

† **श्री दातार :** मैंने यह नहीं कहा।

† **उपाध्यक्ष महोदय :** माननीय मंत्री ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि यदि अब इस विधेयक को पारित नहीं किया जाता तो धारा ५ भी नहीं रहेगी जो कि अत्यन्त आवश्यक है।

† **पंडित ठाकुर दास भार्गव :** मैं धारा ५ की आवश्यकता को अनुभव करता हूं। यदि यह विधेयक पारित नहीं किया जाता तो अध्यादेश तो व्यपगत नहीं होगा।

† **उपाध्यक्ष महोदय :** यदि संसद् समवेत न हो तो वह व्ययपत हो जायेगा।

† **पंडित ठाकुर दास भार्गव :** उस हालत में दूसरा अध्यादेश जारी किया जा सकता है।

† **उपाध्यक्ष महोदय :** यदि माननीय सदस्य नया अध्यादेश अधिनियमित करने पर सहमत हैं तो इस विधेयक को पारित करने में क्या बुराई है। बाद में जब एक विस्तृत विधेयक प्रस्तुत किया जायेगा और सब अन्य मामलों पर सभा विचार कर सकती है।

† **पंडित ठाकुर दास भार्गव :** यदि माननीय मंत्री मई अथवा जून में नया विधेयक लाने का वचन दें तो मैं इसका विरोध नहीं करूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस विधेयक के न होने से उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में चल रहे मुकदमों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।

†**श्री दातार :** मैं प्रयत्न करूंगा।

† **पंडित ठाकुर दास भार्गव :** जब माननीय मंत्री यह आश्वासन देते हैं तो मैं अपने संशोधन पर आग्रह नहीं करता।

---

†मूल अंग्रेजी में।

† **पंडित सु० चं० मिश्र** (मुंगेर—उत्तर-पूर्व) : मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि सरकार ने एक तो ठीक निश्चय किया । इस विधेयक को पुरःस्थापित करने के विषय में मैं सरकार का समर्थन करता हूं । इस विधि के अन्तर्गत सरकार जो कार्यवाही करती वह उतनी कड़ी नहीं होती जितनी कि होनी चाहिये । मैं पूरे विधेयक का समर्थन नहीं करता पर मैं इतना अवश्य कहूंगा कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिये इस विधि द्वारा प्रदत्त शक्तियों का ठीक ठीक प्रयोग करके कड़ी कार्यवाही करनी चाहिये ।

श्री नन्द लाल शर्मा (सीकर) : नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय
देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै ।
नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रेयमानिलेभ्य
नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः ।।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार निरोध के सम्बन्ध में यह संशोधन अधिनियम स्वागत का विषय है, इसमें कोई सन्देह नहीं है । हमारी सरकार ने इस ओर कुछ अधिक कदम उठाये हैं, भारतीय दंड विधान की धारा १६१ और १६५ के अतिरिक्त यह जो धारा बनाई गई कि सरकारी कर्मचारियों के द्वारा भ्रष्टाचार करने पर उनके विरुद्ध कोई कदम उठाया जा सके और उसे आज अधिनियम के साथ नियमित रूप देने का जो प्रयत्न किया जा रहा है, मैं समझता हूं कि यह भी अधिक उचित है । किन्तु साथ ही जब यह अधिनियम स्वीकृत किया गया था उस समय भी ये शब्द कहे गए थे और आज भी वही शब्द कहे गए हैं कि जो धारा ६ है जिसका हैडिंग (शीर्षक) है Previous sanction necessary for prosecution ("अभियोग चलाने से पूर्व अनुमति आवश्यक") जिसमें केन्द्रीय सरकार अथवा प्रादेशिक सरकारों से अनुमति लेकर ही उस पर केस चलाया जा सकेगा, यह बन्धन जो रखा गया है, मैं समझता हूं इसके द्वारा एक तो किसी व्यक्ति की हिम्मत भी नहीं होगी कि वह यह काम करे और अगर हिम्मत हो भी गई तो उसे सफलता भी प्राप्त नहीं होगी और बहुत सारे सरकारी कर्मचारी इसी सुरक्षा द्वारा सुरक्षित रह जायेंगे । इतना ही नहीं हम यह भी समझते हैं कि केवल पाश्चात्य ढंग से घूस लेना पाप है इतना कह देने से या सरकार द्वारा प्रचार मात्र कर देने से या कार्यालयों में लिख देने से भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा, यदि आपका ऐसा विचार है तो मैं समझता हूं कि आप भूल करते हैं और आप सफल नहीं हो सकेंगे । हमारे प्रधान मंत्री जिन का बार बार यह कहना है कि राज्य का धर्म से कोई सम्बन्ध न होगा, उनकी सरकार एक सैक्युलर (धर्मनिर्पेक्ष) सरकार होगी, उनका ईश्वर से सम्बन्ध न होगा, मैं समझता हूं भ्रष्टाचार को रोकने में ये सब से बड़ी बाधायें हैं और आप कोई भी कानून बना लें, कोई भी संशोधन ले आयें, आप इसमें सफलता प्राप्त नहीं कर सकते । सब से बड़ा प्रभाव ईश्वर और सदाचार का होता है । इन दो भावनाओं का प्रजा पर अच्छा असर पड़ सकता था जिन को आज हटा दिया गया है । धीरे धीरे, इसके परिणामस्वरूप, हम कांग्रेसिज्म से कम्युनिज्म (साम्यवाद) की ओर खिसक रहे हैं । दक्षिण से हम ने लाल झंडे को आमंत्रित कर लिया है और धर्म शब्द से अभिप्राय मेरा धर्म, या मेरे घर का धर्म या किसी व्यक्ति का धर्म नहीं है । धर्म का अर्थ व्यापक है, धर्म का अभिप्राय परलोक भावना से है जहां बुरे और अच्छे कर्म के फल मनुष्य भोगता है, मरने के बाद किसी कर्म का फल भोगने की भावना जानता है और यही उसके अन्दर विद्यमान रहती है । यदि यह भावना विद्यमान रहे तो भ्रष्टाचार हट सकता है नहीं तो नहीं । हज़ार गुना सी० आई० डी० बढ़ाने पर भी आप इस भ्रष्टाचार को रोक नहीं सकेंगे और आज भी रोक नहीं पा रहे हैं । अभी हाल ही में मुझे एक अनुभव हुआ है । चुनावों के दिनों में एक मिनिस्टर (मंत्री) ने जो किसी प्रादेशिक सरकार के मिनिस्टर थे, अपने

†मूल अंग्रेजी में ।

एक विरोधी कैंडिडट (उम्मीदवार) को ९,००० रुपये देने की स्वीकृति दे दी और यह रुपया दे दिया। उसने लिखकर दे दिया कि मैं ने ९,००० रुपया लिया है और यह लिखा हुआ हमारे पास मौजूद है। उसने कहा है कि मुझे ९,००० रुपया देकर के बिठा दिया गया है और उस कंस्टिट्यूएंसी (निर्वाचन क्षेत्र) के लोगों ने उसे कहा कि यदि वह नहीं बैठेगा तो उसे कत्ल कर दिया जाएगा। अगर ईश्वर का भय होता, यदि कोई सदाचार का भय होता, धर्म का भय होता, तब इस तरह की बात नहीं हो सकती थी और सब बातें चल सकती थीं, पवित्रता आ सकती थी। इसलिए केवल कानून बना देने से, नियम बना देने से अब किस का कौन सा सम्बन्ध है, ऐसा सिद्ध करना सम्भव नहीं है। मैं समझता हूं कि इसके बारे में भी कानूनी कार्रवाई होगी और वह आपके सामने आ जाएगी। आज हमारे सामने यह लिख कर रख दिया जाता है कि घूसखोरी करना पाप है लेकिन हम सब देखते हैं कि मैजिस्ट्रेट की नाक के नीचे उसका जो रीडर होता है वह कहता है कि मेरा हक़ लाओ।

यह हाल सभी क्षेत्रों में मैंने देखा है। भिलाई स्टील प्रोजैक्ट में १११ करोड़ रुपया खर्च करने का प्राविज़न आपने रखा था (व्यवस्था आपने की थी) जिसे अब बढ़ा कर १७० करोड़ रुपया कर दिया गया है। वहां पर आप एक रुपये के चार चार रुपये कांट्रेक्टर्स (ठेकेदारों) को देने के लिए भी तैयार हैं लेकिन कोई भी कान्ट्रैक्टर कांट्रेक्ट लेने को तैयार नहीं है। वे कहते हैं कि जहां तक एक एक रुपये के दस दस रुपये देने की बात हो तो चार गुना पर कौन काम करे। हमारे गृह मंत्री महोदय ने कहा है कि भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए उचित संशोधन वह लाये हैं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि

एषवैवश्वतो राजा सर्वस्य हृदि संस्थितः
तेन वेदविवादस्ते मा गंगा माकुरून गम : ।।

तुम्हारे हृदय के अन्दर यम राजा बैठा हुआ है। अगर तुम्हारा उसके साथ कोई झगड़ा नहीं है तो तुम गंगा और कुरुक्षेत्र जाकर क्या करोगे, वहां तुम्हारा कोई काम नहीं है। मैजिस्ट्रेट के सामने जब आप सत्य बोलने की बात रखते हैं तो बाधा उत्पन्न होती है। आज सत्य की भावना नहीं है। जब मैजिस्ट्रेट में धर्म की भावना नहीं होगी तो लोगों का कोर्ट में विश्वास नहीं होगा और जब ऐसा होगा तो कौन सी बात सत्य है और कौन सी असत्य, इस निर्णय पर आप कैसे पहुंचेंगे। मेरा निवेदन है कि धारा ६ जब विद्यमान है तो धारा ५ का कोई मूल्य नहीं है और ५ से जो आशा की जा रही है कि इसको हम परमानेंट (स्थायी) बना देंगे तो इसका इतना ही अर्थ है कि हम बड़े बड़े कर्मचारियों को कुछ न कुछ लाभ पहुंचा सकें। इस वास्ते मेरा गृह मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि यदि वह सचमुच यह चाहते हों कि भ्रष्टाचार भारत में से हटे तो उनको धारा ६ के अन्दर वास्तविक संशोधन करना चाहिए। पहले तो उसको हटा देना चाहिए और अगर ऐसा नहीं हो सकता तो वास्तविक संशोधन करना चाहिए। भारतीय राजनीति का एकमात्र दृष्टिकोण सारे विश्व का कल्याण है। यह दृष्टिकोण आज ही नहीं बना है बल्कि आज से पहले भी रहा है और आगे के लिए भी होना चाहिए। इस बात को मैं केवल इसलिए नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस के साथ हमारा मतभेद है और इसलिए हम उसको झूठा कहते हैं। ऐसी कोई भावना नहीं है। हम चाहते हैं कि कांग्रेसी शासन भी यदि वह धर्मानुकूल शासन होगा, यदि सदभावना से ओतप्रोत होगा तो प्रजा का वह कल्याण करेगा। और यदि ऐसा न हुआ और हम कम्युनिज्म की ओर फिसल गए तो वह अपना भी सर्वनाश करेगी, भारत को भी हानि पहुंचेगी और विश्व को शान्ति नहीं पहुंच सकेगी।

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री नन्द लाल शर्मा]

इसलिए मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि वह हमारे नेताओं को सद्बुद्धि प्रदान करे और हमारे नेतागण ईश्वरीय भावना से प्रेरित होकर के इस भ्रष्टाचार को रोकने का प्रयत्न करें।

राजमाता कमलेन्दुमति शाह (जिला गढ़वाल—पश्चिम व जिला टिहरी गढ़वाल व जिला बिजनौर—उत्तर) : उपाध्यक्ष महोदय, सब से पहले तो मैं आप को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं कि इतना थोड़ा समय होते हुए भी आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया।

मुझे बहुत थोड़ा इस के बारे में कहना है। पहली बात तो मैं यह कहना चाहती हूं कि यह जो आपने कानून बनाया कि घूस देने वाला और लेने वाला दोनों ही अपराधी हैं और दोनों को ही सज़ा मिले, यह बहुत गलत बात आपने की है। इसका नतीजा यह निकल रहा है कि जो घूस देने वाला है उसको बहुत ज्यादा बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है और वह यह नहीं बता सकता है कि घूस किस ने ली है और क्यों ली है। मैं आपको कई दृष्टान्त दे सकती हूं कि जहां पर जो घूस देने वाला है वह कुछ भी नहीं कर सका है और उससे ज़बर्दस्ती घूस ली गई है। यह जो चीज़ आपने की है यह बहुत ही गलत चीज़ की है। मैं चाहती हूं कि घूस देने वाले को कोई सज़ा नहीं होनी चाहिए। मैं समझती हूं कि अगर घूस देने वाले को कोई सज़ा न हो तभी जा कर वह घूस लेने वाले को पकड़वाने में सफल हो सकता है और घूस लेने वाला पकड़ा जा सकता है।

अभी अभी चुनावों के समय में मैं ने देखा है कि बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है। गांवों में वोटर्स लिस्टस (मतदाता सूचियों) में से वोटर्स के नाम ही उड़ा दिए गए थे। उसे बहुत ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ा है। वहां पर वोटर्स को घूस दी गई है। इलैकशन (निर्वाचन) में सरकारी कर्मचारियों ने, बच्चों ने तथा टीचर्स (अध्यापकों) ने भाग लिया है। इन सब बातों को मैं सरकार के सामने लाना चाहती थी। परन्तु जो मैं मुख्यत: सरकार को बतलाना चाहती हूं वह यह है कि जो घूस देने वाला है उसको सज़ा न हो और जो लेने वाला है उसको ही हो। जब ऐसा आप करेंगे तभी आप घूसखोरी को रोकने में सफल हो सकेंगे अन्यथा नहीं।

†**श्री साधन गुप्त** (कलकत्ता—दक्षिण-पूर्व) : हमारे देश में भ्रष्टाचार इतना अधिक है कि कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का विरोध नहीं करना चाहेगा; परन्तु मैं सभा का ध्यान इस मूल समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार का निवारण केवल दंड विधियां बनाने से ही नहीं बल्कि सामाजिक वातावरण और नौकरशाही के बर्ताव में सुधार कर के किया जा सकता है। इसके लिये सब से अच्छा तरीका यह होगा कि ईमानदार लोगों का प्रोत्साहन करके उन्हें आगे बढ़ने का अवसर दिया जाये जिस से वे अपने छोटे बड़े अफसरों के भ्रष्ट तरीकों के बारे में बता सकें। अंग्रेजों के समय से नौकरशाही की यह प्रथा चली आती है कि कोई कर्मचारी अपने उच्च अधिकारी की शिकायत नहीं कर सकता। ऐसा करने पर मेरे राज्य में भी एक व्यक्ति को स्वतन्त्रता मिलने के कुछ समय बाद नौकरी से निकाला गया था। परन्तु मैं इसे ठीक नहीं समझता। उन ईमानदार लोगों को अपने उच्च अधिकारियों के भ्रष्टाचार का भांडा फोड़ने का अवसर नहीं दिया जाता और हानि के डर से वे अपने आप कुछ नहीं करते।

मैं जानता हूं कि पुलिस विभाग में प्राप्त हुई घूस को एक विशेष ढंग और अनुपात से सब लोगों में बांटा जाता है और यदि कोई ईमानदार कर्मचारी वहां आ जाता है तो उसके खिलाफ रिपोर्ट आदि देकर और अन्य कई प्रकार से उसके लिये कठिनाइयां पैदा की जाती हैं। यदि वह किसी बड़े अधिकारी के खिलाफ शिकायत करता है तो उसके लिये और भी मुसीबत हो जाती है। जब तक इसका उपचार आप नहीं करते तब तक सब विधियां बेकार हैं।

सरकार को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिये कि उन ईमानदार कर्मचारियों को तंग न किया जाये जो भ्रष्टाचार में सम्मिलित नहीं होना चाहते। सीमा शुल्क विभाग में कई लोगों के

†मूल अंग्रेजी में।

खिलाफ शिकायतें भेजी गईं, उनकी पदोन्नतियां रोक दी गई । कारण यही था कि वे लोग घूसखोरी में शामिल नहीं होना चाहते थे । मैं ने अभ्यावेदन भेजे तो उत्तर मिला कि की गई कार्यवाही उचित है । जब वही अधिकारी जांच करेंगे जिनके खिलाफ शिकायत है तो ऐसा ही होगा । अतः कोई ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिये जिस से कुछ बाहर के लोग स्वतन्त्र रूप से भ्रष्टाचार की जांच करें। करदाता लगभग २३ रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से कर देते हैं। उसमें से अधिकांश ठेकेदारों और पदाधिकारियों की जेब में ही जाता है । गबन होते हैं, घूसखोरी होती है परन्तु उसे रोकने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की जाती । अतः मैं सरकार से पुनः अपील करता हूं कि वह कठोर तरीके अपनाये, और राज्य सरकारों को भी ऐसा करने के लिये राजी करे, जिस से हर एक कर्मचारी को भ्रष्टाचार का भांडा फोड़ने का प्रोत्साहन मिले । यह डर नहीं होना चाहिये कि इस से अनुशासन भंग होगा ।

† **श्री दातार** : दो बातें ऐसी कही गई हैं जिनका उत्तर देना आवश्यक है । श्री नन्द लाल शर्मा ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा ६ के बारे में कहा । उनकी धारणा यह जान पड़ती है कि सरकार कभी अनुमति नहीं देगी । यह एक दृष्टिकोण है परन्तु दूसरे दृष्टिकोण को भी देखना होता है । कई बार केवल बदनाम करने के लिये ही आरोप लगाये जाते हैं । कई बार ऐसा भी हो सकता है कि यदि तुरन्त कार्यवाही की जाये और मुकदमा चलाया जाये तो सम्भव है कि कर्मचारी को व्यर्थ ही कष्ट पहुंचे । इसी कारण दंड प्रक्रिया संहिता में धारा १९७ रखी गई है जो कुछ अपराधों के लिये अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता के बारे में है । इसी प्रकार हम यहां भ्रष्टाचार अथवा दांडिक कदाचार के अपराधों के बारे में विचार कर रहे हैं । ऐसे मामलों में जब प्रायः बिना किसी ठोस प्रमाण के अथवा द्वेषपूर्ण भावना से किसी कर्मचारी को तंग करने के विचार से आरोप लगाये जाते हैं, उस हालत में उस मामले को तुरन्त न्यायालय में ले जाना ठीक नहीं होगा । इसी कारण से प्रारम्भिक जांच की जाती है ।

इस बारे में हमारे पास पर्याप्त आंकड़े मौजूद हैं । हमें कई शिकायतें मिलीं परन्तु उनमें से अधिकतर निराधार थीं । इसी लिये जब सरकार के को कुछ शिकायतें मिलती हैं तो पहले प्रारम्भिक जांच की जाती है । और सभी मामलों की जांच एक स्वतन्त्र अभिकरण द्वारा कराई जाती है । जब यह पता चल जाता है कि मुकदमा चलाने के लिये प्रत्यक्षतः कोई प्रमाण हैं तब अनुमति दे दी जाती है ।

श्री साधन गुप्त ने कहा कि सरकार को इस विषय में नवीनतम दृष्टिकोण अपनाना चाहिये । सरकार का दृष्टिकोण नवीनतम है । सरकार न केवल उपचार ही कर रही है बल्कि यह प्रयत्न कर रही है कि यह बुराई पैदा ही न हो । इसीलिये हमने प्रशासनिक जागरूकता विभाग स्थापित किया है जो भ्रष्टाचार की सम्भावनाओं का निवारण करने के लिये काफी कार्य करता रहा है । उसका उद्देश्य यही है कि ऐसा वतावरण रहे जिस से किसी व्यक्ति में भ्रष्ट कार्य करने के लिये प्रलोभन पैदा न हो । हमें काफी सफलता प्राप्त हो रही है ।

बड़ी खुशी की बात है कि सामान्यतः इस विधेयक का समर्थन किया गया है । यह भी प्रसन्नता की बात है कि पंडित ठाकुर दास भार्गव ने विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने सम्बन्धी संशोधनों पर आग्रह नहीं किया ।

† **उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, १९४७ म और अ संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

---

† मूल अंग्रेजी में ।

† **उपाध्यक्ष महोदय** : विधेयक में कोई संशोधन नहीं हैं ।

प्रश्न यह है :

"कि खंड १ से ३, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड १ से ३, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक मे जोड दिये गये ।

† **श्री दातार** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये"

† **उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

देश में सामान्य निर्वाचन पूरे होने से पहले राष्ट्रपति के निर्वाचन, नई लोक-सभा के गठन और वर्तमान लोक-सभा के विघटन के बारे में चर्चा ।

† **उपाध्यक्ष महोदय** : अब सभा आध घंटे की चर्चा आरम्भ करेगी जिसकी पूर्व सूचना श्री कामत ने दी है ।

†**श्री कामत** (होशंगाबाद): मैं यह उचित समझता हूं कि इस संसद् में विचार किया जाने वाला अन्तिम विषय संसद् के बारे में ही होना चाहिये ।

इस चर्चा का विषय देश में सामान्य निर्वाचनों के पूरा होने से पूर्व राष्ट्रपति का निर्वाचन और नई लोक-सभा का गठन है यद्यपि वर्तमान लोक-सभा के विघटन का भी इससे घनिष्ट सम्बन्ध है तथापि मैं पहले दो पहलुओं के बारे में ही कहूंगा ।

हम जो परम्परायें बनायें वे सदा मान्य होंगी क्योंकि यह पहली संसद है ।

माननीय मंत्री ने एक दिन किसी प्रश्न का उत्तर देते हुये यह कहा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में हमने कुछ आकस्मिकताओं के लिये उपबन्ध बनाये हैं परन्तु मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि संसद् द्वारा बनाया गया कोई अधिनियम संविधान के उपबन्धों का अतिक्रमण नहीं कर सकता । अतः मैं उसकी ओर ध्यान न देते हुये संविधान को लेता हूं ।

संविधान के अनुच्छेद ५४ में राष्ट्रपति के निर्वाचन की निम्नलिखित प्रक्रिया दी गई है :—

"राष्ट्रपति का निर्वाचन एक ऐसे निर्वाचक गण के सदस्य करेंगे जिस में —

(क) संसद् के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य : तथा

(ख) राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य, होंगे"

मैं यह कहना चाहता हूं कि जब तक देश के सारे प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संसद् और राज्य विधान मंडलों के लिये अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन न कर लें तब तक निर्वाचक गण पूर्ण न होगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

यह तर्क प्रस्तुत किया जा सकता है कि यदि कुछ स्थान रिक्त हों तो राष्ट्रपति के निर्वाचन पर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। परन्तु संविधान के अनुच्छेद ७०१ में रिक्तियां होने की चार या पांच परिस्थितियों का भी वर्णन किया गया है। देश में इस समय जो स्थान रिक्त हैं उन पर ये परिस्थितियाँ लागू नहीं होतीं। इसका दोष सरकार पर है। जनता अथवा निर्वाचन क्षेत्रों का इसमें कोई दोष नहीं। यदि कोई ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो भी गई जिनके कारण इन निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचन न किये जा सके तो सरकार के इस दोष के लिये उन्हें दंड नहीं दिया जा सकता। हिमाचल प्रदेश और कांगड़ा के छः भावी सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने से कैसे वंचित किया जा सकता है ?

माननीय मंत्री इस बारे में अधिक चिन्तित हैं कि जनता को अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने के अधिकार से वंचित न किया जाये परन्तु संसतसदस्यों का राष्ट्रपति का निर्वाचन करने का अधिकार भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इन छः सदस्यों को उनके आधारभूत, संवैधानिक और संसदीय अधिकार से क्यों वंचित किया जाये।

इसके अतिरिक्त एक यह भी प्रश्न है कि लोक सभा की कोई कार्यवाही अध्यक्ष के बिना नहीं की जा सकती। अतः पहले अध्यक्ष का निर्वाचन भी करना होगा और वे छः सदस्य जिनका अभी निर्वाचन होना बाकी है, अध्यक्ष के निर्वाचन में भी भाग न ले सकेंगे और न ही अध्यक्ष पद के लिये खड़े हो सकेंगे। इस प्रकार वे इस अधिकार से भी वंचित रह जायेंगे। इस प्रकार एक और गलती होगी और संविधान के उपबन्धों का उल्लंघन होगा।

अब मैं सभा का ध्यान संविधान के अनुच्छेद ७९ की ओर दिलाता हूं जिसमे स्पष्ट है कि: "संघ के लिये एक संसद् होगी जो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी जिन के नाम क्रमशः राज्य परिषद् और लोक सभा होंगे।"

संविधान में ऐसा कोई समय अवेक्षित नहीं है जब कि देश में संसद् न होगी। इस विषय में हम ब्रिटेन के उदाहरण का अनुसरण नहीं कर सकते क्योंकि उनका संविधान हमारे संविधान की तरह लिखित नहीं है।

यदि निकट भविष्य में यह लोक-सभा विघटित कर दी गई और मई के प्रथम सप्ताह तक नई लोक-सभा नहीं बुलाई गई तो क्या होगा। इसका अर्थ है कि इस अन्तरावधि में देश में संसद् नहीं होगी। और यदि यह अन्तरावधि बनी रही तो संविधान के अनुच्छेद ७९ का उल्लंघन होगा। राज्य सभा भले ही देश में विद्यमान रहे किन्तु लोक सभा तो नहीं रहेगी।

अनुच्छेद ८१ में कहा गया है कि राज्यों और संघ क्षेत्रों के प्रतिनिधियों से मिलकर लोक सभा की रचना होगी। अनुच्छद १०० के अनुसार "सदस्यता में कोई रिक्तता होने पर भी संसद के किसी सदन को कार्य करने की शक्ति होगी।" किन्तु अनुच्छेद १०२ में रिक्तता की जो परिभाषा दी गई है वह यहां लागू नहीं होती है।

अतः मेरा निवेदन है कि जब तक पूरे निर्वाचन नहीं होते हैं तब तक नई लोक-सभा का निर्माण और राष्ट्रपति का निर्वाचन करना संविधान की स्पष्ट अवहेलना है। छः निर्वाचन क्षत्रों में चुनाव जून के अन्त तक स्थगित कर दिये गये हैं। इस दृष्टि से उस समय तक लोक सभा की संरचना और राष्ट्रपति का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हो सकता है। इसके लिये संविधान में संशोधन करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है।

[श्री कामत]

प्रथम संसद् के सदस्यों के रूप में हमें इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिय। भावी संसद् हमारे कार्यों को आदर्श स्वरूप मान कर उसके अनुसार कार्य करेगी। इस विषय पर महान्यायवादी भी अपनी सम्मत्ति दे सकते हैं। यह राष्ट्रीय महत्व का प्रश्न है। नई लोक-सभा बनने के एक दिन पहले भी इसका विघटन नहीं हो सकता है।

†**विधि कार्य तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री पाटस्कर)** : इस चर्चा में श्री कामत द्वारा दो बातें उठाई गई हैं। एक राष्ट्रपति के निर्वाचन से सम्बन्धित है और दुसरी लोक-सभा के विघटन से।

राष्ट्रपति के निर्वाचन के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छद ५४ में लिखा है कि :

"राष्ट्रपति का निर्वाचन एक ऐसे निर्वाचक-गण के सदस्य करेंगे जिसमें ——

(क) संसद् के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य; तथा

(ख) राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे"

भाग (क) के सम्बन्ध में हमें इसी बात पर ध्यान देना है। दुसरा सदन स्थायी है। निर्वाचन के लिये लोक-सभा की समुचित रचना आवश्यक है। संविधान के उपबंध की अभिपूर्ति के लिये यही मार्ग अभीष्ट है।

फिर अनुच्छद ४२ के बारे में एक निर्देश है। इस में लिखा है कि :

> "राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्तता की पूर्ति के लिये निर्वाचन अवधि समाप्ति से पूर्व ही पूर्ण कर लिया जायेगा।"

अतः इससे स्पष्ट है कि नये राष्ट्रपति का निर्वाचन वर्तमान राष्ट्रपति की पदावधि समाप्त होने के पूर्व ही कर लिया जायेगा। यह तारीख १२ या १३ मई, १९५७ है। अतः निर्वाचन रोकना पड़गा। क्योंकि इसके लिये यथोचित निर्मित लोक-सभा और राज्य-सभा आवश्यक हैं। एसा करन पर संवैधानिक तथा अन्य दृष्टि से कोई कठिनाई नहीं होगी। इसके प्रयोजनार्थ हमने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ में विधि अधिनियमन किया है। धारा १४ के अनुसार नई संसद् की रचना के लिये सामान्य निर्वाचन होना चाहिये। इस बात में कोई विवाद नहीं है कि निर्वाचन ३१ मार्च के पहले समाप्त होने चाहिये। मौजूदा परिस्थिति में छः संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचन नहीं हुये हैं। अतः अब प्रश्न यह है कि इन छः निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचन बग़ैर क्या लोक-सभा की रचना की घोषणा की जा सकती है। इस सम्बन्ध में मैं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ की धारा ७३ की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। इस धारा में सभा की रचना के लिये अधिसूचना जारी करने की अपेक्षा की गई है। यदि हम इस समस्या की ओर केवल विहंगम दृष्टि से विचार करें तो प्रतीत होता है कि छः संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचन नहीं हुय हैं। उक्त अधिनियम में एक उपबन्ध यह भी है कि 'अधिसूचना' जारी करने में इस कारण कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी कि किसी निर्वाचन क्षेत्र में धारा १५३ के अधीन अवधि बढ़ा दी गई है। अतः धारा ७३ के अन्तर्गत अधिसूचना जारी करने के उपरान्त लोक-सभा यथाविधि रचित समझ ली जायगी भले ही छः निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन न हुये हों।

यह श्रयस्कर होता कि इन निर्वाचन क्षेत्रों में से किसी को भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का अवसर मिलता। यह सिद्धान्त तो स्तुत्य है किन्तु हम परिस्थितियों में बंधे हुये हैं। एक ओर तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की तिथि और दूसरी ओर यह तथ्य कि उक्त तिथि के पहले

---

†मूल अंग्रेजी में।

निर्वाचन की समाप्ति सम्भव नहीं है। स्वभावतः संविधान में संशोधन करने की अपेक्षा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की इस धारा का आश्रय लेना अच्छा है। छः निर्वाचनक्षत्रों में निर्वाचन न होने पर भी अधिसूचना जारी करने के उपरान्त नय सदन की रचना मान ली जायेगी और तब राष्ट्रपति का निर्वाचन हो सकता है। अतः मेरी दृष्टि में राष्ट्रपति के निर्वाचन में कोई कठिनाई नहीं है। और जहां तक सदन के विघटन का प्रश्न है, मेरा विचार है कि माननीय सदस्य ने इस पर विशेष जोर नहीं दिया है।

†**श्री कामत** : जोर दिया है।

†**श्री पाटस्कर** : संविधान के अधीन राष्ट्रपति को किसी भी समय संसद् विघटित करने का अधिकार है। अभी तक इस प्रकार की अधिसूचना जारी नहीं की गई है। मैं नहीं कह सकता कि वह कब अधिसूचना जारी करेंगे। यह सर्वथा पृथक् प्रश्न है। जैसा मैंने अभी बताया था, इसका राष्ट्रपति के निर्वाचन से कोई सम्बन्ध नहीं है। यदि संभव हो सकता तो निस्संदेह ही हम इस बात का प्रयत्न करते कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के पूर्व सब निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचन पूरे हो जायें। कुछ स्थानों में जून के पहले निर्वाचन होंगे। माननीय सदस्य की भांति मुझ में भी औत्सुक्य की उतनी ही मात्रा है और मेरी भी यही इच्छा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के पूर्व सभी निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचन पूरे हो जाते। मैंने इस स्थिति का अवलोकन नहीं किया है। यह निर्णय करना सरकार का नहीं निर्वाचन आयोग का काम है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिये वर्तमान में जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है उसमें कोई त्रुटि नहीं है।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** (गुड़गांव) : संविधान के अनसुार राष्ट्रपति को किसी भी समय सदन को विघटित करने का अधिकार है। मान लीजिये राष्ट्रपति गत दिसम्बर अथवा नवम्बर में ही सदन को विघटन की घोषणा कर देते तो क्या इसका अर्थ यह होता कि जब तक सम्पूर्ण निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान नहीं होता सदन की रचना नहीं हो सकती थी। यदि इने-गिने बर्फीले स्थानों पर चुनाव नहीं हुये तो क्या सदन की बैठक ही नहीं होगी। इस दृष्टि से ही लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में निर्वाचन आयुक्त को अधिसूचना जारी करने का अधिकार दिया गया है।

†**श्री अ० म० थामस** (एरणाकुलम्) : किन्तु प्रश्न यह है कि क्या यह उपबन्ध शक्तिपरस्तात् है अथवा शक्ति के भीतर है ?

†**पंण्डित ठाकुर दास भार्गव** : हमें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम और संविधान को साथ-साथ पढ़ना चाहिये। अधूरी बात से कोई काम नहीं चलेगा।

†**सरदार हुक्म सिंह** : यदि १०० स्थान रिक्त हुये तब भी क्या ऐसी ही स्थिति उत्पन्न नहीं होगी।

†**पण्डित ठाकुर दास भार्गव** : अभी ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है और ऐसा होने पर हम उस पर विचार करेंगे। कुछेक बर्फीले क्षेत्रों में निर्वाचन नहीं हुये हैं। माननीय सदस्य मुझे संविधान में ऐसा उपबन्ध बतायें जिसमें यह लिखा हो कि सम्पूर्ण निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव सम्पन्न हो जाने पर ही नई लोक-सभा की रचना हो सकती है। यह केवल हमारी धारणा है। संविधान में ऐसी कोई बात नहीं है।

†**श्री पाटस्कर** : इस विषय पर कोई तीव्र विरोध नहीं होना चाहिये कि कोई व्यक्ति सामान्यतया यह इच्छा नहीं करेगा कि राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे समय हो जब कि कुछ क्षेत्रों में निर्वाचन नहीं हुये हैं। यह मैंने स्पष्ट कर दिया था : दुर्भाग्य से जलवायु सम्बन्धी कठिनाइयों

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री पाटस्कर]

के कारण छः स्थानों में चुनाव नहीं हो सके हैं। सरदार हुक्म सिंह का मत है कि यदि ६० स्थान रिक्त होते तब भी स्थिति यह रहती। किन्तु यदि ६० प्रतिनिधि का निर्वाचन नहीं होता तो हम इस पर निस्संदेह ही विचार करते।

†**सरदार हुक्म सिंह :** मान लीजिये कि दोनों दलों की संख्या लगभग समान होती तो क्या बहुमत वाला दल उस अवस्था में सदन का निर्माण कर सकता जबकि ६ स्थानों पर चुनाव नहीं हुये हैं।

†**श्री पाटस्कर :** माननीय सदस्य ध्यानपूर्वक मेरी बात सुनें। प्रश्न यह है कि जब तक सब स्थानों पर चुनाव नहीं होते तो क्या सदन को हम यथोचित रूप में निर्मित्त मान सकते हैं। मौजूदा परिस्थिति में, क्या ६ स्थानों पर चुनाव न होने की स्थिति में क्या सदन को नियमोचित माना जा सकता है ?

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा ७३ में स्पष्ट रूप में कहा गया है कि धारा १५३ के उपबन्धों के अन्तर्गत किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव की अवधि बढ़ाई जा सकती है तथा इस स्थिति से कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। इस मामले में समय ३१ मार्च तक बढ़ा दिया गया है। कुछ कारणों से निर्वाचन आयोग ने छः निर्वाचनक्षेत्रों में समय वृद्धि करना उचित समझा है। अतः हम नये सदन की सृष्टि कर सकते हैं। यही संविधान एवं विधि सम्मत स्थिति है।

और जैसा सरदार हुक्मसिंह ने बताया था, संविधान में ऐसी कोई बात नहीं है जिससे यह पता चले कि उक्त धारा शक्ति परस्तात् है। यह सच है कि माननीय सदस्य के कथनानुसार नई लोक-सभा बनने के पहले प्रत्येक स्थान पर चुनाव होना चाहिये। सामान्यतया यह ठीक है। किन्तु इस विशिष्ट परिस्थिति में कोई अवैधानिकता नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति की यही इच्छा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के पूर्व चुनाव पूरे हो जायें।

†**श्री सिंहासन सिंह** (जिला गोरखपुर–दक्षिण) : संविधान के अनुच्छेद के अन्तर्गत निर्वाचक-गण राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। इनमें लोक-सभा, राज्य-सभा और राज्यों की विधान सभाओं के सदस्य सम्मिलित हैं। क्या निर्वाचक गण पूर्ण हैं.....

†**अध्यक्ष महोदय :** आधा घण्टा समाप्त हो गया है।

†**श्री कामत :** मैं केवल एक मिनट लूंगा। सदस्यों को यह जानकारी मिलनी चाहिये कि लोक-सभा का विघटन कब हो रहा है। यह मालूम होने पर हम भविष्य के बारे में व्यवस्था करेंगे।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य तथा प्रतिरक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** इन कानूनी मामलों के बारे में मैं कुछ संशय के साथ बोल रहा हूं। किन्तु इस मामले में तारीखें निर्धारित करने के लिये सरकार उत्तरदायी नहीं है। यह निर्वाचन आयोग का कार्य है जो सरकार के अधीन नहीं है। किन्तु हम किसी भी ऐसी महत्वपूर्ण बात की ओर आयोग का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। हम ऐसा करेंगे। यह वस्तुतः राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रश्न है। इसका सदन के विघटन से कोई सम्बन्ध नहीं है। सदन का विघटन सामान्यतया अप्रैल के प्रथम सप्ताह में होगा :

†**श्री कामत :** अभी तारीख का निर्णय नहीं किया गया है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मुझे निश्चित तिथि मालूम नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**एक माननीय सदस्य** : चार तारीख।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : क्या यह चार तारीख है?

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं इस चर्चा में कोई भाग नहीं लेना चाहता कि यह शक्तिपरस्तात है अथवा नहीं। जब हमने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में उपबन्ध रख दिया है तो फिर यह हम पर निर्भर है कि इस विवेक-बुद्धि का प्रयोग छः सदस्यों के मामले में किया जाये अथवा १०० सदस्यों के मामले में। सदन द्वारा पारित अधिनियम के अनुसार यह निर्णय करना सरकार का काम है। परन्तु यदि कोई चाहे तो वह इस विधान को चुनौती दे सकता है कि यह संविधान की शक्ति के परे है।

सदस्यों द्वारा पदत्याग

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को बताना है कि श्री कक्कन ने २६ मार्च, १९५७ से लोक-सभा के अपने पद से त्याग पत्र दे दिया है।

एक और सदस्य ने भी त्यागपत्र दिया है। मुझे सभा को यह भी बताना है कि श्री नन्द लाल जोशी ने भी २८ मार्च, १९५७ से लोक-सभा के अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है।

विदाई भाषण

†**अध्यक्ष महोदय** : सभा नेता, विभिन्न दलों के नेताओ तथा संसद् के सदस्यो! गणतंत्रीय संविधान के अधीन प्रथम संसद् के पन्द्रहवें सत्र की आज अन्तिम बैठक है। यह सभा जिसकी आज अन्तिम बैठक है। यह सभा जिसका आज अवसान हो रहा है, वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित की गयी थी और १३ मई, १९५२ को बनी थी। हमारे देश की कोई सत्तरह करोड़ तीस लाख जनता को मताधिकार दिया गया था। और लगभग आठ करोड़ अस्सी लाख व्यक्तियों ने मतदान में भाग लिया और उससे एक भी दुखद घटना नहीं हुई। यह स्वयं इस बात का प्रमाण है कि हम लोगों में लोकतन्त्र की भावना की जड़ें बहुत गहरी जम चुकी हैं। प्रथम संसद् के काम को देख कर लोकतंत्र में हमारा विश्वास और भी बढ़ गया है।

हमारी प्रथम संसद् के कार्य को जिन अनुभवी भारतीयों तथा विदेशियों ने देखा है उन सभी ने उसकी प्रशंसा एकमत हो कर की है। उन लोगों का विचार है कि यह संसद् राष्ट्रीय महत्व के प्रश्नों पर इस प्रकार विचार करती है तथा इस प्रकार विधान बनाती है कि जैसे यह एक बहुत अनुभव-प्राप्त संस्था हो और ऐसा नहीं लगता कि यह केवल पांच ही वर्ष पुरानी संस्था है। प्रत्येक संसद् में कुछ दल होते हैं और कुछ वर्ग होते हैं। सभी संसदों में ऐसा होता है कि विरोधी दल बहुसंख्यक दल की प्रस्थापनाओं की आलोचना करता है और उनका विरोध करता है। पर, बहुत थोड़ी संसदों में ऐसा होती है कि राष्ट्रीय हित और विदेशी नीति के महत्वपूर्ण मामलों पर विचार करते समय दल का कोई विचार न रखा जाये। यह संतोष की बात है कि भारत की प्रथम संसद् में अनेक अवसरों पर विभिन्न दलों ने राष्ट्र के हित के सामने, विशेषतया संसदीय प्रक्रिया, वैदेशिक नीति तथा संवैधानिक संशोधनों के प्रश्नों पर वाद-विवाद के समय, अपने दल के हितों की कोई परवाह नहीं की। हमारे देश में लोकतन्त्र के भविष्य तथा प्रत्येक नागरिक की स्वतन्त्रता की रक्षा के लिये यह एक अच्छा लक्षण है कि हमारी संसद में केवल एक ही दल संविधान का सम्मान नहीं करता बल्कि सभी दल और सभी वर्ग करते हैं।

प्रथम संसद के सदस्यों में विधि, विज्ञान, संवैधानिक प्रक्रिया, राजनीति, अर्थ शास्त्र, कृषि, समाज कल्याण, अर्थात् उन सभी विषयों के ख्याति-प्राप्त विद्वान थे, जिन पर किसी भी देश की

†मूल अंग्रेजी में।

[अध्यक्ष महोदय]

संसद् को विचार करने या कानून बनाने की आवश्यकता पड़ सकती है। सभा में लगभग बीस महिला सदस्य भी थी जिन्होंने न केवल सामाजिक समस्याओं में ही सक्रिय भाग लेकर बल्कि गंभीर राजनैतिक तथा आर्थिक विषयों पर वाद-विवाद में भी उतना ही सक्रिय भाग लेकर प्रथम संसद् के कार्य में बड़ा महत्वपूर्ण योग दिया है।

प्रथम संसद् का विशेष सौभाग्य था कि इस के सब से पहले अध्यक्ष हमारे महान् नेता श्री ग० वा० मावलंकर थे जो हमारे देश के ही नहीं बल्कि अनेक देशों के अनुभवी सभा शास्त्रियों द्वारा एक महान अध्यक्ष और आदर्श व्यक्ति माने गये हैं। उन्होंने अनेक ऐसी महत्वपूर्ण प्रथाओं और रूढ़ियों की नीव डाली है जिनसे संसद् के कार्य में बहुमत दल तथा विरोधी दलों, दोनों को, अपने उचित अधिकारों के साथ कार्य करने का अवसर मिलेगा तथा सभी के साथ निष्पक्ष व्यवहार होगा। भारत की प्रथम संसद् की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता यह रही है कि उसने भारतीय जनता के स्वभाव तथा उसकी रूढ़ियों पर आधारित अनोखी सहिष्णुता तथा उदार दृष्टिकोण को ही सदा अपनाये रखा। आवेश पूर्ण वाद-विवाद और दल के आधार पर कटु आलोचनायें होने के बाद भी विभिन्न दलों के सदस्यों में हमेशा सुन्दर मैत्रीपूर्ण व्यवहार रहा है।

यद्यपि हमें प्राकृतिक विपत्तियों का जैसे दक्षिण भारत में अकाल, बंगाल में बाढ़, आसाम में भूकम्प और काश्मीर में युद्ध जैसी स्थिति का सामना करना पड़ा परन्तु फिर भी हमारी संसद् ने सफलतापूर्वक इन कठिनाइयों का सामना किया और संविधान का पूर्ण लोकतंत्रात्मक ढंग से पालन किया।

संसद् की गतिविधियां भिन्न-भिन्न प्रकार की रही हैं। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है चाहे वह आर्थिक, राजनैतिक या सामाजिक हो, जिस पर संसद् में विचार न किया गया हो। प्रथम संसद् के समवेत होने से एक वर्ष पूर्व ही प्रथम पंच वर्षीय योजना शुरू हो चुकी थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कुछ अविलम्बनीय समस्याओं को, जैसे खाद्य और कच्चे माल की कमी और तत्कालीन मुद्रा स्फीति, हल करना था। इस अवधि में अनेक नदी घाटी परियोजनाओं तथा बांधों का निर्माण किया गया और उन्हें लगभग पूरा कर लिया गया। लाखों एकड़ भूमि को कृषि योग्य बना कर उसमें कृषि की गयी और कृषि उत्पाद में काफी वृद्धि हुई है। बनावटी खाद के प्रयोग से प्रति एकड़ उत्पादन में भी काफी वृद्धि हुई है। देश में बनावटी खाद की आवश्यकता को पूरा करने के लिये विभिन्न भागों में उर्वरक कारखाने खोले गये। भविष्य में आने वाली संकट स्थिति का सामना करने के लिये खाद्य का एक रक्षित संग्रह भी रखा गया।

कृषि क्षेत्र में काफी सफलता मिल जाने पर औद्योगिक क्षेत्र की ओर ध्यान दिया गया। सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों में बहुत सी फैक्टरियां और कारखाने खोले गये। चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, इन्टेग्रल कोच फैक्टरी, हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, आयल रिफायनरीज़ आदि उल्लेखनीय हैं। हिन्दुस्तान शिपबिल्डिंग यार्ड और हिन्दुस्तान एअरक्रैफ्ट का उत्पादन भी बढ़ाया गया।

प्रथम संसद् ने दोनों योजनाओं पर विस्तृत चर्चा की और योजना को सफलता पूर्वक चलाने के लिये उसके प्रत्येक वर्ष के कार्य पर ध्यान रखती रही। मुझे विश्वास है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की ही भांति दूसरी पंचवर्षीय योजना भी सफलता पूर्व सम्पन्न होगी और भारत संसार का एक प्रमुख औद्योगिक देश हो जायेगा

इस संसद् ने अपनी अवधि में समाजवादी ढांचे पर हमारे समाज का निर्माण प्रारम्भ किया और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये कई महत्वपूर्ण विधान भी बनाये गये। भारत के सबसे बड़े बैंक—इम्पीरियल बैंक आफ इण्डिया, का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसी अवधि में एअरलाइन्स और बीमा कम्पनियों का भी राष्ट्रीयकरण किया गया। नया समवाय अधिनियम बनाया गया तथा सिक्कों की दशमिक प्रणाली और बाटों तथा मापों की मीट्रिक पद्धति के सम्बन्ध में कुछ महत्वपूर्ण कानून बनाये गये। आर्थिक पुनर्निर्माण की दिशा में संसद् ने इस अवधि में यह सब कदम उठाये। इस संसद् का सबसे महत्वपूर्ण कार्य राज्य पुनर्गठन अधिनियम है। इस विधान को, संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम के साथ, पारित करके संसद् ने भारत के राजनैतिक मानचित्र का स्वरूप बदल दिया है।

सामाजिक क्षेत्र में, इस संसद् के द्वारा हिन्दू विधि में महत्वपूर्ण परिवर्तन करके हमने और अधिक तथा सफलता पाई है। इस विधान के अन्तर्गत महिलाओं को वे अधिकार दिये गये जो उन्हें युगों से प्राप्त नहीं थे और इसके द्वारा स्त्रियों और पुरुषों दोनो को समानस्तर पर मान्यता मिली है। इन सुधारों में, हिन्दुओं में एक विवाह का प्रवर्तन, सम्बन्ध विच्छेद का अधिकार, पिता की सम्पत्ति में एक अंश के दावे का अधिकार और दत्तकग्रहण के मामले में अधिकार की समानता, कुछ ऐसे सुधार हैं जिन पर यह संसद् सदा गर्व कर सकती है। सामाजिक और आर्थिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त करने में विधान के महत्व को ध्यान में रखते हुये, यह संसद् नये विधानों के बारे में सदैव सावधान रही ह और उसने हमेशा इस बात का ध्यान रखा है कि विधान बनाने के अत्याधिक उत्साह में सामाजिक भावनाओं को आघात न पहुंचने पाये।

अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हमारी नीति सफल रही है। हम वस्तुतः इस बात का गर्व कर सकते हैं कि सैनिक सन्धियों और करारों के होते हुये भी हमने विश्व शान्ति को बनाये रखने में सहयोग दिया है।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों में से संसदीय कार्यवाही (प्रकाशन का संरक्षण) विधेयक का, जो अधिनियम बन गया है, विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है। इस बात को ध्यान में रख कर कि संसद् की कार्यवाही के प्रकाशन के परिणाम स्वरूप जनता को जो लाभ होता है वह किसी व्यक्ति विशेष को उस प्रकाशन से होने वाली हानि से अधिक है, यह विधेयक इसलिये पेश किया गया था कि सद्भावना से किये गये ऐसे प्रकाशनों को जो विशेषाधिकार प्राप्त है उसकी परिभाषा कानून द्वारा निश्चित कर दी जाये।

राष्ट्रीय संगठन के क्षेत्र में हम ने अन्य बातों के साथ इस बात के लिये भी प्रयत्न किया कि क इंडियन पार्लियामेंटरी एसोसियेशन (भारतीय संसदीय सन्था) बनाई जाये जिस में भारत के सभी विधान मंडल सम्मिलित हों। यह विचार सब से पहले कुछ वर्ष पूर्व भारत की विधान सभाओं के अध्यक्षों के एक सम्मेलन में रखा गया था। अब एक भारतीय संसदीय सन्था बनाई जाने की प्रस्थापना पर काफी प्रगति हो चुकी है। इंडियन पार्लियामेंटरी ग्रुप (भारतीय संसदीय मंडल) इंटर पार्लियामेंटरी यूनियन (अन्तर्संसदीय संघ) के सम्मेलनों में १९४९ से अब तक बराबर अपना प्रतिनिधि मण्डल भेजता रहा है। हम ने कामनवल्थ पार्लियामेंटरी एसोसियेशन (राष्ट्रमंडलीय संसदीय संस्था) को आमंत्रण दिया है कि इस वर्ष दिसम्बर में उस का सम्मेलन दिल्ली में हो।

लोक-सभा ने जो कार्य किया है उस का लेखा-जोखा बहुत शानदार है। लोक-सभा के वाद-विवाद साइक्लोस्टाइल किये गये २ लाख फुलस्केप पृष्ठों से अधिक में है। जिस में ६॥ करोड़ शब्द हैं। समितियों की कार्यवाही टाइप हुए लगभग ५४,००० फुलस्केप पृष्ठों में है जिस में १॥ करोड़ शब्द हैं। यदि यह पृष्ठ एक के बाद दूसरे लगाये जायें तो ५४ मील लम्बे हो जायेंगे। मई, १९५२ में

[अध्यक्ष महोदय]

वर्तमान संसद् जब आई तब से लोक-सभा के १४ सत्रों में ८७,६७५ प्रश्नों की पूर्व सूचनायें प्राप्त हुई जिन से ४३,५६२ प्रश्न लोक-सभा में पूछे गये और उन के उत्तर दिये गये। अभी जो वर्ष बीता है उस में प्रश्नों की संख्या सर्वाधिक, अर्थात् २२,६५१ थी। इन आंकड़ों से हमें पता लग जायेगा कि हमारी संसदीय कार्यवाही में प्रश्न काल का कितना महत्व है।

संसद् के सामने आने वाले सभी मामलों के बारे में सदस्यों को नवीनतम जानकारी का ज्ञान कराने के उद्देश्य से रिसर्च एंड रेफरेन्स ब्रांच को काफी बढ़ा दिया गया है। यह ब्रांच १९५० में बनाई गयी थी और उस समय बहुत छोटी थी पर अब इस का बहुत विस्तार हो गया है। इस ब्रांच ने बहुत काम किया है। इस ब्रांच का काम महत्वपूर्ण विधानों के सम्बन्ध में पुस्तक सूचियां, सर्वाधिक रुचि के कुछ विषयों पर पुस्तिकायें, चुने हुए लेखों की मासिक सूची, एब्सट्रेक्टिंग सर्विस, डाइजेस्ट आफ सेन्ट्रल ऐक्ट्स और जूरिडिकल डाइजेस्ट तैयार करना है।

अपना भाषण समाप्त करने के पूर्व मैं अपने प्रिय प्रधान मंत्री तथा सभा नेता को आभारपूर्ण धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस सभा की सम्पूर्ण अवधि में दिवंगत अध्यक्ष को तथा मुझे अपना सहयोग तथा अपनी सद्भावना प्रदान की। वह केवल भारत के ही महान पुरुष नहीं हैं बल्कि, मुझे विश्वास है, प्रत्येक व्यक्ति इस बात को स्वीकार करेगा कि वह आज दुनिया के सर्व श्रेष्ठ कूटनीतिज्ञ तथा राजनीतिज्ञ हैं। उन के दिल में संसदीय प्रथाओं तथा प्रक्रियाओं के लिये जो सम्मान है उस से हमें सदैव शक्ति प्राप्त हुई है और उस से इस देश में संसदीय लोकतन्त्र के सफल संचालन में काफी बल मिला है। मैं विभिन्न वर्गों के नेताओं तथा इस सभा के सभी सदस्यों को भी हार्दिक धन्यवाद दूंगा। जिन्होंने बिना किसी शिकायत के और इतनी उदारतापूर्वक अपना सहयोग प्रदान किया। यदि उन का सहयोग और उन की सद्भावना हमें प्राप्त न होती तो इस सभा की कार्यवाही को ऐसे ढ़ंग से, जो इस देश की ख्याति के लिये उचित हो, चलाने तथा आगे बढ़ाने में सफलता मिलना संभव नहीं था। कुछ सदस्य इस सभा में निर्वाचित हो कर वापस नहीं आयेंगे, कुछ दूसरी सभा के लिये निर्वाचित हो गये हैं, कुछ राज्य विधान-मंडलों में चले गये हैं और कुछ निर्वाचन में खड़े नहीं हुए। देश की सेवा अनेक कार्य क्षेत्रों से की जा सकती है; यह कोई जरूरी नहीं कि वे संसद् में आकर ही सेवा कर सकते हों। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उन्हों ने संसद् में जो अनुभव प्राप्त किया है और उन में जो गुण हैं उन से इन क्षेत्रों में पूरा पूरा लाभ उठाया जायेगा।

मैं आप सभी लोगों के लिये शुभकामनायें करता हूं। जय हिन्द!

†**प्रधान मंत्री, वैदेशिक कार्य तथा प्रतिरक्षा मंत्री और सभा के नेता (श्री जवाहरलाल नेहरू):** श्रीमान् आप ने इस सभा के सदस्यों के प्रति अत्यन्त उदारतापूर्ण बातें कही हैं और मेरे विषय में भी कुछ बातें कह कर मुझे एक अजीब उलझन में डाल दिया है। आप ने तो उदारतावश ये बातें कहीं हैं, लेकिन जो भी हो, जहां तक मेरा संबंध है, मैं तो इन शब्दों के लिये आप के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना चाहता हूं और मुझे विश्वास है कि आप की अत्यन्त कृपा पूर्ण बातों के लिये मैं सभा की ओर से आप को धन्यवाद दे कर सभा के मन की बात ही पूरी कर रहा हूं।

आज, जब कि इस सभा का विघटन होने वाला है, यह उचित ही है कि अपने विगत संम्भरणों का उल्लेख किया जाये। क्योंकि स्वयं आप ने इस संसद् के कार्यों का उल्लेख करने की कृपा की है, इसलिये मैं भी इस अवसर पर अपनी ओर से, और संभवत: यहां बैठे अन्य सदस्यों की ओर से भी, कुछ शब्द कहने की धृष्ठता कर रहा हूं।

जैसा कि आप कह चुके हैं, इन पांच वर्षों में हम ने बहुत कार्य किया है, यह कहा नहीं जा सकता कि यहां जो भाषण दिये गये वे कितने लाख पृष्ठों में आयेंगे, प्रश्न भी पूछे गये हैं और कुल मिला कर बहुत

†मूल अंग्रेजी में।

ज्यादा कागज खर्च किया गया है। लेकिन फिर भी भावी इतिहासकार इस बात पर ज्यादा जोर नहीं देगा कि कुल कितने भाषण दिये गये अथवा इन भाषणों में कुल कितने घंटे लगे या कि कुल कितने प्रश्न पूछे गये, वरन् उनका ध्यान उन अधिक गहरी बातों की ओर जायेगा, जिन से मिल कर कि राष्ट्र बनता है ।

भारत की सम्पूर्ण प्रभुता-सम्पन्न संस्था इस संसद् में जिस पर भारत के शासन का दायित्व है हम बैठे हैं। निश्चय ही इस सम्पूर्ण प्रभुता-सम्पन्न सभा की, जो इस देश के विशाल जन-समूह के भाग्य का निर्णय करती है, सदस्यता से बढ़ कर उत्तरदायित्व का या इस से भी बड़ा विशेषाधिकार दूसरा नहीं हो सकता। हम सभी ने, यदि सदैव नहीं तो कभी कभी तो उस जिम्मेदारी और कार्य की महत्ता को अवश्य ही समझा होगा जिस के लिये हमें यहां लाया गया है। हम उस के योग्य हैं या नहीं यह दूसरी बात है। इसलिये, इन पांच वर्षों में हम इतिहास के तटस्थ दर्शक मात्र नहीं रहे हैं। वरन् हम ने स्वयं इतिहास का निर्माण किया है ।

समस्त विश्व की जनता के ही समान हम ऐसे समय में यहां रहे हैं जब कि विश्व में महान परिवर्तन, बड़े बड़े उलट फेर और कहीं कहीं तो महान क्रान्तियां हुई हैं। हम विश्व रंगमंच के एक अंग ही नहीं बन रहे, वरन् हमारे राष्ट्रीय रंगमंच पर भी अनेक परिवर्तन होते रहे हैं। यदि कोई ब्योरे की असंख्य बातों में उलझे बिना दूर से पांच वर्षों के इस नाटक को देखे वह देखेगा कि इतिहास की धारा इस देश में कैसे बही, कहां तक बढ़ी, उस ने कौन-कौन से परिवर्तन किये हैं। कुछ वर्ष पहले हमने, भारत की जनता ने, भारत के जिस गणतन्त्र का निर्माण किया उस की नींव को इस ने कहां तक सुदृढ़ किया है—तो उसे काफी दिलचस्पी महसूस होगी। यही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह महत्वपूर्ण नहीं है कि हम ने कितने भाषण दिये थे या कितने प्रश्न पूछे थे, भले ही यह सच हो कि हम जिस संसदीय प्रणाली के समर्थक हैं उस के कार्य का तरीका निर्धारित करने में भाषणों और प्रश्नों का अपना महत्व और स्थान होता है ।

हमने संसदीय लोकतन्त्र की इस प्रणाली को जानबुझ कर चुना है, हम ने इसे सिर्फ इसीलिये नहीं चुना कि हम पहले भी सदैव इसी ढंग से सोचते रहे हैं—वरन् इसे हम ने इसलिये चुना है क्योंकि हमारा ख्याल था कि यह हमारी प्राचीन परम्पराओं के भी अनुकूल है। स्वाभाविक है कि प्राचीन परम्पराओं से मेरा तात्पर्य यही नहीं कि वे परम्परायें अपने मूल रूप में कायम हैं—वरन् वह अपनी नयी परिस्थितियों के अनुरूप बन चुकी हैं। हम ने इसे इसलिये भी चुना—जिन्हें इस का श्रेय मिलना चाहिये उन्हें हम इस का श्रेय क्यों न दें—क्योंकि दूसरे देशों में, विशेष रूप से इंगलैंड में इस का कार्य करने का ढंग हमें पसन्द आया था ।

इसलिये चाहे वह हमारे प्रश्नों के संबंध में हो, चाहे हमारे प्रक्रिया-नियमों के सम्बन्ध में हो अथवा हमारे कार्य के ढंग के बारे में हो, यह संसद्, यह लोक-सभा पूरी तरह नहीं तो भी काफी हद तक ब्रिटिश पार्लमेंट अथवा ब्रिटिश लोक सभा की तरह ही बन गयी है ।

संसदीय लोकतंत्र के लिये कई चीजों की आवश्यकता होती है—इसके लिये निश्चय ही योग्यता की आवश्यकता होती है। हर काम की तरह इसमें भी कार्य के प्रति निष्ठा की भी आवश्यकता होती है। परन्तु, साथ ही इसमें बड़ी मात्रा में सहयोग, आत्म अनुशासन और संयम की भी आवश्यकता होती है। यह स्पष्ट है कि जब तक कि प्रत्येक सदस्य और वर्ग में काफी सहयोग, संयम और आत्म-अनुशासन की भावना न हो तब तक यह सभा अपने कर्त्तव्यों का निर्वाह नहीं कर सकती है। संसदीय लोकतंत्र कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे किसी जादू की छड़ी अथवा किसी जल्दी के तरीके से किसी देश पर थोपा जा सके। हम इसकी चर्चा तो बहुत करते हैं, परन्तु हम यह भी अच्छी तरह जानते हैं कि विश्व में ऐसे देशों की संख्या अधिक नहीं है जहां

यह सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। मेरा ख्याल है कि बिना किसी प्रकार के पक्षपात के यह कहा जा सकता है कि इस देश में इसने काफी सफलता के साथ कार्य किया है। ऐसा क्यों? इसलिये नहीं कि हमने, इस सभा के सदस्यों ने, ही सारी अक्ल का ठेका ले रखा था, बल्कि मेरे ख्याल से इसलिये कि हमारे देश की पृष्ठ-भूमि ऐसी है और क्योंकि हमारे देश के लोगों में लोकतंत्र की भावना मौजूद है।

इसलिये हमें यह याद रखना है कि संसदीय लोकतंत्र का मतलब क्या है। तेज़ी से बदलने वाली परिस्थितियों और असाधारण उथल-पुथल के इस युग में, साधारण परिस्थितियों की अपेक्षा परिवर्त्तन होना; परिवर्त्तन के साथ साथ अपने आपको नयी परिस्थितियों के अनुसार ढालना कहीं अधिक अनिवार्य होता है। यहां तक कि जब दुनिया में अच्छी शासन-व्यवस्था भी कायम थी, उसे भी सिर्फ इसी कारण से नयी शासन व्यवस्था को स्थान देना पड़ा था कि कहीं कोई अच्छी प्रथा ही दुनिया को बिगाड़ न दे। उसे बदलना ही पड़ता है। इसलिये, भारत ऐसे देश में, जहां, काफी अर्से तक प्रायः कोई भी फेर-बदल न हुई हो—इससे मेरा मतलब यह नहीं कि हमारे यह परिवर्त्तन सिर्फ इसलिये नहीं हुआ कि हम साम्राज्यवादी शक्तियों के गुलाम बने रहे, मेरा यह मतलब नहीं कि उस समय कोई भी परिवर्तन नहीं हुए, लेकिन यह कि देश की बुनियादी परिवर्तन-शील शक्तियां विदेशी शासन के कारण दबी, सीमित और बंधी सी रही हैं—परिवर्तन इसलिये भी नहीं हुए कि अपनी ही बुराइयों, मानसिक सामाजिक और अन्य सभी प्रकार की बुराइयों में हम जकड़ गये थे। इसीलिये हमें अपने आपको अपनी ही बुराइयों और विदेशी शासन द्वारा लगायी गयी सीमाओं और प्रतिबन्धों दोनों से निकालना था। पिछली कमी को पूरा करने के लिये हमें तेजी से परिवर्तन करने थे। इसीलिये, अपना अस्तित्व बनाये रखने और साथ ही अपनी प्रगति के लिये परिवर्तन करना अनिवार्य था।

लेकिन जहां परिवर्तन आवश्यक है वहीं एक चीज़ और भी आवश्यक है और वह यह है कि थोड़ा बहुत क्रम भी बनाये रखना पड़ता है। परिवर्तन और क्रम में सदैव संतुलन रखना पड़ता है। कोई भी दिन दूसरे दिन की तरह का नहीं होता। हर दिन के साथ हमारी उम्र भी बढ़ती जाती है। परन्तु फिर भी हमारे अन्दर, राष्ट्र के जीवन में एक निरंतर, निर्बाध क्रम होता है। परिवर्तन और क्रम की इस प्रक्रिया में जितना ही अधिक संतुलन होता है, देश की प्रगति भी उतनी ही ठोस होती हैं। यदि केवल क्रम ही बना रहे और कोई परिवर्तन न हो तो स्थिरता और बुराइयां आ जाती हैं। यदि क्रम न हो और केवल परिवर्तन होते रहें तो इसका अर्थ यह होता है कि व्यवस्था की जड़ ही खुद जाती है और उस धरती से अलग रह कर जिसने उन्हें जन्म दिया है और पाला-पोसा है, किसी भी देश के लोग ज्यादा दिन जीवित नहीं रह सकते, पनप नहीं सकते हैं।

इसलिये, मेरे ख्याल से संसदीय लोकतंत्र की इस प्रणाली में परिवर्तनशीलता और क्रम दोनों के ही सिद्धांत निहित होते हैं। यह इस प्रणाली को चलाने वालों का—संसद्, सभा के सदस्यों और उन असंख्य लोगों का, जो इस प्रणाली के ही एक अंग हैं—काम है कि वे क्रम के इस सिद्धांत के अधीन रहते हुए—क्योंकि क्रम के टूटते ही हम आधारहीन हो जाते हैं और संसदीय लोकतंत्र की प्रणाली छिन्न-भिन्न हो जाती है—परिवर्तन की गति को यथासंभव और इच्छानुसार तेज़ कर दें। संसदीय लोकतंत्र एक नाजुक पौधा है और क्योंकि यह पौधा पिछले कुछ वर्षों के भीतर ही पनपा और बढ़ा है इसलिये हम कह सकते हैं कि हम कुछ हद तक सफल हुए हैं। हम ने गम्भीर, कठिन समस्याओं का सामना किया है और उनमें से कइयों को हल भी किया है; परन्तु कइयों को अभी हल करना बाकी है। वैसे भी, हमारे सामने आने वाली समस्याओं का कभी अन्त भी नहीं होगा क्योंकि आगे बढ़ने में समस्याओं का सामने आना लाज़मी है। केवल निष्क्रिय

लोगों की समस्यायें ही थोड़ी होती हैं और समस्याओं का न होना मौत की निशानी है । केवल मृतकों की कोई समस्यायें नहीं होतीं; जीवित लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है और समस्याओं से जूझते हुए और उन पर विजय प्राप्त करते हुए ही वे बढ़ते जाते हैं । यह राष्ट्र की प्रगति की ही निशानी है कि हम सिर्फ समस्याओं को हल ही नहीं करते वरन् हल करने के लिये नयी समस्यायें भी तैयार करते जाते हैं ।

इस प्रकार, ये पांच वर्ष बीत चुके हैं और हम अपने इतिहास के इस अध्याय की समाप्ति पर आ चुके हैं; और यही अन्त अचानक एक नये अध्याय के आरम्भ में विलीन हो जाता है और हम नये सिरे से काम शुरू करते हैं, क्योंकि यह अन्त और आदि हमारी अपनी सोची हुई चीजें हैं । राष्ट्र का जीवन तो निरंतर चलता रहता है । हम इस सभा से चले जायें या हमारा जीवन समाप्त हो जाये परन्तु राष्ट्र जीवित रहता है । इसलिये, जब हम इस अन्त पर खड़े हैं, जो कि आदि भी है, तब हम अपने पीछे मुड़कर देखते हैं और आगे की ओर भी देखते हैं । या यों कहें कि वर्तमान की देहलीज़ पर खड़े हो कर हम पीछे की ओर देखते तो हैं, परन्तु भविष्य की ओर हम और भी ज्यादा गौर से देखते हैं । हम ने जो काम शुरू किया था उसे पूरा करने के लिये हम उन अनेक बातों के बारे में सोच सकते हैं जो हमें करनी हैं और हम नये काम शुरू कर सकते हैं; परन्तु इन सब से ऊपर हमें यह देखना है कि हम इस देश में जिस लोकतंत्र का निर्माण करना चाहते हैं उसकी जड़ें कितनी मज़बूत, कितनी गहरी हैं, क्योंकि आखिर में जा कर इन्हीं जड़ों की गहराई के बल पर ही हम पनप और फलफूल सकेंगे, हम ने कितने कानून पास किये या कि विदेशों में हमारे कार्य क्या रहे, इस पर नहीं वरन् अपने चरित्र बल और दृढ़ता पर ही हम इस देश का विकास कर सकेंगे ।

यह स्वाभाविक है कि संसदीय लोकतंत्र में कार्य के लिये शान्तिपूर्ण तरीके अपनाने पड़ते हैं, जो निर्णय किये जाते हैं उनको शान्तिपूर्ण ढंग से गृहण और स्वीकार करना होता है और यदि उन्हें बदलना भी हो तो उसके लिये शान्तिपूर्ण ढंग से प्रयास करना पड़ता है, अन्यथा वह संसदीय लोकतंत्र नहीं रहता । इसलिये यह अनिवार्य है कि हम लोगों को जो शान्ति की बहुत बातें करते हैं और शान्ति बनाये रखने में विश्वास करते हैं, यह याद रखना चाहिये कि शान्ति और लोकतंत्र की स्थापना भी केवल शान्तिपूर्ण ढंग से ही की जा सकती है, अन्य तरीकों से नहीं । हमारा देश एक महान् संगठित देश है, ऐसा देश है जो हमें प्रिय है, जिस पर हमें गर्व है । परन्तु उस पर गर्व करने का अर्थ यह नहीं है कि देश में हमें अकसर जिन गम्भीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है, या उन फूट डालने वाली प्रवृत्तियों की ओर से, जो बार-बार अपना सिर उठाती हैं और संसद् जिस लोकतंत्रात्मक प्रणाली का प्रतिनिधित्व करती है उन्हें चुनौती देती हैं, हम अपनी आंखें बन्द कर लें । इन फूट डालने वाली प्रवृत्तियों को, जो हमें एक दूसरे से अलग कर देती हैं और जो भारत की एकता को नष्ट कर देना चाहती हैं, अपने विचारों तक में भी जिस सीमा तक अंत करेंगे उतना ही हमारा देश सुदृढ़ होगा और भविष्य के लिये भी उसकी नींव को हम उतना ही ठोस बना देंगे ।†इसलिये, श्रीमान्, मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूं ।

पिछले पांच वर्षों में इस सभा के सदस्यों ने मेरे प्रति जो सद्भाव प्रदर्शित किया है उसके लिये मैं सभा के नेता की हैसियत से, सभा के सारे सदस्यों को सविनय धन्यवाद देता हूं ।

‡ **अध्यक्ष महोदय** : लोक सभा अब अनिश्चित काल के लिये स्थगित होती है ।

(इसके पश्चात् लोक-सभा अनिश्चित काल के लिये स्थगित हुई ।)

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

[गुरुवार, २८ मार्च, १९५७]

पृष्ठ

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३५६–६०, ३६५

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गये:—

१ उच्च न्यायालय न्यायाधीश (भाग 'क' राज्य) नियम, १९५६ में कुछ संशोधन करने वाली २८ फरवरी, १९५७ की अधिसूचना संख्या १६/३/५७–जुडिशियल १(१) की एक प्रति ।

२ उच्च न्यायालय न्यायाधीश (भाग 'क' राज्य) यात्रा भत्ता नियम, १९५६ में कुछ संशोधन करने वाली २८ फरवरी, १९५७ की अधिसूचना संख्या १६/३/५७—जुडिशियल १(२) की एक प्रति

३ अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५६ की धारा ३ की उपधारा (६) के अधीन अधिसूचना की एक-एक प्रति

४ भारतीय विमान नियम, १९३७ में आगे कुछ और संशोधन करने वाली दो अधिसूचनाओं की व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित एक-एक प्रति

५ केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम, १९५४ में आगे कुछ और संशोधन करने वाली दो अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति

६ समुद्र सीमा शुल्क (संशोधन) अधिनियम, १९५३ द्वारा निविष्ट समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३ ख की उपधारा (४) के अधीन दो सीमा शुल्क अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति

७ औद्योगिक व्यापार संस्था प्रबन्ध (संचालकों की शक्तियां तथा कर्त्तव्य) विनियम, १९५७ की एक प्रति

८ अखिल भारतीय सेवा (समुद्रपार का वेतन, यात्रा भाड़ा और छुट्टी का वेतन) नियम, १९५७ की एक प्रति

९ केरल राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन अधिनियम, १९५६ की धारा ३ की उपधारा (३) के अधीन निम्नलिखित अधिनियमों की एक-एक प्रति:—

१ त्रावनकोर-कोचीन निर्वाचन तथा सामान्य खंड (संशोधन) अधिनियम, १९५७ (१९५७ का संख्या ३)

२ केरल बिक्री कर कानून (संशोधन) अधिनियम, १९५७ (१९५७ का संख्या ४)

३ दंड प्रक्रिया संहिता (केरल संशोधन) अधिनियम, १९५७ (१९५७ का संख्या ५)

४ केरल मार्ग परिवहन सेवायें (मान्यीकरण) अधिनियम, १९५७ (१९५७ का संख्या ६)

५ केरल राजस्व बोर्ड अधिनियम, १९५७ (१९५७ का संख्या ७)

६ केरल लघुवाद न्यायालय अधिनियम, १९५७ (१९५७ का संख्या ८)

७ केरल खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम, १९५७ (१९५७ का संख्या ९)

१० मशीनी औजार समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति

११ दिल्ली मोटर गाड़ी नियम, १९४० में कुछ संशोधन करने वाली १४ मार्च, १९५७ की अधिसूचना संख्या एफ १२ (१३०) /५६-एम टी. एण्ड सी० ई० की एक प्रति

१२ त्रावनकोर-कोचीन मोटरगाड़ी नियम, १९५२ में आगे कुछ और संशोधन करने वाली दो अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति

१३ मद्रास मोटर गाड़ी नियम १९४० में आगे कुछ और संशोधन करने वाली २९ दिसम्बर, १९५६ की अधिसूचना संख्या टी० ४/४८३६/५६ पी० डब्ल्यू० सी० की एक प्रति

१४ मद्रास मोटरगाड़ी (यात्रियों और सामान पर कर लगाना) नियम, १९५३ में कुछ संशोधन करने वाली २२ दिसम्बर, १९५६ की अधिसूचना संख्य टी० ४–९६५९/५६/पी० डब्ल्यू० सी० की एक प्रति

१५ लोक सभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी नियमवली के पांचवें संस्करण (अंग्रेजी) की एक प्रति

१६ लोक सभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी नियमावली के अधीन अध्यक्ष द्वारा दिये गये निदेशों के दूसरे संस्करण की एक प्रति

संसदीय, विधि सम्बन्धी तथा प्रशासनिक शब्दावली के हिन्दी पर्याय निर्धारित करने वाली संसदीय समिति का प्रतिवेदन––सभा-पटल पर रखा गया ३६०

श्री टंडन ने संसदीय, विधि संबंधी तथा प्रशासनिक शब्दावली के हिन्दी पर्याय निर्धारित करने वाली संसदीय समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति शब्द कोष सहित सभा पटल पर रखी

राज्य-सभा से संदेश ३६१

सचिव ने बताया कि राज्य सभा से यह संदेश मिले हैं कि लोक सभा द्वारा २३ मार्च, १९५७ को पारित किये गये निम्नलिखित विधेयकों के बारे में राज्य सभा को लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है :

(१) विनियोग विधेयक, १९५७

(२) विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९५७

लोक-लेखा समिति का प्रतिवेदन––प्रस्तुत किया गया . . . ३६१

तेईसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया

पृष्ठ

प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन--प्रस्तुत किया गया . . ३६१

छियालीसवां, तिरेपनवें से पचपनवाँ और साठवें से छियासठवाँ प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया

याचिका समिति का प्रतिबेदन --प्रस्तुत किया गया . . . ३६२

बारहवाँ प्रतिवदन प्रस्तुत किया गया

आश्वासनों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन---प्रस्तुत किया गया । ३६२

चौथा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . ३६२-६३

श्री फीरोज़ गाँधी ने उन बीमा कम्पनियों के, जिनकी स्थिति आर्थिक दृष्टि से अस्थिर है, बीमा पत्र धारियों की स्थिति की ओर और बीमा निगम द्वारा एसे बीमा पत्रों के बारे में की जाने वाली कार्यवाही की ओर वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ती० त० कृष्णमाचारी) का ध्यान दिलाया

वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) ने उसके बारे में एक वक्तव्य दिया

स्थगन प्रस्ताव ३६३-६४

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री जगजीवन राम) द्वारा दिये गये वक्तव्य को ध्यान में रखते हुय अध्यक्ष ने कालीघाट फल्टा रेलवे को बन्द करने के निश्चय संबंधी स्थगन प्रस्ताव को, जिसकी सूचना श्री साधन गुप्त ने दी थी, प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी

नियम समिति का प्रतिवेदन---स्वीकृत . . . ३६५

नवां प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ

विधेयक---पारित ३६५

१ रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री जगजीवन राम) ने प्रस्ताव किया कि विनियोग (रेलवे) लेखानुदान विधेयक, १९५७ पर विचार किया जाय । खंडवार विचार के बाद विधेयक पारित हुआ

२ केरल विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९५७ राजस्व तथा प्रति रक्षा व्यय मंत्री श्री अ० चं० गुह द्वारा पुरःस्थापित किया गया । विचार के बाद विधेयक पारित हुआ

पृष्ठ

३ गृह कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार) ने प्रस्ताव किया कि भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में विचार किया जाय। खंडवार विचार के बाद विधेयक पारित हुआ

केरल आय-व्ययक—१९५७-५८ . . . . ३६६-७८

केरल के १९५७-५८ के आयव्ययक पर सामान्य चर्चा और आगे जारी रही। गृह कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार) ने वाद विवाद का उत्तर दिया और चर्चा समाप्त हुई

१९५७-५८ के लिये केरल राज्य के सम्बन्ध में लेखानुदानों की मांगें . . ३७८-८८

वर्ष १९५७-५८ के लिये केरल राज्य के बारे में लेखानुदानों की मांगों पर चर्चा हुई और मांगें पूरी पूरी स्वीकृत हुईं

राष्ट्रपति के निर्वाचन और नयी लोक-सभा के गठन के बारे में चर्चा . ३९६-४०१

श्री कामत ने देश में सामान्य निर्वाचन पूरा होने के पहले राष्ट्रपति का निर्वाचन, नई लोक-सभा के गठन और वर्तमान लोक-सभा के विघटन के संबंध में चर्चा उठाई। विधि-कार्य मंत्री (श्री पाटस्कर) ने वाद-विवाद का उत्तर दिया और चर्चा समाप्त हो गयी

सदस्यों द्वारा पदत्याग . . . ४०१

अध्यक्ष ने घोषणा की कि निम्नलिखित सदस्यों ने उनके, नाम के आगे बताई गई तारीखों से लोक-सभा के अपने पद से त्याग-पत्र दे दिये हैं

(१)	श्री जनार्दन रेड्डी	२६ मार्च, १९५७
(२)	श्री सोहन लाल धूसिया	२६ मार्च, १९५७
(३)	श्री कक्कन	२६ मार्च, १९५७
(४)	श्री नन्दलाल जोशी	२८ मार्च, १९५७

विदाई सम्बन्धी उल्लेख ४०१-०७

अध्यक्ष तथा प्रधान मंत्री और सभा के नेता (श्री जवाहरलाल नेहरू) ने लोक-सभा के सदस्यों से विदाई के संबंध में कुछ बातें कहीं

———